हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

03 मार्च, 2017

खण्ड–1, अंक–6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 03 मार्च, 2017

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद मारकण्डा, कुरूक्षेत्र की छात्राओं व अध्यापकों का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

विभिन्न मामले उठाना/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना

कृषि मंत्री द्वारा घोषणा

विभिन्न मामले उठाना/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना (पुनरारम्भ)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

श्री कुलदीप शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा
धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा
धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा
धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वर्ष 2016–17 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त)
की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

विधान कार्य

(i) दि पेप्सू एंड ऐग्रीकल्चरल लैंड्स (हरियाया अमैंडमैंट) बिल, 2017

(ii) दि पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टैन्योर्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2017

(iii) दि पंजाब लैंड रेवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 2017

वित्त मंत्री द्वारा धन्यवाद

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

(iv) दि पंजाब शिड्यूल्ड रोड्ज एण्ड कंट्रोल्ड एरियाज रिस्ट्रिक्शन ऑफ अन–रैगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 2017

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 03 मार्च, 2017

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

.....

जब सदन समवेत हुआ, उपाध्यक्ष महोदया ने सदन की अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

उपाध्यक्ष महोदयाः– माननीय सदस्यगण अब प्रश्न काल शुरू होता है।

Construction of Building of PHC

***1802 Sh. Sri Krishan Hooda. :** Will the Health Minister be please to state :-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the building of PHC in village Baroda; and

(b) If so, the time by which it is likely t be constructed ?

Health Minister (Shri Anil Vij) :

(a) Yes Sir.

(b) The process for construction will be stared after suitable land is arranged.

श्री श्री कृष्ण हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, बड़ौदा के अंदर पी.एच.सी बनाने के लिए जमीन का रैजोल्यूशन भी पास करके पंचायत ने जमा करवा दिया है और डेढ साल का समय हो चुका है अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंत्री जी कृपया मुझे यह बताएं कि वहां पर पी.एच.सी का कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी तक हमें पंचायत का रैजोल्यूशन नहीं मिला है। मेरी माननीय सदस्य से प्रार्थना है कि ये जमीन का रैजोल्यूशन पंचायत से दोबारा पास करवा के भिजवा दें, हम इसको बनवा देंगे।

श्री श्री कृष्ण हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, पंचायत द्वारा जमीन का रैजोल्यूशन पास करके भेजे हुए बहुत दिन हो गए हैं लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, पिछली सरकार के समय में रैजोल्यूशन पंचायत ने भिजवाया होगा, उस समय की सरकार हैल्थ सर्विसिज के बारे में सीरियस नहीं थी, इसलिए वह रैजोल्यूशन गुम कर दिया होगा। मेरी माननीय

सदस्य से प्रार्थना है कि ये दोबारा से जमीन का रैजोल्यूशन भिजवा दें, हम इस पर काम शुरू करवा देंगे।

श्री श्री कृष्ण हुड्डा : ठीक है जी, रैजोल्यूशन दोबारा से भिजवा देंगे।

श्री परमिंद्र सिंह ढुल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बहुत सी पंचायतों ने पी.एच.सी बनाने के लिए जमीन का रैजोल्यूशन पास करके सरकार को भेजा हुआ है उन पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही हैं ?

श्री अनिल विज : उपाध्यक्ष महोदया, जिन पंचायतों के रैजोल्यूशन आये हुए हैं, उनका कार्य प्रोसैस में है।

To Establish an University

***1809 Sh. Zakir Hussain.** : Will the Education Minister be pleased to state:-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to establish an academic University in district Nuh; and

(b) if so, the time by which it is likely to be established?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) इसलिए, प्रश्न का यह अंश उत्पन्न ही नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदया, माननीय जाकिर हुसैन जी ने मेवात के अंदर शैक्षणिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग की है । हमने मेवात के अंदर अभी दो लड़कियों के कालेजिज का शिलान्यास किया है । जहां तक मेवात में शैक्षणिक विश्वविद्यालय बनाने की बात है यह मैटर सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे सवाल के जवाब में मंत्री जी ने बताया है कि मेवात में शैक्षणिक विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रावधान सरकार के विचाराधीन नहीं है । इसी के साथ–साथ मंत्री जी ने यह भी कहा है कि मेवात के अंदर दो लड़कियों के कालेजिज का शिलान्यास किया गया है । मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेवात के कुरथला गांव की बेटी किरण शेखावत जो कि एयर फोर्स में लैफ्टिनैंट थी, वह शहीद हो गई। हमारे मुख्यमंत्री जी उनको श्रदांजलि देने के लिए कुरथला गांव में गये थे और वहां पर बेटी किरण शेखावत के नाम से

लड़कियों का कालेज बनाने की घोषणा करके आये थे । लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि उस कालेज का शिलान्यास अभी तक नहीं किया गया है जिसके कारण वहां पर लोगों में बहुत असंतोष है । यह कालेज शहीद बेटी के नाम से बनना था जिसमें जमीन की फॉर्मलटीज भी पूरी हो चुकी हैं लेकिन उसको बनाने का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है । क्या मंत्री जी वहां पर लड़कियों के कालेज का शिलान्यास करेंगे ? उपाध्यक्ष महोदया, आज सरकार ''बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ'' की बात कर रही है और हम सभी भी चाहते हैं कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए । मंत्री जी ने भी लड़कियों की शिक्षा के बारे में जिक्र किया है लेकिन मेवात जिले में 125 कि.मी. तक लड़कियों के लिए हायर एजुकेशन की कोई सुविधा नहीं है, चाहे आप राजस्थान बॉर्डर से लेकर गुड़गांव तक देख सकते हैं । ऐसे में कैसे संभव होगा कि मेवात के लोग अपनी लड़कियों को अच्छी शिक्षा दिला पायेंगे । उपाध्यक्ष महोदया, मेवात में 125 कि.मी. तक लड़कियों को हायर एजुकेशन देने की कोई सुविधा नहीं है ऐसे में ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'' का कोई अर्थ नहीं रह जाता वह निरर्थक हो जाता है । इसके अतिरिक्त मेवात में किसी भी यूनिवर्सिटी का रीजनल सैंटर नहीं है । चाहे वह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, चाहे अकैडमिक यूनिवर्सिटी हो या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो । इसी तरह से फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में लड़कों का सरकारी कालेज नहीं है । ऐसे में मेवात में यूनिवर्सिटी का होना जरूरी है । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मेवात में शैक्षणिक विश्वविद्यालय स्थापित करने का आश्वासन दें तभी मेवात में कुछ तरक्की हो पायेगी ।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, जाकिर हुसैन जी हमारे वरिष्ठ साथी हैं । इनका यह कहना ठीक है कि कुरथला की बेटी किरण शेखावत ऐयर फोर्स में थी जो कि देश के लिए शहीद हो गई । किसी भी शहीद की शहादत पर मुख्यमंत्री जी और हम सभी लोग जाते हैं । मुख्यमंत्री जी भी कुरथला उनको शहादत देने के लिए गये थे और वहां लड़कियों का कालेज बेटी किरण शेखावत के नाम से बनाने की घोषणा करके आये थे । यह कालेज बनाना अभी भी सरकार के विचाराधीन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10.2.2017 को वीडियो कांफ्रैंस के माध्यम से 21 महाविद्यालयों का एक साथ शिलान्यास किया है । उपाध्यक्ष महोदया, आप भी उस समय उपस्थित थी और भाई अभय सिंह यादव जी भी उपस्थित थे । इसी तरह से सदन के दूसरे सदस्य और मंत्रीगण भी अपने–अपने जिलों में उपस्थित थे । It is record in the history of Haryana कि 21 महाविद्यालयों का शिलान्यास हमारे

माननीय मुख्यमंत्री जी की रहनुमाई में हमारी सरकार ने किया था । जाकिर जी के पुन्हाना महाविद्यालय का शिलान्यास भी उसी दिन किया। साल्हाहेड़ी में आलरेडी एक महिला महाविद्यालय हम चला रहे हैं। जहां तक कुरथला का सम्बन्ध है वहां पर थोड़ा सा ज़मीन का विवाद है। अगर जाकिर जी सरकार की इस सम्बन्ध में मदद कर दें तो हमारे लिए वहां पर महिला महाविद्यालय का निर्माण करना सुगम हो जायेगा। इस प्रकार से मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि कुरथला में महिला महाविद्यालय का निर्माण करना सरकार के विचाराधीन है।

श्री जाकिर हुसैन : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि वहां पर जमीन का कोई विवाद नहीं है। माननीय मंत्री जी इसको एक बार फिर से चैक करवा लें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वहां पर जाकर इसकी घोषणा की थी। वहां पर सारी फॉरमैलिटीज़ भी पूरी कर ली गई थी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पुनः रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि वे इस मामले को एक बार फिर से चैक करवालें। ऐसा न होने से लोगों को बड़ी मायूसी हुई कि उनके क्षेत्र के एक शहीद की शहादत पर किए गए वायदे को भी उसमें इन 21 महाविद्यालयों की घोषणा में स्थान नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे जल्द से जल्द इसकी तारीख मुकर्रर करके इस काम को करें। इसी प्रकार से मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहूंगा कि हम अपनी लड़कियों को 125 किलोमीटर दूर कैसे भेजें। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री राम बिलास शर्मा : डिप्टी स्पीकर महोदया, जहां तक कुरथला में महिला महाविद्यालय खोलने की बात है इस बारे में मैं यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमैंट के ऊपर काम करने के लिए पूरा विभाग और पूरी सरकार पूरी तरह से जागरूक है। अगर जाकिर हुसैन जी इस मामले में सरकार की मदद कर दें तो हम अप्रैल, 2017 में उनकी उपस्थिति में कुरथला महाविद्यालय का शिलान्यास करना चाहेंगे।

श्री जाकिर हुसैन : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछा था कि क्या माननीय मंत्री जी उसके बारे में भी बतायेंगे?

श्री राम बिलास शर्मा : डिप्टी स्पीकर महोदया, जाकिर हुसैन जी की मांग के अनुसार यूनिवर्सिटी की स्थापना का अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि रेवाड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी कॉलेज खोलने के लिए दो साल पहले अनाउंसमैंट की थी लेकिन अब जिन 21 कालेजिज का शिलान्यास हुआ है उसमें भी रेवाड़ी का नाम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद अभी भी रेवाड़ी शहर सरकारी कालेज से वंचित है। हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि उनको कहीं पर भी दाखिला नहीं मिल रहा है। जिसके कारण उनको गुरूग्राम, दिल्ली और जयपुर तक धक्के खाने पड़ रहे हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद अभी तक रेवाड़ी को गवर्नमैंट कालेज से क्यों वंचित रखा गया है? माननीय मंत्री जी इसके कारण बताने की कृपा करें।

श्री ओम प्रकाश यादव : डिप्टी स्पीकर मैडम, मेरा प्रश्न भी भाई रणधीर सिंह जी जैसा ही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेरे हल्के के गांव सीहमा में भी एक कॉलेज की अनाऊंसमैंट की गई थी। यह गांव मेरे हल्के का सबसे बड़ा गांव है। माननीय शिक्षा मंत्री जी इस गांव से बड़ी अच्छी तरह से परिचित हैं। यह बाबा खेता नाथ जी का पैतृक गांव है। यह बात भी सर्वविदित है कि बाबा खेता नाथ जी ने ताउम्र शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाये रखी। इसी कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बाबा खेता नाथ जी के पैतृक गांव सीहमा में एक सरकारी कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में सारे हरियाणा में 21 कॉलेजिज का शिलान्यास किया गया है लेकिन हमारे हल्के के इस कालेज के शिलान्यास की अभी तक भी घोषणा नहीं हो पाई है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वे बताने की कृपा करें कि इस कॉलेज का निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

पं. मूल चंद शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि बल्लभगढ़ में फरवरी, 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी उस समय माननीय मंत्री जी ने बल्लभगढ़ के लिए एक सरकारी कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई थी लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इस दिशा में सरकारी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। बल्लभगढ़ में कोई सरकारी कालेज नहीं है। मैंने पिछले बजट सैशन में

भी इस ओर माननीय वित्तमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय मुझे माननीय वित्तमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी दोनों ने यह आश्वासन दिया था कि इस कॉलेज का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जायेगा लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर अभी तक इस बाबत कोई कार्य नहीं हो पाया है। इस कॉलेज के शिलान्यास का जिक्र हाल ही में हुई 21 कॉलेजों की घोषणा में भी नहीं आ पाया। मै मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मुझे इस कॉलेज के निर्माण की कोई निर्धारित समय–सीमा बतायें क्योंकि बल्लभगढ़ में सरकारी कॉलेज न होने से वहां के बच्चों और बच्चियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उनको प्राईवेट कॉलेजों और दूसरी संस्थाओं में धक्के खाने पड़ रहे हैं। बल्लभगढ़ की पॉपुलेशन बहुत से ऐसे विधान सभा हल्कों से भी बहुत ज्यादा है जहां पर पिछले काफी समय से सरकारी कॉलेज चल रहे हैं। वहां पर ढ़ाई लाख मतदाता है और वहां की कुल जनसंख्या पांच लाख है। वहां पर लड़कों या लड़कियों का एक भी कॉलेज नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पुनः कहना चाहूंगा कि वे मुझे इसकी निर्धारित समय–सीमा बतायें कि बल्लभगढ़ में सरकारी कॉलेज का निर्माण कब तक हो जायेगा? इसके साथ ही वे यह भी स्पष्ट करें कि उनके द्वारा विधान सभा मे पिछले बजट सैशन में दिये गये आश्वासन का क्या हुआ?

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया जी, हमारी सरकार सबसे ज्यादा संवेदनशील बेटियों की पढ़ाई के बारे में है। इस बात का इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि हमारी सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक साथ 21 महाविद्यालयों की आधारशिला रखी गई थी। हमारे माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश जी यादव सीहमा में सरकारी महाविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि इसी महीने की 10 तारीख को महेन्द्रगढ़ जिले के छीलरो, निजामपुर तथा कनीना में कालेजों का शिलान्यास किया है तथा सीहमा में कॉलेज खोलने बारे प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । हमारे माननीय विधायक श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी रेवाड़ी में कॉलेज खोलने की बात कह रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं कि रेवाड़ी का कॉलेज मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है। जिन 21 कॉलेजों का शिलान्यास हुआ है उनमें किन्हीं कारणों से उसको शामिल नहीं किया जा सका लेकिन वह मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है और उसको भी खोला जायेगा । इसी प्रकार से विधायक श्री मूल चन्द शर्मा जी ने बल्लभगढ़ में कॉलेज खोलने की मांग रखी है। इसमें भी किसी तरह का विवाद नहीं है और यह भी मुख्यमंत्री जी

की घोषणा में है और वहां पर भी कालेज जल्दी ही खोल दिया जायेगा । उपाध्यक्ष महोदया, हम जो काम करते हैं वह पूरा करते हैं पिछली सरकार की तरह नहीं हैं कि जाते–जाते यूनिवर्सिटी की घोषणा कर गये, कॉलेज की घोषणा कर गये और स्कूल अपग्रेड की भी घोषणा कर गये लेकिन वहां पर स्टाफ और बजट का प्रावधान नहीं करके गये । हमने 10 तारीख को जिन 21 कॉलेजों का शिलान्यास किया है वहां पर कितने प्राध्यापक होंगे, कितना क्लैरिकल स्टाफ होगा, कितना सुपरवाइजरी स्टाफ होगा तथा कितने पियन होंगे, इस सारी फैकल्टी का भी प्रावधान किया है । मेरे साथ में वित्त मंत्री जी बैठे हुये हैं हमने इनसे एप्रूवल लेकर यह सारा काम किया है । हमारी कोशिश यह है कि इस साल से कुछ कॉलेजिज में तो क्लासिज भी शुरू कर देंगे । श्री ओमप्रकाश यादव, पंडित मूल चन्द शर्मा तथा श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी की चिन्ता दूर कर दी जायेगी । श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी की एक चिन्ता यह थी कि रेवाड़ी और महेन्द्रगढ़ जिलों के कॉलेजों को इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर के साथ ऐफिलिएट कर दिया जाये तो इस बारे में हमने निर्णय ले लिया है तथा उन सभी कॉलेजिज को इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, मीरपुर से एफिलिएट कर दिया जायेगा।

पं. मूल चन्द शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, झज्जर में 13 कॉलेज हैं, महेन्द्रगढ़ में 14 कॉलेज हैं और रोहतक में 17 कॉलेज हैं और 25 लाख की आबादी वाले फरीदाबाद में केवल 4 कॉलेज हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बल्लभगढ़ का कॉलेज मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है, यह बनेगा या नहीं बनेगा और अगर बनेगा तो इसका काम कब तक शुरू हो जायेगा?

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं पंडित मूल चन्द शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि महेन्द्रगढ़ के कॉलेजों में तो इनका भी बराबर का हिस्सा है ये चिन्ता न करें । इनको भी उन कॉलेजों का फायदा होता है । जहां तक फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में कॉलेज खोलने की बात है तो मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 21 कॉलेजों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया है उसी तरह से अप्रैल के महीने में मुख्यमंत्री जी बल्लभगढ़ के कॉलेज का शिलान्यास करेंगे ।

.....

Shortage of Drinking Water

***1797.Shri Om Parkash Yadav. :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in Narnaul and Ateli Assembly Constituencies; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to provide adequate drinking water in abovesaid Assembly Constituencies togetherwith the details thereof?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डा0 बनवारी लाल) : श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा हुआ है।

वक्तव्य

नारनौल निर्वाचनक्षेत्र नारनौल निर्वाचनक्षेत्र के 66 गांवों तथा एक शहर में से दो गांवों नामतः मंधाना व जाट गुवाना में पीने के पानी की कमी है। इन दो गांवों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए 17.40 लाख रुपये की कुल लागत से सुधार कार्य प्रगति पर हैं और इनके 30.06.2017 तक पूरा होने की संभावना है।

अटेली निर्वाचनक्षेत्र अटेली निर्वाचनक्षेत्र के 96 गांवों तथा दो षहरों में से 28 गांवों नामतः बेवलए खेड़ीए सियानाए कॉटीए महासरए मिर्जापुरए नावदीए रामपुराए टोबराए भारफए भोजावासए कलवारीए कपूरीए कैमलाए मोहम्मदपुरए मुंडिया खेड़ाए पडतलए रामदासए अटालीए भोरीए धनूंदाए गनियारए कटकईए खोरए कुंजपुराए सिलारपुरए सागरपुरए तथा सुजापुर में पीने के पानी की कमी है। गांव सुजापुरए खोरए धनूंदाए सिलारपुर, रामपुराए कॉटीए नावदीए टोबराए खेड़ीए तथा पडतल में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए 276.74 लाख रुपये की कुल लागत से सुधार कार्य प्रगति पर हैं और इनके 31.12.2017 तक पूरा होने की संभावना है। पानी की कमी वाले शेष गांवों में पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए अनुमान सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

श्री ओम प्रकाश यादव : माननीय डिप्टी स्पीकर महोदया, महेंद्रगढ़ जिले के विशेषकर मेरे हल्के नारनौल के अन्दर ट्यूबवैल द्वारा पीने के पानी की सप्लाई होती है। आज के दिन वहां पर ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। 1000–1500 फीट तक बोरिंग करने के बावजूद भी पानी उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण वहां के

लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत दिक्कत होती है। मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया है कि वक्तव्य सदन के पटल पर रखा है। मेरा मंत्री जी से यही निवेदन है कि जब तक हमारे एरिया में कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम नहीं दी जाएंगी, तब तक वहां पर पीने के पानी की पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए मंत्री जी आश्वासन दें कि कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई के तहत पानी की उपलब्धता कखाई जाएगी।

डा. बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की यह बात सही है कि महेन्द्रगढ़ जिले में पानी की कमी है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम नारनौल ब्रांच न0.3 पर 61 गांवों में कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पानी देने के लिए स्कीम बना रहे हैं । जिसमें 55 गांव अटेली हल्के के हैं, 5 गांव नारनौल हल्के के हैं और एक गांव महेन्द्रगढ़ हल्के का है । करीबन दो महीने के अंदर इसमें मुख्यमंत्री जी से स्वीकृति मिल जायेगी और इस पर हम कार्यवाही शुरू कर देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, यह बहुत ही अहम ईशू है । आप अप्रेल तक इस पर अवश्य ही कार्यवाही करें ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके ।

डॉ. बनवारी लाल : ठीक है, मैडम ।

.....

To Set up a New Sub-Division(Operation)

***1834.Sh. Pawan Saini. :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a new Sub-division (Operation) in Mathana due to heavy work load on the Sub-Division (Operation) in Pipli; if so, the time by which the Sub-Division at Mathana is likely to be set up?

Transport Minister (Shri Krishan Lal Panwar) : No, Madam. The other part of the question, therefore, does not arise.

डॉ0 पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहूंगा कि मथाना एक बहुत बड़ा गांव है । वहां पावर हाऊस भी है और बिल्डिंग भी है। वहां सरकार को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता

भी नहीं है। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह मेरी इस मांग को पूरा करें और मेरे ख्याल से वहां उपमंडल के नॉर्म्स भी पूरे हैं ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे माननीय साथी ने गांव मथाना में एक नया उप–मंडल (आपरेशन) स्थापित करने की जो चिन्ता व्यक्त की है वह सही है। मथाना गांव पिपली उप–मंडल कुरूक्षेत्र के अधीन आता है । मैं उनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई उप–मंडल बनाया जाता है तो पहले उस उप–मंडल के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं का क्राईटेरिया बनाया जाता है। पुराने नॉर्म्स के मुताबिक जिस उप–मंडल के अधीन 25800 उपभोक्ता होंगे वहां उप–मंडल बनाया जाएगा। पहले मथाना गांव उप–मंडल बनाने के नार्म्स को कवर नहीं करता था। अब हमने उसका दोबारा सर्वे करवाया है उसमें इस गांव का 25 स्कवेयर किलामीटर का भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें 73 गांव, सात शहरी सैक्टर और 11के.वी.ए. के 88 फीडर आते हैं। हमने जो सर्वे करवाया है उसमें गांव मथाना उप–मंडल के अधीन 37183 उपभोक्ताओं की संख्या बनती है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपने साथी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इसके लिये सरकार ने एक कमेटी गठित की है जिसकी मीटिंग आज है । पूरे स्टेट का केस उस कमेटी से रिक्मैंड होकर ब्यूरो में जाएगा और वह केस ब्यूरो में कवर होने के बाद निश्चित तौर पर गांव पिपली कुरूक्षेत्र के उप–मंडल के उपभोक्ताओं के क्राईटेरिया को कवर कर जाएगा । अतः मैं अपने साथी को यह विश्वास दिलाता हूं कि गांव मथाना में उप–मंडल बनाने पर जरूर विचार किया जाएगा ।

डॉ0 पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं पुनः एक बार मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने आंकड़े बताए हैं उसके हिसाब से गांव मथाना उस क्राईटेरिये के अन्दर भी आता है । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह मेरी इस मांग को जरूर पूरी करें ।

आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद मारकण्डा, कुरूक्षेत्र के छात्रों व अध्यापकों का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, आज इस महान सदन की कार्यवाही को देखने के लिये आर्य कन्या महाविद्यालय शाहबाद मारकंडा कुरूक्षेत्र के अध्यापक और छात्राएं दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर(पुनरारम्भ)

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, जैसा कि मैंने पहले अपने साथी को जवाब दिया है कि इस नये सर्वे के मुताबिक 37183 उपभोक्ता इस उप–मंडल के

अधीन आते हैं इसलिए ब्यूरो की एप्रूवल मिलने के बाद गांव मथाना में उप–मंडल बना दिया जाएगा ।

डॉ0 पवन सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, इसके लिये मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

.....

To Replace The Electricity Wires

***1994.Smt. Rohita Rewri. :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the electricity wires in most areas of Panipat city are obsolete; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the obsolete electricity wires togetherwith the details thereof ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : नहीं, श्रीमान। परन्तु पानीपत शहर सहित विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की तारों को समय–समय पर आवश्यकता अनुसार बदला जाता है।

श्रीमती रोहिता रेवड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि पानीपत में जाटल रोड़ पर एक 33 के.वी.ए. की लाईन है जिसको शिफ्ट करवाने का प्रपोजल लगभग दो साल से पैंडिंग है । वह तार एक रैजीडैंशियल एरिया के ऊपर से गुजर रही है जिसके कारण आए दिन किसी न किसी दुर्घटना का कारण बन जाती है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इस लाईन को बदलने का जल्द से जल्द कोई प्रावधान किया जाए ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, जैसा कि राहिता रेवड़ी जी ने पानीपत के बारे में चिन्ता व्यक्त की है उस संबंध में मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारा कंडक्टर्ज बदलने का प्रोसैस लगातार चलता रहता है । इसके बावजूद भी मैं बहन जी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि 14.10.2016 को 50.450 किलामीटर की जो पुरानी तारें हैं उनको बदला गया है तथा 169.180 किलोमीटर की जो एल. टी., एच.टी. की पुरानी तारें थी वह ए.बी. केबल के साथ बदल दी गई हैं और स्मार्ट ग्रिड के अन्तर्गत 40 किलामीटर लम्बी तारों को बदलने का काम भी हम छः महीने में पूरा कर लेंगे । इसके अलावा 25 किलोमीटर लम्बी तारों को बदलने के

लिये इनकी तरफ से 70 ऐस्टीमेट्स की डिमांड आई है । हम उन कार्यों को दिसम्बर, 2017 तक पूरा कर देंगे ।

श्री अनूप धानक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा के खैरी गांव में बिजली की तारें बिल्कुल नीचे लटकी हुई हैं । अगर कोई हाथ ऊपर करे तो वह तारें हाथों को भी छू जाती हैं और वह बहुत कमजोर भी हो चुकी है । मैं मंत्री जी को कुछ दिन पहले की घटना के बारे में बताना चाहता हूं कि चमार खेड़ा गांव में ट्यूबवैल की जो लाईन ढ़ाणियों में गई हुई है वह तारें बिल्कुल कमजोर थी और वह बिल्कुल नीचे लटकी हुई थी जिसके कारण उस लाईन के नीचे जो 8–10 एकड़ की फसल खड़ी थी वह भी जल कर राख हो गई है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव खैरी और चमार खेड़ा में भी इन बिजली की तारों को बदलने का प्रावधान है क्योंकि वहां भी बिजली की तारें बहुत कमजोर हैं ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय साथियों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के लिये घोषणा की है कि लाल डोरे के अन्दर कोई भी चाहे एच.टी. लाईन है चाहे एल.टी. लाईन है, जो घर की छतों पर से गुजरती हैं उनको सरकार अपने लैवल पर बदलेगी ।

श्री ओम प्रकाश बरवा : उपाध्यक्ष महोदया, हलका लोहारू में चाहे खेत के कनैक्शन की बात हो चाहे कस्बे के कनैक्शन की बात हो वहां एक भी जगह पर न तो पुरानी तार बदली गई है और न ही कोई लोहे का पोल बदला गया है । पिछले दिनों सिवानी में एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई थी । वह घटना इसलिए हुई थी क्योंकि वहां पर तारें पुरानी थी। इसके अतिरिक्त वहां न तो अर्थिंग थी न ही ग्राउन्डिंग की व्यवस्था ठीक थी । वहां एक ही परिवार के तीन सदस्य (पिता, बेटा और पोता) मारे गए थे । इस तरह की दर्दनाक घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि पुरानी तारें बदली नहीं जाती हैं । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हल्का लोहारू में लोहे के पोल और पुराने तार कब तक बदल दिये जाएंगे ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, सरकार और बिजली विभाग की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी ने 'म्हारा गांव, जगमग गांव' योजना शुरू की है । इसके तहत शहर या गांव में मीटर्स को बाहर लगाया जाएगा । जो नई केबल लगवाने

और पुराने कंडक्टर को चेंज करवाने का इश्यू है । इसकी सूचना बिजली विभाग को दे दी जाए । बिजली विभाग उन्हें तुरंत चेंज कर देगा और नई केबल लगाएगा । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर किसी गांव में या वार्ड में 90 परसेंट बिलों की रिकवरी होगी और 20 परसेंट लाइन लोसिज कम होगा तो हम वहां अलग से फीडर बनाकर 24 घंटे बिजली देंगे । दूसरा विषय इन्होंने लोहे के पोल को चेंज करने का उठाया है । सरकार की तरफ से निगम को आदेश जारी किये हैं कि पूरे प्रदेश में अर्बन में, रूरल में या एग्रीकल्चर में अगर कहीं भी लोहे के पोल हैं तो उनको इमीजिएट्ली चेंज कर दिया जाये । यदि पर्टिकुलर कहीं पर लोहे के पोल हैं तो माननीय सदस्य हमें लिखकर दे दें । उनको इमीजिएट्ली बदलवा दिया जाएगा । (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि गांव में लाल डोरे और फिरनी के बीच में भी कुछ जगह होती है । पिछली सरकार ने पुरानी तारें और लोहे के पोल को बदलने के लिए फिरनी तक का एरिया निर्धारित किया था । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अब वह क्राइटेरिया बदल दिया गया है ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी तक लोहे के पोल और पुरानी तारें बदलने तथा कंडक्टर वगैरह बदलने के जो नॉर्म्स हैं वे विद इन लाल डोरे के हैं । (विघ्न) लाल डोरे की जो एक्सटैंडिड लिमिट है वह अभी रैगुलराईज नहीं हुई है अगर वह रैगुलराइज होती है तो उसके अनुसार इन्हें बदल दिया जाएगा । अभी जो कंडक्टर्स और पोल्स हैं वे पुराने लाल डोरे के विद इन ज्यूरिस्डिक्शन बदले जा रहे हैं ।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या 1907

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला सदन में उपस्थित नहीं थे।)

.....

Domestic Supply Connections to Dhanies

***1852. Shri Sukhvinder. :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to connect the Dhanies with domestic supply and to issue meters to them; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to be materialized ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : (क और ख) श्रीमान नहीं, चूंकि ढ़ाणियों को घरेलू बिजली आपूर्ति से जोड़ने के लिए एक नीति पहले से ही कार्यान्वित है।

श्री सुखविन्द्र : उपाध्यक्ष महोदया, जो खेतों में ढ़ाणियां बसाकर रहने वाले लोग हैं हमारी सरकार उनको गांव की तर्ज पर बिजली उपलब्ध करवाने जा रही है । इस बारे में परसो भी मेरा एक प्रश्न लगा हुआ था । अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ढ़ाणियों में रहने वाले लोगों को बिजली के मीटर क्यों नहीं दिये जा रहे हैं ? मीटर न होने के कारण जब छापेमारी होती है तो किसान को चोर बताया जाता है और उस पर बहुत ज्यादा पैनल्टी लगती है । अगर कोई भी किसान खेतों में रहेगा तो जितने भी इलैक्ट्रिक इक्विपमैंट्स हैं जैसे चक्की, गंडासा इत्यादि है वह उन्हें भी इस्तेमाल करेगा । मेरा निवेदन है कि उनके लिए कोई अच्छी पोलिसी बनाकर उनको मीटर देने का काम किया जाए ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कुछ समय पहले एग्रीकल्चर और डोमैस्टिक फीडर की सप्लाई इकट्ठी थी । जो लोग डेरों–ढ़ाणियों में रहते थे सरकार ने उनको अलग फीडर से बिजली देने के लिए एक स्कीम बनाई थी । उस स्कीम के अनुसार फीडर लगाने के लिए आने वाले खर्च का 50 परसेंट शेयर सरकार और 50 परसेंट शेयर उपभोक्ता को अदा करना था । उस स्कीम के तहत फीडर लगाने पर उपभोक्ता को काफी पैसा खर्चा करना था । वह स्कीम कामयाब न होने की वजह से 3.8.2010 को दोबारा से एक स्कीम बनाई गई । इस स्कीम के तहत 50 परसेंट शेयर सरकार या निगम से, 22.5 परसैंट शेयर एम.पी.लैड से, 22.5 परसैंट शेयर एच.आर.डी.एफ. से और 5 परसेंट शेयर उपभोक्ता से लिया जाएगा । अगर उपभोक्ता सिर्फ 5 परसेंट शेयर दे देगा तो उसके लिए हम अलग से फीडर खींच देंगे । मैं माननीय साथी को बताना

चाहता हूं कि पुरानी पोलिसी के अनुसार हम ढाणियों पर एग्रीकल्चर फीडर से बिजली पहुंचाने के लिए एक चीज देखते थे कि ट्रांसफार्मर से ढ़ाणी की दूरी 30 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए । हम 11 मैम्बर के परिवार को एक यूनिट मानते थे । हम उसको स्कीम के तहत कनैक्शन देते थे लेकिन हमने दिनांक 11.7.2016 को स्कीम को चेंज करके ट्रांसफार्मर से ढ़ाणी की दूरी की 30 मीटर की सीमा को एक्सटैंड किया है । हमने इसे बढ़ाकर डेढ़ सौ मीटर तक कनैक्शन देने के नॉर्म्स बनाए हैं । जो व्यक्ति दो किलोवाट तक की क्षमता का कनैक्शन लेगा उससे 200 रूपये प्रति किलोवाट की दर से चार्ज करेंगे और जो दो किलोवाट से ज्यादा क्षमता का कनैक्शन लेगा उससे 500 रूपये प्रति किलोवाट की दर से चार्ज करके कनैक्शन देंगे ।

श्री सुखविन्द्र : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि रिप्लाई में लिखा है कि ढ़ाणियों में मीटर नहीं दिये जाएंगे । मेरा यह कहना है कि हमारे इलाके में 75 प्रतिशत आबादी खेतों में रहती है । वे बिजली का भी इस्तेमाल कर रहे हैं । अतः मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि उनको ए.पी. के ऊपर मीटर दिये जाएं ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भिवानी में इस तरह की 2037 ढ़ाणियां हैं । हमारे सर्वे के मुताबिक वैलिड ढ़ाणियों की संख्या 1125 है । अगर वे अप्लाई करेंगे तो हम उनको भी उसमें जोड़ लेंगे ।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : उपाध्यक्ष महोदया, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि हम प्रत्येक घर को और प्रत्येक ढ़ाणी को बिजली और पानी देंगे । हमारे क्षेत्र के प्रत्येक गांव में 40 परसेंट लोग खेतों में ढ़ाणी बनाकर रहते हैं । माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा था कि जहां सौ आदमी इकट्ठे रहेंगे वहां हम बिजली देंगे । सरकार का दायित्व बनता है कि अगर सौ व्यक्ति कहीं अंधेरे में बैठे हैं तो उनकी ढ़ाणी में बिजली देनी चाहिए । मेरा दूसरा प्रश्न है कि ट्यूबवैल कनैक्शन से ढ़ाणियों में बिजली क्यों नहीं दी जाती है ? अगर ट्यूबवैल कनैक्शंज से ढ़ाणियों में बिजली दे देंगे तो आधी समस्या तो अपने आप बंद हो जाएगी । माननीय मंत्री जी एम.पी.लेड शेयर से फीडर लगाने की बात करते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि हमारे फतेहाबाद विधान सभा क्षेत्र में एम.पी.लैड से कुछ भी कार्य नहीं हुआ है । हमने पूरे साल एम.पी.लैड से ढ़ाणियों में बिजली

दिलवाने के लिए प्रयास किये हैं । जब हम एक्सियन साहब से एम.पी.लैड से फीडर लगाने के बारे में पूछते हैं तो वे कहते हैं कि यह तो आप सैल्फ स्कीम के तहत भी लगवा सकते हो । विभाग की तरफ से एम.पी.लैड से कनैक्शन देने की कोई कार्यवाही नहीं की जाती है ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में 49,848 ढ़ाणियां हैं जिनमें से 38,422 को अब तक कवर किया जा चुका है । अभी 11,426 ढ़ाणियों को कवर करना बाकी है । उनको भी जल्द ही इनमें शामिल कर लिया जाएगा ।

.....

Appointment of Gynecologist, Radiologist and Physician

***1799. Shri Gian Chand Gupta.** : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of theGovernment to appoint Gynecologist, Radiologist and Physician in the Government Dispensary of Sector-16, Panchkula; if so, the details thereof ?

Health Minister (Shri Anil Vij) : No, Madam.

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पंचकुला के सैक्टर–16 में गवर्नमैंट डिस्पैंसरी की बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है । वहां पर न तो गायनेकोलोजिस्ट है, न रेडियोलोजिस्ट है और न वहां पर कोई बच्चों का डॉक्टर है । यह जो क्षेत्र है यह झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले लोगों का क्षेत्र है । इस क्षेत्र में 25000 आबादी झुग्गी–झोपड़ी वालों की है और कम से कम 25000 आबादी सैक्टर में रहने वाले लोगों की है । इस अर्बन हैल्थ सैंटर से तीन वार्ड जुड़े हुए हैं । इस सैक्टर में प्राईवेट नर्सिंग होम्ज भी चल रहे हैं । मुझे आशंका है कि उन नर्सिंग होम की वजह से यहां पर न तो कोई गायनेकॉलोजिस्ट दिया जाता है और न ही वहां पर कोई बच्चों का डॉक्टर दिया जाता है । जो गरीब लोग झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले हैं उनसे हजारों रूपये ले करके वहां पर डिलीवरी करवाई जाती है । वहां रहने वाले लोगों का नाजायज शोषण हो रहा है । वहां पर करोड़ों रूपये लगाकर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है लेकिन उसमें एक्स–रे मशीन पिछले दो साल से खराब पड़ी हुई है । वहां पर रेडियोलोजिस्ट भी नहीं है । वहां पर एक या दो डॉक्टर्स के

लगने से सैक्टर–16 की अर्बन डिस्पैंसरी में उस एरिया के लोगों को बड़ी सुविधा को मिल सकती है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से आग्रह है कि सैक्टर–16 की अर्बन डिस्पैंसरी को सही ढंग से चालू किया जाये। यदि उसमें 2 या 3 डॉक्टर्ज आ जायेंगे तो उस इलाके के जो गरीब लोग हैं जो विशेष कर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको सुविधा मिल जायेगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग उपलब्ध होने के बावजूद भी डॉक्टर्ज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे जानकारी मिल है कि स्वास्थ्य विभाग के बड़े–बड़े अधिकारियों को उस एरिया में नर्सिंग होम्स हैं। इस कारण से वहाँ पर गायनाकॉलोजिस्ट नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से वहाँ के स्थानीय गरीब आदमियों को ईलाज करवाने के लिए प्राईवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, अर्बन हैल्थ सैन्टर में स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। पी.एच.सी. में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाने की कोई योजना नहीं है। सरकार स्पेशलिस्ट डॉक्टर्ज केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला स्तर के अस्पतालों और उप–मण्डल स्तर के अस्पतालों में ही लगाती है। इन जगहों पर भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्ज की संख्या पूरी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, पंचकुला के सैक्टर–16 के नजदीक ही सैक्टर–6 में जिला स्तर के अस्पताल में 66 डॉक्टर्ज स्पेशलिस्टस हैं। उस अस्पताल में 12 गायनाकॉलोजिस्ट हैं, 2 रेडियोलोजिस्ट हैं और 6 फिजिशियन हैं। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में ही स्पेशलिस्ट्स डॉक्टर्ज की कमी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा ने घोषणा की है कि आने वाले सत्र में 4 हजार स्पेशलिस्टस डॉक्टर्ज की सीटें बढ़ाई जायेंगी। उपाध्यक्ष महोदया, हम अपने प्रदेश में भी ये सीटें बढ़ाना चाहते हैं और डी.एन.बी. योजना अप्रूव हो गई है उसके तहत हर जिले के अस्पताल में भी कुछ सीटें जो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पढ़ने के लिए है शायद इसी सत्र से चालू कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदया, स्पेशलिस्ट्स डॉक्टर्ज की कमी सारे देश में हैं। सैक्टर 16, पंचकुला के अर्बन डिस्पैंसरी में जो सैंग्शंड स्ट्रैंम्थ है वह पूरी है।

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि पंचकुला के सैक्टर–6 का अस्पताल बहुत बढ़िया है। यह अस्पताल पूरे देश में दो बार प्रथम स्थान पर आया है। इसके लिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसके बारे में मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जब से वहाँ पर अच्छी व्यवस्था हुई है तब से वहाँ पर

हिमाचल, पंजाब, पंचकुला और दूसरे दूर के क्षेत्रों से भी मरीज ईलाज करवाने के लिए आते हैं। जिसके कारण अस्पताल में ओ.पी.डी. की संख्या बढ़ गई है। इसी भीड़ के कारण सैक्टर–16 की अर्बन डिस्पैंसरी में और ज्यादा डॉक्टर्ज की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदया, सैक्टर–16 की अर्बन डिस्पैंसरी में 1 या 2 डॉक्टर्ज डिलिवरी करने के लिए और 1 रेडियोलौजिस्ट हो जाये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं इससे सैक्टर–16 के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भी बहुत फायदा हो जायेगा।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की बात यह ठीक है कि सैक्टर–6 का अस्पताल उच्च स्तर का हो गया है। इस अस्पताल में डायलिसिस यूनिट के लिए भी उद्घाटन हो चुका है। प्रदेश के 14 जिला अस्पतालों में डायलिसिस यूनिट लगा रहे हैं जिसमें चार जिलों में शुरूआत भी हो चुकी है । यह यूनिट सभी जिलों में लगाने की योजना है। यह भी ठीक है कि हमने सैक्टर 6 में एम.आर.आई. मशीन लगा दी है और प्रदेश के 8–9 जिलों में एम.आर.आई. मशीनें लगा भी चुके हैं। उपाध्यक्ष महोदया, हम सभी जिला अस्पतालों में एम.आर.आई. मशीनें लगाना चाहते हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों की स्थिति को सुधारना चाहते हैं। पंचकुला के अस्पताल का एन.ए.बी.एच. एक्रेडीशन भी हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदया, स्वच्छता के मामले में भी पंचकुला के अस्पताल ने लगातार दूसरे वर्ष भी प्रथम स्थान का ईनाम जीता है। उपाध्यक्ष महोदया, पिछले साल पंचकुला के इस अस्पताल ने 50 लाख रूपये का इनाम जीता था और इस साल 25 लाख रूपये का ईनाम मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम और सुविधाएं बढा रहे हैं ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि सैक्टर 6 में जो अस्पताल है वह 200 बैड का अस्पताल है और वहां पर पेश्न्ट्स बहुत ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। हमने इस अस्पताल को 200 बैड से बढाकर 300 बैड का बनाने की मंजूरी दे दी है तथा फाईल एप्रूवल के लिए एफ.डी. में भेजी हुई है। जैसे ही वहां से मंजूरी मिल जाएगी उसके तुरंत बाद स्टाफ को और बढ़ा देंगे। जनसंख्या के हिसाब से वहां पर 300 बैड की आवश्यकता है लेकिन वर्तमान में यह 200 बैड का ही है इसलिए ओवरक्राउडिड है। हम वहां पर डाक्टरों और स्टाफ की संख्या बढा देंगे। पंचकुला च्वाइस का सैंटर होने के कारण वहां डाक्टरों की कमी नहीं है। जितनी सैक्शंड पोस्ट हैं शायद उससे ज्यादा डाक्टर्ज लगे हुए हैं। पैरा मेडीकल स्टाफ की कमी जरूर है लेकिन इसमें भी हमारी लगभग 3500 पोस्ट्स के

करीब भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन के तहत यह प्रक्रिया चल रही है। इसमें रिटन टैस्ट हो चुका है और जल्दी ही इन्टरव्यू लेकर भर्ती प्रक्रिया वहां पूरी हो जाएगी। उसके बाद पैरा मैडीकल स्टाफ भी पूरा हो जाएगा तथा जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी।

श्रीमती गीता भुक्कलः धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से डायलिसिस के बारे में पूछना चाहती हूं। हमारे झज्जर जिले का अस्पताल जो नया है, वहां डायलिसिस यूनिट लगाने की बहुत समय से मांग है। वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी सर्वे के लिए गयी थी उस टीम ने यह कहा कि चूंकि इस अस्पताल में जगह की एवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए डायलैसिस यूनिट को बहादुरगढ के अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि झज्जर में जिला हैडक्वाटर का अस्पताल है तथा वहां पर जगह की कमी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यह झज्जर में इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां पर विधायक विपक्षी पार्टी का है। इसलिए सभी सुविधाएं झज्जर की बजाय बहादुरगढ में दे दी जाती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध है कि चूंकि झज्जर अस्पताल में डायलैसिस की बहुत आवश्यकता है, इसलिए आप झज्जर में भी इस सुविधा को शुरू करवाएं। दूसरा यह है कि झज्जर के अस्पताल के बैक साईड में बायो–वेस्ट मैटीरियल बहुत ज्यादा पड़ा रहता है जिससे बीमारियां होने का खतरा रहता है। उसके डिस्पोजल के लिए भी सरकार व्यवस्था करवाए ताकि सरकार द्वारा जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उसको धक्का न लगे। वहां पर उस गंदगी में गऊ मुंह मारती फिरती हैं। इसकी फोटो भी हम आपको दिखा देंगे। मेरा अनुरोध है कि इस समस्या को भी ठीक करवाने का कष्ट करें।

श्री नरेश कौशिकः माननीय उपाध्यक्ष महोदया, बहादुरगढ में मजदूरों की संख्या ज्यादा है इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बहादुरगढ में डायलिसिस यूनिट की व्यवस्था की जाए।

श्री अनिल विजः माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी हमारी सरकार ने चार जिलों में हीमो– डायलिसिस के सैंन्टर्ज आरम्भ किये हैं। वे चार जिले पंचकुला, गुरूग्राम, जींद और सिरसा हैं, इनमें यह यूनिट्स फंक्शनल हैं। बाकी 10 जिलों अंबाला, भिवानी, रेवाड़ी, पानीपत, सोनीपत फरीदाबाद हिसार, यमुनानगर, झज्जर तथा बहादुरगढ, में भी हमारा एग्रीमैंट हो चुका है। (विघ्न) बहन जी, मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री यह बात कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदयाः गीता जी, मंत्री जी आपके सवाल का ही जबाव दे रहे हैं।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, झज्जर जिले में भी हमारा एग्रीमैंट हो चुका है।(विघ्न) गीता जी, कल तक आप सरकार में थे तो आपकी बात मानी जाती थी। मगर आज जो मैं कह रहा हूं, वह माना जाएगा।

श्रीमती गीता भुक्कलः उपाध्यक्ष महोदया, इसके लिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदया, 10 जिलों में ये यूनिट्स लगाने का हमारा एग्रीमैंट हो चुका है। यह लगाने के लिए आदेश भी जारी भी किये जा चुके हैं और वहां पर लगाने का काम चल रहा है और कुल मिला कर 14 जिलों में यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा बाकी 7 जिलों में भी हम लगाएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि डायलिसिस के लिए पहले मार्केट में लगभग 2500–3000 रूपये की लागत आती थी लेकिन हमने इसको 959 रूपये की लागत पर ही इन सब अस्पतालों में शुरू कर दिया है। बहुत ही सस्ते दर पर कर रहे हैं और जल्दी ही यह हरियाणा के सभी जिलों में यह सुविधाएं पूरी की जाएगी। **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** इसके अतिरिक्त हम 4 जिलों में कैथ लैब की स्कीम भी शुरू कर रहे हैं। इसके लिए हमने कैथ लैब के कॉन्ट्रैक्ट् साईन कर दिये हैं।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, अस्पताल को जो बायो वेस्ट मैटीरियल है वह पैक्टस में जरूर होता है मगर खुले में ही पड़ा रहता है, इससे वातावरण के साथ–साथ पशुओं को काफी नुकसान होता है उसके लिए भी कोई न कोई व्यवस्था की जाए। जो पशु तथा अन्य जानवर इस बायो वेस्ट मैटीरियल को खाते हैं उनको भी इससे नुकसान होता है, इसलिए इसके लिए भी मैं अनुरोध करूंगी कि इसके बारे में भी कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए ताकि सफाई के साथ–साथ जो पशु–पक्षी इनको खाते हैं उनको भी नुकसान न हो।

श्री अध्यक्षः गीता जी, ठीक है। मंत्री जी इसका जवाब दे रहे हैं।

श्री अनिल विजः मैडम, आपने बहुत ठीक बात की तरफ ध्यान दिलाया है क्योंकि जो बायो मेडीकल वेस्ट है वह हैज़ार्डस् है। वैसे तो बायो वेस्ट मैटीरियल के डिस्पोज ऑफ करने के लिए सब जगह व्यवस्था की हुई है कि उसको कहां से ले जाना है और कहां पर डिस्पोज ऑफ करना है। मैं झज्जर की बायो वेस्ट मैटीरियल की व्यवस्था को चैक करवाऊंगा, अगर ऐसी कोई बात है तो उसको भी ठीक करवायेंगे।

Salary to Daily Wages Employees

***1840 Sh. Subhash Sudha. :** Will the Education Minister be pleased to state the category under which the salary is being paid to the Daily wages Employees working in the Mess of Kurukshetra University ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्री मान, मैस कामगारों के वेतन का भुगतान छात्रावास में रहने वाले छात्रों से सेवक शुल्क के रुप में निधि प्राप्त करके किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री सुभाष सुधा जी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मैस में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के संबंध में जो चिंता प्रकट की है। यह बात सही है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसमें 25 होस्टल्ज हैं जिनमें 12 ब्वायज के और 13 गर्ल्स के होस्टल्ज हैं। इनमें 6537 विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं और इनमें तद्नानुसार 296 टोटल कर्मचारी काम करते हैं। वहां पर सैल्फ फाइनेंस वाले जो कांट्रेक्ट पर मैस लिए हुए हैं, वे उन कर्मचारियों को 5500 रुपया देते हैं और जो बच्चे आपस में कॉ–ऑपरेटिव मैस चलाते हैं, वे 2300 रुपया देते हैं। कुल–मिलाकर इनको 7000 रुपये महीने की सैलरी मिलती है। माननीय विधायक जी चाहते हैं कि इन कर्मचारियों को डी.सी रेट पर वेतन मान दिया जाए। अभी इन कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मामला लेबर कोर्ट में विचाराधीन है, उसका निर्णय आने के बाद ही हम इस बात पर विचार करेंगे।

श्री सुभाष सुधा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि पहला इसमें सैलरी यूनिवर्सिटी से विदड्रा होती है, मेरे पास इसका वाउचर है और दूसरा इन वेटरों से पियून का भी काम लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि इसके अंदर 3700 से 5500 रुपए दिए जा रहे हैं और वहां कोई मैस का ठेकेदार नहीं है तो इस तरह से ये यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये कर्मचारी 15 से 20 वर्ष से बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और इनकी ड्यूटी भी सुबह 6 बजे शुरू होकर रात के 11 बजे खत्म होती है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं कि इनको डी.सी रेट दिलाने का कष्ट करें।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैंने पहले ही माननीय विधायक जी की बात को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया है। इन कर्मचारियों का वेतन से संबंधित एक

मामला लेबर कोर्ट में लंबित है, मुझे लगता है कि मार्च के अंत तक उसका निर्णय आ जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि लेबर कोर्ट से फैसला आने के बाद विधायक जी के साथ बैठकर और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के साथ बैठकर हम इस समस्या का समाधान करेंगे।

प्रो. रविंदर बलियाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मामला लेबर कोर्ट में उनकी सैलरी से संबंधित ही है, क्योंकि सैलरी उनको नहीं मिल रही है और उन्होंने कोर्ट में केस किया है। ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। यदि आप उनकी सैलरी को उनकी डिमांड के अनुसार डी.सी रेट पर कर देंगे तो यह मामला अपने आप ही निपट जाएगा, इसमे कोई बड़ी बात भी नहीं है। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूं कि आप कब तक उनकी डिमांड पूरी कर देंग।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि अभी जो सुभाष जी की चिंता है वही प्रोफेसर रविंद्र जी की भी चिंता है, हम लोग बैठकर इसका समाधान करेंगे।

.....

तारांकित प्रश्न संख्या – 1857

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्या श्रीमती नैना सिंह चौटाला सदन में उपस्थित नहीं थी।)

.....

To Promote the Woman Entrepreneurship

***1792 Sh. Jasbir Singh Deswal**. : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to promote the Women Entrepreneurship in State; if so, the details thereof ?

Finance Minister (Capt. Abhimanyu) : Sir, a statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The Government has taken several steps to promote women entrepreneurship in the State, which include the following:-

a. Under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) during the Financial Year 2016-17, till 31.12.2016, loans have been given by the banks to 97,405 beneficiaries in the State, out of which 44,108 that is 45.28% are women. In terms of value, out of the total disbursement of ` 1128.24 crore, an amount of ` 193.06 crore has been given to women.

b. Under Stand-Up India scheme, since its launch i.e. 5th April, 2016 till 31st December, 2016, 547 cases have been financed by various commercial banks amounting to ` 99.93 crore to women beneficiaries in the State.

c. Under the priority sector lending till December, 2016 the banks have provided an amount of ` 180.63 crore to women which is 9% of the total priority sector lending and is much above the national bench mark of 5%.

d. The State Government is providing one outstanding exporter award and one consolation prize to women exporter for excellent performance. This award has been enhanced from ` 1 lakh to ` 3 lakh and consolation prize from ` 21,000/- to ` 51,000/- under the Enterprises Promotion Policy, 2015.

e. Under the Prime Minister Employment Generation Programme, the margin money for women entrepreneurs has been kept at the low level of 5% of the project cost as compared to 10% for general category. Similarly, women entrepreneurs are being provided subsidy @ 25% and 35% of the cost of the project in urban and rural areas as compared to 15% and 25% for the general category. An amount of ` 3.21 crore has been disbursed as subsidy to 131 women beneficiaries during the financial year 2016-17 till 28th February, 2017.

f. Under the Haryana State Rural Livelihood Mission wherein women self help groups are being promoted to inculcate entrepreneurship, benefit has been provided to more than 85,000 poor rural women.

श्री जसबीर देसवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने टेबल पर जवाब रखा है उसमें बताया है कि महिला उद्यमियों के लिए मार्जन मनी परियोजना लागत 5 प्रतिशत ली जाती है जबकि सामान्य श्रेणी के उद्यमियों से मार्जिन मनी 10 प्रतिशत ली जाती है । यह पुरानी स्कीम है । इसमें मैं यह पूछना चाहता हूं कि हर परिवार के खर्चे बढ़ रहे हैं । क्या महिलाओं उद्यमियों को सक्षम बनाने के लिए कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे महिलाओं की आमदनी बढ़े और वे सशक्त हों ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तरफ हरियाणा वूमन एंड चाईल्ड डवैल्पमैंट कारपोरेशन के माध्यम से उनको लोन दिया जाता है और उस लोन पर केन्द्र सरकार तथा हरियाणा सरकार द्वारा सबसिडी दी जाती है। उसके अतिरिक्त भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड अप इण्डिया योजना और शिशु, किशोर एवं तरूण तीन अलग–अलग मद हैं जिनके तहत महिला उद्यमियों को लोन दिया जाता है जिससे हरियाणा में बहुत सारी महिलाओं को लाभ मिला है । यदि मैं सारे आंकड़े डिटेल में बताउंगा तो बहुत समय लग जायेगा । इसके अतिरिक्त हरियाणा के वन विभाग ने भी सैल्फ हल्प ग्रुप्स के माध्यम से पिछले वर्ष 16 करोड़ रुपये का सहयोग महिला उद्यमियों को दिया था और अभी भी सहयोग दे रहा है । इसी तरह से रैवेन्यू विभाग द्वारा भी यदि महिलाओं के सैल्फ हल्प ग्रुप के नाम जमीन ट्रांसफर होती है तो उसमें स्टैंप डयूटी पूरी तरह से माफ की जाती है । इसके अतिरिक्त प्लोट्स पर भी महिला उद्यमियों को स्टैम्प डयूटी में 2 प्रतिशत का रिबेट दिया जाता है । इस तरह का सहयोग हरियाणा में महिला उद्यमियों को दिया जा रहा है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, *** (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मेरा ऑब्जैक्शन है कि माननीय सदस्या गलत टिप्पणी कर रही हैं । इनको अपनी टिप्पणी वापिस लेनी चाहिए । इस महान सदन की अपनी परम्परायें हैं, मर्यादायें हैं और सदन की अपनी पद्वति है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को अपनी टिप्पणी वापिस लेनी चाहिए । हम हमेशा उनका सम्मान करते हैं । इसका मतलब यह नहीं है कि वे कुछ भी बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नही किया जाए।**

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो कहा है वह रिकार्ड से निकाला जाये और ये अपनी टिप्पणी वापिस लें । यह गलत तरीका है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी टिप्पणी वापिस लेती हूं । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें will the Child and Development Minister लिखा हुआ है । उसमें वित्त मंत्री लिख देते । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता भुक्कल जी ने अपनी टिप्पणी वापिस ले ली है, वह रिकार्ड न की जाये ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या सीनियर मैंबर हैं और इनको प्रश्नकाल के बारे में पूरी जानकारी है । यदि किसी प्रश्न में दूसरे विभाग के विषय ज्यादा होते हैं तो वह प्रश्न उस विभाग को ट्रांसफर किया जा सकता है । ऐसा ही इस प्रश्न में हुआ है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मेरा वित्तमंत्री जी से अनुरोध है क्योंकि अभी 6 तारीख को बजट भी पेश होना है इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बजट में विशेष प्रोविजन किया जाये । सरकार द्वारा बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ, स्टैण्ड अप इण्डिया आदि जैसी बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं । मेरी केवल यही मांग है कि सैल्फ हल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए स्पेशन बजट का प्रोविजन किया जाये । इसके साथ–साथ जो प्रोडक्ट सैल्फ हल्प ग्रुप बनाते हैं वे केवल प्रदर्शनी के लिए न रखे जायें बल्कि उनको बेचने के लिए अच्छी मार्केट भी प्रोवाईड करवाई जायें।

.....

To Open a Government Girls College

***2000. Sh Rajdeep Phogat. :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government College for Girls in the building constructed in the village Bhairwi (Charkhi) in the name of Kisan Model School near Dadri; if so, the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान्; इसलिए प्रश्न का यह अंश उत्पन्न ही नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री राजदीप सिंह फौगाट को यह बताना चाहूंगा कि भैरवी में किसान मॉडल स्कूल के नाम से एक प्राईवेट संस्थान ने बिल्डिंग बनाई है। इसमें महिला महाविद्यालय खोलने का न तो उनका कोई प्रस्ताव है और न ही सरकार की ही ऐसी कोई योजना है।

श्री राजदीप सिंह फौगाट : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि यह बिल्डिंग लगभग तीन साल पहले ही बनकर तैयार हो चुकी है। जैसा कि मंत्री जी बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग में किसान मॉडल स्कूल नहीं खोला जायेगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि चरखी दादरी अब नया–नया जिला बना है। सरकार की अपनी योजना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला कॉलेज बनाया जाये। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर वे इस बिल्डिंग में किसान मॉडल स्कूल नहीं खोलना चाहते तो फिर इस बिल्डिंग में एक महिला महाविद्यालय ही खोल दिया जाये। अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे दादरी क्षेत्र की लड़कियों का बहुत ज्यादा फायदा होगा। दादरी सबसे बड़ा उप–मण्डल रहा है और अब जिला भी बन चुका है। इसलिए मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस बिल्डिंग में महिला महाविद्यालय खोल दिया जाये।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि भाई राजदीप जी का कंसर्न है, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने दादरी जिले का निर्माण डंके की चोट पर किया है। इसके पीछे हमारी सरकार की विकासात्मक सोच काम कर रही है। पिछले विधान सभा चुनावों में श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ और श्री सुखविन्द्र सिह श्योराण ने दादरी को जिला बनाने की मांग को बड़े जोर–शोर से उठाया था। (विघ्न) दादरी जिले में राजकीय महाविद्यालय, बाढ़ड़ा में बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। वहा पर 1000 की संख्या में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं। ऐसे ही राजकीय महिला महाविद्यालय, मतलौड़ा, मोखरा और असन्ध में भी चल रहे हैं। जो भैरवी गांव में बिल्डिंग बनाई गई है यह आरोही विद्यालय के लिए बनाई गई है। इसलिए हम उसमें महिला महाविद्यालय के लिए प्रावधान नहीं कर सकते।

श्री राजदीप सिंह फौगाट : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि यह बिल्डिंग किसान मॉडल स्कूल के लिए बनी थी।

सरकार ने इसके लिए मना कर दिया। हैड ऑफिस से डी.ई.ओ. और बी.ई.ओ. के पास पत्र गया कि हम इस बिल्डिंग में किसान मॉडल स्कूल नहीं बना रहे हैं। इसलिए आप इसकी जगह किसी और योजना के बारे में बतायें। वहां के डी.ई.ओ. और बी.ई.ओ. ने यही जवाब भेजा था कि वहां पर महिला महाविद्यालय बन सकता है। इस आशय का पत्र आपके पास रिकार्ड में उपलब्ध होगा। मैं तो माननीय मंत्री जी से बार–बार यही मांग करूंगा कि वहां पर महिला महाविद्यालय की जल्द से जल्द स्थापना की जाये। इसके साथ ही साथ मेरी माननीय मंत्री जी से पिछले दो साल से एक मांग लगातार रही है कि सरूपगढ़–सातौर के विद्यालय का दर्ज़ा बढ़ा दिया जाये। चूंकि ये स्वयं उस गांव के भानजे हैं, इसलिए ये मुझे भी अपना रिश्तेदार बताते हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरी पुनः–पुनः यह मांग है कि सरूपगढ़ सातौर के विद्यालय का दर्जा बढ़ाने की कृपा करें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भाई राजदीप जी फौगाट बहुत होनहार हैं। इन्होंने पिछले सदन में भी इस बारे में मांग की थी यह बात मैं स्वीकार करता हूं। मैं इस बार इनको साथ बिठाकर ले जाऊंगा और इनको क्रैडिट दिलाकर सरूपगढ़–सातौर के विद्यालय का दर्ज़ा बढ़ाऊंगा।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मंत्री बहुत दमदार हैं यह मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं। मैंने इस बात को पिछले सैशन में यहां पर विधान सभा के सदन में भी उठाया था और माननीय मंत्री जी को इस बारे में एक पत्र भी लिखा था कि जो पोखरवास जनजूही है वहां पर भी एक महिला महाविद्यालय की स्थापना के लिए मैंने मंत्री जी से अनुरोध किया था क्योंकि वहां पर आस–पास कोई भी महिला महाविद्यालय नहीं है। वहां पर जो निकटतम महिला महाविद्यालय है उसकी दूरी 50 किलोमीटर है। सरकार द्वारा इतनी जगहों पर महिला महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है इसलिए मेरा मंत्री जी से पुनः–पुनः अनुरोध है कि उनकी जायज डिमाण्ड को ध्यान में रखते हुए वहां पर भी एक महिला महाविद्यालय की अतिशीघ्र स्थापना के लिए आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें। ये हमारे इलाके के हैं इसलिए इनको हमारे मामले में तो ज्यादा से ज्यादा दरियादिली दिखानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मंत्री जी तो परमानैंट तौर पर आपकी फेवर मे रहते हैं। मंत्री जी, किरण जी के सवाल के बारे में आपका क्या जवाब है?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बहन किरण चौधरी एक बहुत ही कम्पीटैंट विधायक हैं। पोखरवास के लिए बहन किरण चौधरी जी का पत्र मेरे पास आया था। ये सही ट्रैक पर चलती हैं लेकिन सही ट्रैक से कभी तो बहन गीता भुक्कल जी इनको बहका देती हैं और कभी बहन शकुंतला खटक जी बहका देती हैं लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने आपको सम्भाले हुए हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बहन किरण चौधरी जी को बताना चाहूंगा कि पोखरवास में महिला महाविद्यालय खोलने के लिए इनका जो पत्र मेरे पास आया था वह सरकार के विचाराधीन है।

.....

To Start the UKG and LKG Classes

***1888. Sh.Kehar Singh. :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start U.K.G. and L.K.G. classes in the Ensuing Academic Session in the state ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नही, श्रीमान् जी, अध्यक्ष महोदय, हालांकि विभाग का जवाब 'ना' में है फिर भी मैं माननीय साथी श्री केहर सिंह को बताना चाहूंगा कि एल.के.जी. और यू.के.जी. की नये सत्र से शुरू होने वाली कक्षाओं के लिए हम जिला मुख्यालय पर परिस्थितियों के अनुसार विचार करेंगे ।

श्री केहर सिंह : धन्यवाद सर ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब प्रश्न काल समाप्त होता है ।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Houses under Dindayal Jan Awas Yojna

***1849. Sh. Umesh Agarwal. :** Will the Chief Minister be pleased to state the districtwise extent of land on which the houses are proposed to be constructed under Dindayal Jan Awas Yojna togetherwith the number of Builders who have applied for the said scheme togetherwith the districtwise details of the applications received and licences issued?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, दीनदयाल जन आवास योजना (डी.डी.जे.ए.वाई) के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए विशिष्ट रूप से कोई भूमि चिह्नित नहीं की गई है। नीति के अन्तर्गत निम्न तथा मध्यम क्षमता शहरों की अधिसूचित विकास योजनाओं के रिहायशी अंचल में सस्ती प्लॉटिड आवासीय कालोनी स्थापित करने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत कालोनियां रिहायशी अंचल के शुद्ध योजनागत क्षेत्र के 30 प्रतिशत तक अनुमत हैं।

प्राप्त आवेदनों का जिलावार विवरण, जारी किए गए लाईसैंसों तथा बिल्डरों की संख्या सहित अनुबंध 'क' में दिया गया है।

अनुबंध 'क'

डी.डी.जे.ए.वाई के अन्तर्गत प्राप्त लाईसैंस आवेदनों की स्थिति रिर्पोट							
क्रम संख्या	जिला	कुल प्राप्त आवेदन	बिल्डरों की संख्या	वापसी / अस्वीकृत	जारी किए गए एल.ओ.आई	जारी किए गए लाईसैंस	शेष लाईसैंस आवेदन (3–(5+6+7))
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अम्बाला	20	17	8	1	0	11
2.	चरखी दादरी	1	1	0	0	0	1
3.	फतेहाबाद	4	2	0	0	0	4
4.	गुडगांव	6	6	2	2	0	2
5.	हिसार	1	1	0	0	0	1
6.	झज्जर	24	15	5	3	3	13
7.	जींद	3	2	0	0	0	3
8.	करनाल	40	22	10	4	0	26
9.	कुरूक्षेत्र	8	7	4	0	0	4
10.	मेवात	4	3	0	0	0	4
11.	पलवल	17	12	5	4	0	8
12.	पंचकुला	4	3	4	0	0	0
13.	पानीपत	1	1	1	0	0	0
14.	रेवाड़ी	37	23	4	4	0	29
15.	रोहतक	18	14	3	1	0	14
16.	सिरसा	1	1	1	0	0	0
17.	सोनीपत	4	4	0	3	0	1
18.	युमनानगर	17	14	7	1	0	9

	कुल	210	148	54	23	3	130

.....

Sex Ratio In Haryana

***1891. Sh Naresh Kaushik.** : Will the Health Minister be pleased to state :

(a) the sex ratio in Haryana before starting the tseti Bachavo Beti Padao' yojna togetherwith the extent of improvement reported so flar; and

(b) the sex ratio at present in each District alongwith the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : महोद्य बयान सदन के पटल पर रखा गया है।

बयान

(क) हरियाणा राज्य मे ंजन्म के समय का लिंगानुपात 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं ' योजना के आरम्भ होने से पहले कलैण्डर वर्ष दिसम्बर 2014 में 871 था। यह दिसम्बर 2016 तक 900 हो गया है, जिसमें याजेना के शुभारम्भ होने के बाद 29 अंको ंका सुधार हुआ है।

(ख) प्रत्येक जिले में वर्ष 2016 का लिंगानुपात इस प्रकार हैः–

क्रमांक	जिला	दिसम्बर 2016 तक
1	अम्बाला	912
2	भिवानी	895
3	फरीदाबाद	895
4	फतेहाबाद	918
5	गुड़गावं	883
6	हिसार	913
7	झज्जर	884

8	जीन्द	900
9	कैथल	887
10	करनाल	908
11	कुरूक्षेत्र	859
12	मवेात	912
13	नारनौल	850
14	पलवल	913
15	पंचकूला	923
16	पानीपत	
17	रेवाड़ी	870
18	रोहतक	905
19	सिरसा	935
20	सोनीपत	901
21	यमुना नगर	898
हरियाणा राज्य		900

.....

***1898 Sh. Naseem Ahmad:** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start Mobile O.P.D. in Mewat area; if so, the time by which it is likely to be started together with the details of location thereof?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान

.....

Back-log of vacant posts of SC/BC

***1959.Sh. Balwant Singh. :** Will the Minister of State for Welfare of SC/BC be pleased to state whether the Government intends to fill-up the back-log of vacant posts of SC/BC categories by initiating a special drive.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : श्रीमान् जी, हां।

.....

To Open ANM/GNM Training Centre

***1921. Smt Latika Sharma.** :Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open an ANM and GNM training centre in Kalka; if so, the time by which it is likely to be opened ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हां श्रीमान् जी, भारत सरकार से सुनिश्चित अनुमोदना प्राप्ति के दो वर्ष के अन्दर–2।

.....

To Metal the Roads

***1945. Sh. Ranbir Gangwa. :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the roads from village Kaimeri to Patan, Patan to Sirsana, Matershyam to Minganikhera, Daima to Bhagana, Gangwa to Dabra and Bura to Garanpura and to repair the road from village Gangwa to Arya Nagar road; if so, the details thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

1 .कैमरी से पातन सड़क के लिएः– श्रीमान जी, कैमरी से पातन सड़क के निर्माण की एक मुख्यमंत्री घोषणा है। सड़क के 31.03.2018 तक निर्मित किए जाने की संभावना है।

2. पातन से सिरसाना, मटेरश्याम से मिंगनीखेड़ा, दाईमा से भगाना, गंगवा से डाबड़ा तथा बूरा से गारणपुरा के लिएः– नहीं, श्रीमान जी।

3. गंगवा से आर्य नगर सड़क के लिएः– सड़क को वार्षिक रखरखाव कार्य के तहत हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 31.03.2017 तक यातायात योग्य बना दिया जाएगा।

.....

Construction of Gaushalas

***1903. Shri Bhisamber Singh. :** Will Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state:-

(a) the number of Gaushalas constructed in the State till to date together with the number of Gaushalas proposed to be constructed by the Government along with the amount spent on the construction of Gaushala so far; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Nandishala; if so, the details thereof?

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) :

(क) श्री मान जी, राज्य में 392 पंजीकृत गौषालाएं हैं। इनमें से अधिकतर गौशालाएं निजी ट्रस्टों, समितियों द्वारा निर्मित की गई हैं, फिर भी, जिनमें से 5 जिनके नाम गौरक्षा सदन, मेवई तथा नन्दी शाला ऊचां गांव फरीदाबाद में कामधेनु गौशाला कार्टरपुरी गुरूग्राम में, एक नंदीशाला सोनीपत में तथा एक गौशाला रोहतक में सम्बन्धित नगर निगमों द्वारा 678.66 लाख रूपये खर्च करके बनाई हैं।

(ख) सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से स्थानीय लोगों को नन्दी शालाओं की स्थापना में सहयोग कर रही है ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Annual Grant for Gaushalas

410. Shri Ram Chand Kamboj. : Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide annual grant for fodder for the cows in all the registered Gaushalas in the Haryana State together with the details of amount of annual grant being provided to these Gaushalas by the Haryana Government at present?

कृषि मन्त्री (ओमप्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी। फिर भी, हरियाणा गौ–सेवा आयोग द्वारा राज्य में विभिन्न गौशालाओं को निम्न अनुसार सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया गया हैः–

क्रम संख्या	वित्त वर्ष	सहायता अनुदान (राशि रुपये में)
1.	2014–15	1,85,21,000.00
2.	2015–16	3,19,16,500.00
3.	2016–17	1,47,10,800.00
कुल		**6,51,48,300.00**

.....

Juvenile Care Home

414. Shri Karan Singh Dalal. : Will the Women and Child Development Minister be pleased to state:

(a) whether Juvenile Care Homes exist in all administrative districts of Haryana; and

(b) if not, whether there is any proposal under consideration of the Government for providing such facilities in all districts?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) :

(क) नहीं श्रीमान्।

(ख) जिला उपायुक्तों को बाल सुधार गृहों की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीन चिन्हित करने के निर्देष जारी किए गए हैं ताकि इन गृहों का प्रस्ताव विचार/वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को भेजा जा सके।

Compensation to Farmers by Insurance Companies

423. Shri Parminder Singh Dhull. : Will the Agriculture Minister be pleased to state Season-wise and Constituency- wise details of the total amount disbursed as compensation to the affected farmers by the insurance companies operating under the PradhanMantriFasalBima Scheme in the State?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्री मान जी, मुआवजे के रूप में वितरित राशि के ब्यौरे निर्वाचन क्षेत्र–वार विभाग द्वारा तैयार नहीं किए जाते हैं। आज की तिथि तक निर्धारित स्थानिक दावों से सम्बन्धित जिला–वार सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

राज्य में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना में संचालित बीमा कम्पनियों द्वारा दावे के रूप में वितरित राशि को जिला–वार विवरण दर्शाया गया है।

क्रमांक	जिलें	क्लेम की राशि (लाख रुपये में)
1.	भिवानी	152.53
2.	फरीदाबाद	32.10
3.	रेवाडी	10.42
4.	कैथल	0.50
5.	कुरुक्षेत्र	19.82
6.	पचंकुला	0
7.	सिरसा	28.87
8.	गुरुग्राम	13.17
9.	हिसार	179.23
10.	जीन्द	57.75
11.	महेन्द्रगढ	0.94
12.	सोनीपत	34.78
13.	अम्बाला	0
14.	करनाल	0.64
15.	फतेहाबाद	21.82
16.	झज्जर	292.41

17.	मेवात	1.69
18.	पलवल	0.88
19.	पानीपत	5.92
20.	रोहतक	86.24
21.	यमुनानगर	46.3
कुल		986.01

.....

Problem of Water Logging

436.Shri Kehar Singh. : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that there is problem of water-logging in thousands acres of land of Jeeta Kherli, Kanoli, Sayaroli, Naurangabad, Mandkola, Madnaka, Ribad, Akbarpur Natol, Vidhawali, Mathepur, Huchpuri, Ransika, Jalalpur, Badha and Aharwan of Hathin Assembly constituency; if so, the time by which the above said problem is likely to be solved ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां, श्रीमान जी । दो गांव नामतः जीता खेरली व कानौली में सेम की समस्या के समाधान हेतु निविदाओं की मंजूरी प्रक्रिया में है । बाकी बचे हुए गांवों की समस्या के समाधान हेतु मामला विचाराधीन है ।

.....

To Open A Government Girls School

448. Sh. Rajdeep Phogat. : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Government School for girls in village Sankror of Dadri Assembly constituency; if so, the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नही, श्रीमान् जी, हरियाणा राज्य के दादरी विधान सभा क्षेत्र के गांव सांकरोड़ में कन्याओं के लिए नया प्राथमिक विद्यालय खोलने बारे विचाराधीन नहीं है।

To Constitute Real Estate Regulatory Authority

415. Sh. Karan Singh Dalal. : Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute Real Estate Regulatory Authority in the state; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constituted?

मुख्य मंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान,

(क) हां, श्रीमान।

(ख) छह महीने में।

.....

Total Expenditure on the Pravasi Haryana Sammellan.

437. Sh. Parminder Singh Dhull. : Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state :-

(a) The Total expenditure incurred on the Pravasi Haryana Sammellan in Gurugram ;

(b) Details of total persons invited on the event; and

(c) Whether the persons invited were offered free air tickets; if so, details of persons who were offered free air tickets?

उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्री (श्री विपुल गोयल) :

(क) राज्य सरकार द्वारा लगभग 9.30 करोड़ रूपये का खर्च किया गया था।

(ख) इ–मेल के माध्यम से 3000 से अधिक अप्रवासी भारतीयों को निमन्त्रण दिया गया था। आगे कोलकता, हैदराबाद, मुम्बई एवं नई दिल्ली में रोड शो किये गये थे तथा इन नगरों में विज्ञापन भी जारी किये गये थे। इस सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराने के लिए प्रवासी हरियाणवी (घरेलू एंव अन्तर्राष्ट्रीय) मुक्त थे।

(ग) हॉ, अनुबन्ध–I तथा अनुबन्ध–।। में वर्णित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निषुल्क हवाई यात्रा टिकटों की पेशकश की गई थी। जबकि अनुबंध–। में वर्णित 33 व्यक्तियों का निशुल्क हवाई टिकटों का खर्च राज्य सरकार द्वारा

वहन किया गया, अनुबन्ध–II में वर्णित 76 व्यक्तियों के हवाई यात्रा टिकट के लिए खर्च स्पोन्सरशिपों के माध्यम से वहन किया गया।

92 अनुबन्ध-1

Annexure-I

List of Haryana Gaurav Samman (HGS) Awardees / Speakers / KEY Mobilizers/delegates who were given free air tickets by the State Govt. for Pravasi Haryana Divas (PHD).

(A)	GIVEN RETURN INTERNATIONAL AIR TICKETS:-		
Sr No.	Name	Air Tickets from Town / Country	Status at PHD
1	Ranjeev Gupta	London / UK	HGS Awardee
2	Lalit Shokeen	NEW YORK / USA	-do-
3	Ravi Dutt Sharma	London / UK	-do-
4	Balinder Singh	New York / USA	-do-
5	Om Parkash Dhankhar	BOSTON / USA	-do-
6	Sandeep Chauhan	Nashville/USA	-do
7	Ritu Sheoran	MELBOURNE / AUSTRALIA	-do-
8	Vikas Sheoran	MELBOURNE / AUSTRALIA	-do-
9	Mahendra Pal Chaudhary	Aukland / NZ	-do-
10	Mrs. M.P. Chaudhary	Aukland / NZ	Spouse of Sr No.9
11	Rajinder Paul Lord Loomba	London / UK	Speaker
12	Sujit Singh	New York / USA	KEY Mobilizer
13	Gorav Aggarwal	Newark / USA	-do-
14	Gulshan Rai Chhabra	Newark / USA	-do-
(B)	GIVEN RETURN DOMESTIC AIR TICKETS :-		
1	Randeep Hooda	Bombay	HGS Awardee
2	Renuka Nayyar	Bombay	Associate of Sr No.1
3	Subhash Ghai	Bombay	Speaker
4	Mukta Ghai,	Bombay	Spouse of Sr. No.3
5	Sunil Buch	Bombay	Speaker
6	Milind R Aggarwal	Bombay	Speaker
(C)	Given one way ticket from Banglore to Delhi since they had come to attend Pravasi Bhartiya Divas on their own.		
Sr No	Name	Country from	Status at PHD
1.	Rajmal Parakh	Oman	Speaker
2.	Nandini Tandon	USA	Speaker
3.	Girish Pant	Dubai	NRI Delegate
4.	Rajpal Tyagi	Kuwait	-do-
5.	Sneh Lata Parakh	Oman	-do-
6.	Hina Trivedi	USA	-do-
7.	Mahen Utchana	Mauritius	-do-
8.	Pinakin Desai	France	-do-
9.	Rajaram Munuswamy	France	-do-
10.	Manimaran Ponnoussamy	France	-do-
11.	SV Chandrasekar	Malaysia	-do-
12.	Devarajan A	Malaysia	-do-
13.	Ravendran Arjunan	Malaysia	-do-

93 ANNEXURE-II अनुलग्नक-II

	List of International delegates who were offered free air tickets (Cost not borne by State Govt. but tickets arranged through sponsorship).		
Sr No	Name	Country Name	Status at PHD
1	Avan S Panwar	USA	NRI Delegate
2	Kiran Gulia	United Kingdom	NRI Delegate
3	Devendra Kumar	United Kingdom	NRI Delegate
4	Sher Singh Madra	USA	NRI Delegate
5	Deepak Narwal	United Kingdom	NRI Delegate
6	Kavita Malik	USA	NRI Delegate
7	Puneet Dureja	USA	NRI Delegate
8	RITU CHAUDHARY	USA	NRI Delegate
9	Anu Dalal	USA	NRI Delegate
10	Manjeet Kaur	USA	NRI Delegate
11	Jasbir Singh Saini	USA	NRI Delegate
12	Sunil Kumar Dahiya	USA	NRI Delegate
13	Nitasha Dahiya	USA	NRI Delegate
14	Preeti Joshi	USA	NRI Delegate
15	Narender Singh	USA	NRI Delegate
16	Sanjeev Jatain	USA	NRI Delegate
17	Parmod Kumar	USA	NRI Delegate
18	Balwan Narwal	USA	NRI Delegate
19	Nagesh Malik	USA	NRI Delegate
20	Dharmvir S Gehlaut	USA	NRI Delegate
21	satish kumar mittal	United Kingdom	NRI Delegate
22	kamlesh Kumari	United Kingdom	NRI Delegate
23	Vivek Chaudhary	United Kingdom	NRI Delegate
23	Sajjan Singh	United Kingdom	NRI Delegate
25	Kuldeep Ahlawat	United Kingdom	NRI Delegate
26	Rinku Dhankhar	United Kingdom	NRI Delegate
27	Harish Chander Bhutani	United Kingdom	NRI Delegate
28	Saroj Dahiya	United Kingdom	NRI Delegate
29	Sunita Dalal Choudhry	United Kingdom	NRI Delegate
30	Azad Kumar Kaushik	Canada	NRI Delegate
31	Rajinder Dahiya	United Kingdom	NRI Delegate
32	Anuraj Singh Nandal	United Kingdom	NRI Delegate
33	SARVESH SAINI	United Kingdom	NRI Delegate
34	Parveen Rani	United Kingdom	NRI Delegate
35	Kuldeep Singh	United Kingdom	NRI Delegate
36	Davender Attri	USA	NRI Delegate
37	Sarla Choudhry	United Kingdom	NRI Delegate
38	Phool Kumar	France	NRI Delegate
39	Bhupinder Kumar	USA	NRI Delegate
40	Jagbir singh balyan	USA	NRI Delegate
41	Arun Kumar	Australia	NRI Delegate
42	Bala Rani	United Kingdom	NRI Delegate
43	Vishvadeep n/a Kadian	United Kingdom	NRI Delegate
44	Anushmita n/a Kadian	United Kingdom	NRI Delegate
45	Rishi Ram Acharya	Canada	NRI Delegate
46	Harinder S Panaser	USA	NRI Delegate
47	GAURAV CHUG	USA	NRI Delegate
48	Ravi Hooda	Canada	NRI Delegate
49	ASHWANI KUMAR	USA	NRI Delegate
50	Indrajit Singh Saluja	USA	NRI Delegate

Sr No	Name	Country Name	Status at PHD
51	Vikram Jeet Singh	United Kingdom	NRI Delegate
52	Jogender Tushir-Singh	USA	NRI Delegate
53	Harinder S Panaser	USA	NRI Delegate
54	vinod Kumar Chhillar	United Kingdom	NRI Delegate
55	William Deswal	United Kingdom	NRI Delegate
56	Rohit Gaur	USA	NRI Delegate
57	Archie C Antil	United Kingdom	NRI Delegate
58	Nupur Jain	USA	NRI Delegate
59	Anshul Jain	USA	NRI Delegate
60	ALICIA G KAUR	USA	NRI Delegate
61	Manjit Singh Sandhu	United Kingdom	NRI Delegate
62	Balwan Dhankhar	Canada	NRI Delegate
63	Savatri Dhankhar	Canada	NRI Delegate
64	Veena Rani	scotland	NRI Delegate
65	Supriya Chhikara	Australia	NRI Delegate
66	Arvind Bhardwaj	Canada	NRI Delegate
67	Manvir Singh Dalal	United Kingdom	NRI Delegate
68	Suresh Kumar Aggarwal	Canada	NRI Delegate
69	KULDIP SINGH CHAHAL	United Kingdom	NRI Delegate
70	Mahendra Singh Chhikara	USA	NRI Delegate
71	Manoj Sharma	Australia	NRI Delegate
72	Taruna Singh Chaudhary	AUSTRALIA	NRI Delegate
73	Sajjan Singh	UK	NRI Delegate
74	Vivek Dabas	Australia	NRI Delegate
75	Sunil Timothy Kaushal	New Zealand	NRI Delegate
76	Ritika	USA	NRI Delegate

.....

To Open The Dispensary

449. Sh. Rajdeep Phogat. : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to open a dispensary in village Nimly,Narsinghwas and Sankror of Dadri Assembly constituency; if so, the time by which it is likely to be opened ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

विभिन्न मामले उठाना/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना

11:00 बजे

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आज वर्ल्ड वाइल्ड लाईफ डे है । हमारे पलवल जिले के कुछ गांवों में वनगायों का आतंक है वे भी वाइल्ड लाईफ में कवर होती हैं उनको घरों में नहीं रखा जा सकता । ये वनगाय किसानों की फसलों को बर्बाद करती हैं और अगर कोई इनको खेतों में से निकालने के लिए जाता है तो उसके ऊपर भी हमला कर देती हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनको पकड़

कर या तो गौशालाओं में छोड़ा जाये या कोई और इंतजाम किया जाये ताकि किसानों का जान माल का नुकसान न हो । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने गायों के लिए कुछ कदम भी उठाये हैं और कुछ कर भी रही है, हम गाय को माता मानते हैं । जिस प्रकार से नीलगाय किसानों की फसलों को बर्बाद करती हैं उसी तरह से वनगाय भी फसलों को बर्बाद करती हैं । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन वनगायों और नीलगायों की आबादी को कम करने के लिए कोई कदम उठाये जायें । नीलगाय और बंदरों आदि को तो सरकार ने वाइल्ड लाईफ में मान लिया है लेकिन वनगायों को वाइल्ड लाईफ में कवर नहीं किया गया है । आज वर्ल्ड वाइल्ड लाईफ डे है इसलिए सरकार की तरफ से इस बारे में कोई वक्तव्य दिया जाये तथा यह भी बताया जाये कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है?

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ग्वाल पहाड़ी के बारे में मेरा भी कालिंग अटैन्शन नोटिस है इसलिए मुझे भी सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति दे देना ।

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आपने जो गुरूग्राम में ग्वाल पहाड़ी की भूमि के स्वामित्व से सम्बन्धित कालिंग अटैन्शन नोटिस दिया है वह विचाराधीन है । यदि इस कालिंग अटैन्शन मोशन को स्वीकृत किया जाएगा तो आपको इस पर सप्लीमैंट्री पूछने की अनुमति दी जाएगी ।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी लगभग 2 दर्जन गावों में वनगायों का प्रकोप है इसलिए इसका कोई समाधान किया जाये । (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री द्वारा घोषणा

कृषि मंत्री (श्री ओमप्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, कल श्री रामचन्द कम्बोज विधायक ने अपने विधान सभा क्षेत्र में पशुओं की बीमारी पर सदन का ध्यान आकर्षित किया था । वहां पर इनके इलाके में बचेर, केहरवाला, मत्तुवाला, मम्मड़खेड़ा, ढुडियांवाली तथा सादेवाला गांवों में पशुओं को गलघोटू और मुंहखुर की तकलीफ हुई है । इनके इलाके में कुल 11801 पशु हैं । यह पता चलते ही हमने तुरन्त लाजपतराय यूनिवर्सिटी से डॉक्टरों की टीम वहां पर भेज दी है । वहां 1091 पशु इससे प्रभावित हुए हैं और 199 पशुओं की इस बीमारी से मृत्यु हुई है । इसमें से 48 पशु ऐसे थे जो दूध देने वाले थे । मैं सदन को बताना चाहूंगा कि वहां पर

डॉक्टरों की टीमें लगातार लगी हुई हैं । इससे लगभग महीना भर पहले सवा महीना पहले हिसार के गढ़ी गांव के पशुओं में भी ऐसी तकलीफ हुई थी । वहां भी इस बीमारी से 27 पशुओं की मृत्यु हो गई थी । कुल मिलाकर इस बीमारी से 226 पशुओं की मृत्यु हुई है । आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मैं इस सदन में मुख्यमंत्री राहत कोष से सभी दुधारू पशुओं के लिये 25 हजार रूपये प्रति पशु सहयोग करने की घोषणा करता हूं और जो गैर दुधारू पशु हैं उनके लिये 5 हजार रूपये प्रति पशु सहयोग की घोषणा करता हूं । इस कार्य में डॉक्टरों की टीमें लगातार लगी हुई हैं जिससे सारी स्थिति कंट्रोल में है । इसके अलावा विश्वविद्यालय की टीमें भी इस कार्य में लगी हुई हैं । इस इलाके के जो डॉक्टर्ज और वी.एल.डी.ए. जिम्मेवार थे और जिनकी इस वैक्सीनेशन में लापरवाही पाई गई है उन डॉक्टर्ज और वी.एल.डी.ए. को चार्जशीट कर दिया गया है ।

मान्यवर, कल माननीय जयप्रकाश जी ने एक नहरी विभाग का मुद्दा उठाया था। उनको जो जानकारी मिली उसी के हिसाब से इन्होंने यह मुद्दा उठाया था। इसमें मैंने उनको अतिरिक्त जानकारी देनी है । मैं इनको बताना चाहता हूं कि नहरी विभाग ने हर खेत को पानी देने के लिये एक प्रोजैक्ट बनाया है और उस प्रोजैक्ट का उद्देश्य यह है कि हर खेत को पानी मिले । जयप्रकाश जी का प्रश्न भी नहर विभाग के संबंध में था कि सिंचाई सिस्टम के लिये किसानों का प्रति एकड़ 50 हजार रूपये खर्च सैंग्शंड है । सोलर के अलग से 50 हजार रूपये सैंग्शंड है । इसमें नहर से पानी लेकर तालाबों में इकट्ठा करके सोलर सिस्टम पर मोटर लगाकर लगभग 200 एकड़ तक हर खेत को इस हिसाब से पानी का एक पाईप देना है जिससे वहां के किसान अपने खेतों में माईक्रो ईरीगेशन से सिंचाई कर सके । इस सिस्टम में पानी की अवेलेबिलिटी के लिए हमेशा के लिये तालाब में भर कर रखनी पड़ती है क्योंकि माईक्रो इरीगेशन के लिए पानी कभी सुबह चाहिए होता है और कभी शाम को चाहिए होता है । अभी हम ट्यूबवैलों के लिए बिजली की उतनी सप्लाई नहीं करते इसलिए हर समय बिजली की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उस सोलर सिस्टम का ग्रिड के साथ भी और अपना पावर बैकअप भी साथ होना जरूरी है । जिस समय बिजली नहीं होगी उस समय यदि पावर बैकअप नहीं होगा तो ग्रिड में बिजली नहीं जाएगी और हर समय बैटरी लगानी पड़ेंगी ताकि वह मोटर शाम के समय भी और बाकी समय भी चल सके । उस नाते से इस माईक्रो इरीगेशन सिस्टम पर अतिरिक्त खर्च है भारत सरकार ने इस सिस्टम की प्रशंसा

करते हुए यह कहा है कि हरियाणा की तरह बाकी राज्यों में भी इस प्रकार का अनुकरण होना चाहिए क्योंकि इस तरह की पहल हरियाणा राज्य की है । अभी हरियाणा का नहर विभाग अपने खाले से केवल एक सीमा तक पानी देने की बात करता है । अध्यक्ष महोदय, यह एक बदला हुआ सिस्टम है जिससे हरियाणा के किसानों को एक माईक्रो इरीगेशन सिस्टम पर लाया जाए और यह सारा काम नहरी विभाग अपने हाथ में ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, उस हिसाब से यह 15 पायलैट प्रोजैक्ट शुरू किये हैं । हम चाहते हैं कि आने वाले वर्ष में हर ब्लॉक में एक पायलैट प्रोजैक्ट शुरू हो जाए और जिससे इसकी आवृति बढ़ती चली जाए । सर, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी बिड वगैरह करके यह व्यवस्था की गई है । यह माईक्रो सिस्टम अधिक खर्चे का काम है और उसकी उसी हिसाब से व्यवस्था की गई है ।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो तालाबों में निकासी की बात की है उसको भी माईक्रो सिस्टम से जोड़कर कुछ ऐसा कर दीजिए कि जिन गांव में फाईव पोंड सिस्टम नहीं हो पा रहा है जमीन नहीं है, उनका भी कोई ऐसा सिस्टम कीजिए ताकि गांव का गन्दा पानी किसी ड्रेन वगैरह से दूर जा सके ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से यह योजना बनाई जा रही है । जहां–जहां भी जोहड़ों में पानी ज्यादा उपलब्ध है उसका 150–200 एकड़ भूमि तक उपयोग करने की योजना बना रहे हैं ।

श्री जयप्रकाश : ठीक है जी, धन्यवाद ।

विभिन्न मामले उठाना/ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना (पुनरारम्भ)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आजकल हर क्षेत्र में वनगायों और नीलगायों की बहुत भारी समस्या है । यह हरियाणा के किसानों के लिये और हरियाणा के लोगों के लिये बहुत बड़ी समस्या है । मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि अगर मंत्री जी जरा सा कोई एक्शन करेंगे तो इससे लोगों को राहत मिल जाएगी लेकिन अभी तक तो मंत्री जी को यह भी पता नहीं था कि हरियाणा में वनगाय भी हैं या नहीं । मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हरियाणा में वनगाय भी हैं और वह केवल पलवल में ही नहीं पूरे हरियाणा में हैं । पूरे झुण्ड के झुण्ड में हजारों गाय हैं । वह आवारा पशुओं की तरह चलती हैं

उनको कोई अपने घरों में नहीं रख सकता । मंत्री जी को इस बारे में कोई वक्तव्य देना चाहिए ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, करण सिंह दलाल हमारे माननीय साथी हैं जिन पर ब्रज भाषा का असर है । यह वनगाय नहीं रानी गाय हैं । इसको वनगाय नहीं रानी गाय कहते हैं । नीलगाय अलग हैं । यह रानी गाय हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जो को बताना चाहूँगा कि जिन गांयों को वे रानी गांय कह रहे हैं, उन गांयों को हमारे जिले में वन गाय कहते हैं। यह हो सकता है कि मंत्री जी के क्षेत्र में रानी गांय कहते होंगे।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, क्षेत्र के हिसाब से अलग–अलग नाम भी हो सकते हैं।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, वाईल्ड लाईफ डे मना रहे हैं परन्तु वाईल्ड लाईफ डे तभी बन सकता है जब हमारे फारेस्ट इंटेक्ट हों । वर्ष 2004 में जंगलात के लिए 500 एकड़ से ज्यादा जमीन को नोटिफाई किया गया था। मुझे उस समय बड़ी खुशी हुई थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि मांगर और अरावली पूरे वर्ल्ड का इकोलोजिकल सेंसेटिव जोन है इसलिए हम इनकी एक इंच जमीन भी इधर से उधर नहीं होने देंगे लेकिन अब जबकि सेंसेटिव जोन की 85 एकड़ लैंड की डीनोटिफिकेशन की जा रही है तो इस परिपेक्ष्य में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सेंसेटिव जोन की इस 85 एकड़ लैंड की डीनोटिफिकेशन क्यों की जा रही है जबकि प्रदेश में फारेस्ट कवर पहले से ही बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, सब जानते हैं कि फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के लिए सड़कों के दोनों तरफ की पटड़ी पर भी पेड़ लगाये जाते हैं। इन परिस्थितियों में मांगर व अरावली जैसे सेंसेटिव जोन में 85 प्रतिशत लैड की डिनोटिफिकेशन करने का मतलब यह होगा कि इस जमीन को निजी हाथों में दिया जा रहा है। हरियाणा में 7 प्रतिशत फॉरेस्ट कवर है। बावजूद इसके इस तरह की कार्रवाई करके फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने की बजाय घटाने का काम क्यों किया जा रहा है। जब मंत्री जी अपना जवाब दें तो यह भलीभांति बतायें कि ऐसी क्या आपदा आन पड़ी है कि सेंसेटिव जोन की 85 एकड़ लैंड की डीनोटिफिकेशन की जा रही है।

लोक निर्माण मंत्री (राव नरवीर सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूँगा कि इसको बाकायदा तौर पर एग्जामिन करवाया जायेगा और बाद में इसकी जानकारी दे दी जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने प्रश्न किया है सरकार की तरफ से इसका स्पष्ट उत्तर तो आना ही चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दांगी जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि इसको एग्जामिन करवायेंगे और इस बारे में जानकारी दे दी जायेगी। अतः आप बैठिए।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ होगा।

श्री पिरथी सिंह नम्बरदार(नरवाना): अध्यक्ष महोदय, जनता अपना बहुमूल्य वोट देकर सरकार बनाती है। ऐसी अवस्था में सरकार का भी दायित्व है कि वह जनता को उसकी मूलभूत सुविधायें प्रदान करे। वर्तमान सरकार को सत्ता में आए हुए अढ़ाई साल का समय हो चुका है लेकिन जनता को मूलभूत सुविधायें प्रदान करने की एवज में कुछ नहीं किया गया है। हमारे सत्ता पक्ष के साथी बड़े जोर–शोर से प्रशंसा करते हैं कि सरकार ने प्रदेश में बहुत ज्यादा काम किया है लेकिन जब हम गांव में जाकर देखते हैं तो दूसरी तस्वीर ही नज़र आती है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में टेल तक पानी पहुंचाने का वायदा किया था। मैंने पिछले सैशन में भी मेरे क्षेत्र में स्थित दिनोधी माईनर को भाखड़ा नहर के साथ जोड़ने की बात मंत्री जी के सामने रखी थी और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी गर्दन हिलाकर इसके लिए हां भरी थी लेकिन अफसोस है कि आज तक इस दिनोधी माईनर को भाखड़ा नहर के साथ जोड़ने का काम नहीं किया गया है जिसकी वजह से आज 15 गांवों के लोगों के लिए अपने खेतों में पानी लगाना तो दूर की बात है बल्कि पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि दिनोधी माईनर को भाखड़ा नहर से जोड़ने का काम जल्द से जल्द किया जाये। वर्ष 2004 में चौधरी औम प्रकाश चौटाला ने इस कार्य को मंजूर किया था। इसका रीवरबैड तक बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ एक नाका करने की बात ही रह गई है। पिछली कांग्रेस सरकार में भी इस विषय पर केवल मात्र राजनीति ही की गई थी लेकिन आज मैं एक बार फिर से माननीय मंत्री जी से अनुरोध और आशा करूंगा कि इस दिनोधी माईनर को भाखड़ा नहर से जोड़कर लोगों को राहत

पहंचायी जाये। इसके अतिरिक्त मैं एक और बात सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। दिनांक 12.3.2016 को मेरे हल्के के 10–12 गांव ओला वृष्टि की बिल्कुल तबाह हो गए जिसकी वजह से यहां के लोगों ने दालें भी मोल लेकर खाई और पशुओं का चारा भी मोल लेकर खिलाया। इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस बार तो हम खराब फसल का मुआवजा दे देंगे लेकिन आगे अगर कोई इस तरह से फसल का नुकसान होगा तो ऐसी हालत में जो किसान अपनी फसल का बीमा करवायेगा केवल उसी किसान को उसकी खराब फसल का मुआवजा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में ओलावृष्टि से जिन किसानों का नुक्सान हुआ था उनके नुकसान की भरपाई कब तक कर दी जाएगी ? स्पीकर सर, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री विज साहब से अपने क्षेत्र के हॉस्पिटल के बारे में इससे पहले भी दो बार कह चुका हूं । उन्होंने वहां पर डॉक्टरों की कमी को पूरा करने का आश्वासन दिया था । इस सरकार को बने अढ़ाई वर्ष हो चुके हैं मगर अभी तक डॉक्टरों की कमी को पूरा नहीं किया गया है । मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे डॉक्टरों की कमी कब तक पूरी कर देंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि नरवाना सामान्य अस्पताल 100 बिस्तरों का अस्पताल है लेकिन वहां पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं है । इस सामान्य अस्पताल में जरूरी सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है । इस वजह से मरीजों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है । वहां के लोगों को बीमार होने पर अपना इलाज कराने के लिए रोहतक, हिसार, चण्डीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता है । इस अस्पताल में एक्स–रे और अल्ट्रासाउंड मशीनों की सुविधा न के बराबर है । लोगों को डॉक्टरों द्वारा लिखे गए एक्स–रे और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कैथल या जीन्द जाना पड़ता है । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नरवाना सिविल अस्पताल में स्वीपर के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 12 है लेकिन वहां पर सिर्फ 6 स्वीपर ही काम कर रहे हैं । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर जनरल सर्जन, फिजीशियन, पैरा मैडिकल टैक्निशियन, गायनोकोलोजिस्ट व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ–साथ डिजिटल एक्स–रे मशीन की उपलब्धता भी जल्द से जल्द की जाए । स्पीकर महोदय, मैंने नरवाना के गांव अमरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के विषय में पहले भी कहा था । इस गांव की पंचायत ने

इसकी बिल्डिंग बनाने के लिए 4 एकड़ जमीन दी हुई है । खेद है कि इस स्वास्थ्य केन्द्र को गांव की सामान्य चौपाल में ही चलाया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अमरगढ़ गांव की इस बिल्डिंग का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा ? अध्यक्ष जी, इसके साथ ही नरवाना हलके के सिविल अस्पताल के इमरजैंसी वार्ड में एक बिल्कुल अनुभवहीन लड़के को बिठाया हुआ है । वहां पर डॉक्टर की कुर्सी खाली पड़ी रहती है और वह लड़का अपने आप ही मरीजों की पर्ची काटता है और उन्हें दवाई देता है । इस तरह से वह लड़का और डॉक्टर मिलकर लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । वहां पर उस डॉक्टर ने अपनी जगह पर उस लड़के को बिठाया हुआ है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि उस डॉक्टर और उस लड़के की जांच कराकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए । स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गांव उझाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग जर्जर हालत में है । उस बिल्डिंग में कुतिया और सूअरी अपने बच्चों को जन्म दे रही हैं । वहां पर केवल 2–3 कमरें बने हुए हैं जिनमें सिर्फ 8–10 कर्मचारी काम करते हैं । इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि इस इमारत को दोबारा से बनाकर उसमें आवश्यक सुविधाएं दी जाएं । स्पीकर सर, नरवाना हलके में विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा जैसे एम.एस.सी. इन कैमेस्ट्री, फिजिक्स, ज्योलॉजी, बोटनी और मैथमैटिक्स के विषयों में कोई व्यवस्था न होने के कारण यहां के हजारों छात्र–छात्राओं की प्रतिभा पर ग्रहण लग गया है । अतः आज की आवश्यकता अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास हेतु वैज्ञानिक शिक्षा समय की सर्वोत्तम मांग है । हमारे क्षेत्र के के.एम. गर्वमैंट कॉलेज में वर्तमान में 300 से ज्यादा बी.एस.सी. फाइनल नॉन मैडिकल और मैडिकल के विद्यार्थी अध्ययनरत्त हैं (जबकि वर्ष 2015 के उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 275 है पिछले तीन सत्रों के विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1000 के पार है जिनमें से अधिकतर दूर–दराज के गांव से आने वाली लड़कियां हैं इनमें 50 प्रतिशत से अधिक छात्राएं बी.एस.सी. पास है)। नरवाना क्षेत्र के आस–पास कहीं भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें एम.एस.सी. कैमेस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी इत्यादि विषय पढ़ाये जाते हों । हमारी वैज्ञानिक प्रतिभा व्यवस्था के अभाव में दम तोड़ रही है । आज की गला–काट प्रतियोगिता के जमाने में छात्र योग्य होते हुए भी पीछे रह जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा विधान सभा सत्र में दिनांक 21 फरवरी, 2014 को फूल सिंह खानपुर

युनिवर्सिटी के अन्डर्टेकिंग कन्या गुरूकुल खरल के रीजनल सैन्टर की अनाउंसमैंट की गई थी और वहां कक्षाएं लगनी भी शुरू हो चुकी थी (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पिरथी सिंह जी, आपको बोलते हुए लगभग 8 मिनट हो गये हैं । अतः अब आप प्लीज वाइंड अप कीजिए ।

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, रीजनल सैंटर के लिए 31 एकड़ जमीन खानपुर यूनिवर्सिटी के नाम करवा रखी है लेकिन उस जमीन पर अब तक कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है और न ही कन्या गुरूकुल खरल के अल्डर्टेकिंग का काम तेजी से नहीं चल रहा है । इसके अतिरिक्त मौजूदा स्टाफ को वहां पर बिना तनख्वाह के काम करना पड़ रहा है । अतः मेरी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया जाये । इसके अतिरिक्त वहां पर अन्य कोर्सिज भी शुरू किये जायें एवं गुरूकुल के अन्डर्टेकिंग स्टाफ की यथाशीघ्र तनख्वाह भी शुरू की जाए । माननीय स्पीकर महोदय, नरवाना के.एम. गर्वमैंट कॉलेज में स्टाफ की भारी कमी है । इसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है । अध्यक्ष जी, इस कॉलेज में स्टाफ की कुल संख्या 80 के आस–पास है जबकि वहां अभी केवल 20–22 रैगुलर प्रोफैसर ही पढ़ा रहे हैं और 9–10 गैस्ट प्रोफैसर हैं । अध्यक्ष जी, यहां बच्चों की कुल संख्या लगभग 3300 है । स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि इस कॉलेज में मैथ डिपार्टमैंट में एक ही टीचर पढ़ाता है । वह टीचर भी गैस्ट टीचर के तौर पर लगा हुआ है । इसी तरह फिजिक्स की क्लास को भी एक ही गैस्ट टीचर पढ़ाता है । वहां कैमेस्ट्री डिपार्टमैंट में भी कुल पदों की संख्या 14 है जबकि अभी सिर्फ 3 प्रोफैसर ही पढ़ा रहे हैं । इसी तरह वहां के सभी विभागों में प्रोफैसर्ज की कमी है । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हमारे नरवाना गवर्नमैंट कॉलेज में इन रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए । माननीय स्पीकर महोदय, नरवाना विधान सभा क्षेत्र के गांव फरैण कलां में एक गवर्नमैंट हाई स्कूल है । इस स्कूल में बच्चों की संख्या भी ज्यादा है और इस गांव की आबादी भी काफी ज्यादा है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि गांव फरैण कलां के गवर्नमैंट हाई स्कूल को अपग्रेड करके सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल का दर्जा प्रदान करने का काम करे क्योंकि यहां पर सरकार की हिदायत के अनुसार जमीन व कमरों से सम्बन्धित किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है क्योंकि ये सभी चीजें यहां पर पहले से ही मौजूद है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पिरथी सिंह जी, अब आपको बोलने के लिए और ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता क्योंकि आप पहले ही बहुत समय तक बोल चुके हैं । (विघ्न) मैंने आपको

पहले भी वाइंड अप करने के लिए कहा था लेकिन आपने वाइंड अप नहीं किया । मुझे सदन के अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलने के लिए समय देना है । अब आपकी इन मांगों से सम्बन्धित जितने भी कागज–पत्र हैं इन्हें सदन के पटल पर रख दीजिए । इन्हें सदन की कार्यवाही में एड कर दिया जाएगा ।

***श्री पिरथी सिंह :** ठीक है अध्यक्ष जी, मैं अपनी मांगों से संबंधित सभी कागज–पत्र सदन की टेबल पर रखता हूं । आप इन्हें सदन की कार्यवाही में एड करवा दीजिए । आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

माननीय स्पीकर महोदय हरियाणा राज्य में 1956–57 में गांवों में जो नजूल भूमि थी वो अनुसूचित जातियों के लोगों को एस0सी0एल0ओ सहकारी समीतियां रजिस्टर्ड करवाकर (रजिस्ट्रार सहकारी समीतियां चण्डीगढ़ पंजाब) जो अब हरियाणा में भी लागू है अनुसूचित जातियों के लोगों को उनका सदस्य बनाकर जिन–जिन जिलों में ऐसी जमीनें थी वो उनको अलाट की गई थी। उन जिलों में मेरा जिला जीन्द भी शामिल है। इन सहकारी समीतियों को कार्य करते हुए 56 वर्ष हो चुके है इनके अब मूल सदस्य भी जीवित नहीं है बहुत सारे इन सदस्यों के जो वारिस सदस्य बनाऐ गऐ थे वो भी जीवित नहीं है और उनके वारिस भी जीवित नहीं है उनके आगे कई–कई वारिस परिवार बड़े होने के कारण बन गऐ है। जमीनों के छोटे–छोटे टुकड़े हो चुके है इन वारिस व अन्य सदस्यों के साथ भी अदालतों में मुकद्में चल रहे है 1956 में जो मूल सदस्य बनाऐं गए थे लगभग उनकें ही वारिसों के नाम यह भूमि अब भी अलाट है। मैं स्पीकर महोदय की अनुमति से सरकार से जाना चाहता हूँ कि इन दिन–प्रतिदिन के झगड़ों के निपटाने के लिए व गरीब जातियों के अवांछित खर्चे बढ़ रहे है। जबकि इन सोसायटीज की तरफ सरकार का कोई बकाया नहीं है मेरी सरकार से मांग है कि असल मेम्बरों के नाम इन जमीनों की तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री इन लोगों के नाम करवा दी जावे ताकि यह समस्या सदा–सदा के लिए खत्म कर दी जावे और इनका भाईचारा भी कायम रहे और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यह कब तक कर दिया जाएगा? माननीय स्पीकर महोदय नरवाना हल्के में 12 जनवरी से 16 फरवरी तक लगभग 5 खूंखार वारदातों को बदमाशों द्वारा अंजाम दिया जा चुका है जिसमें लोगों को अपने जान–माल का काफी नुक्सान उठाना पड़ा है । भगवान की कृपा से गोलियां लगने

.....

* चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।

के बाद भी तीन लोग तो बच गए मगर 15 फरवरी को हल्के के गांव भिखेवाला में शराब की दुकान पर बैठे सैल्समेन की हत्या कर दी गई। इस एक महीने में एक के बाद एक होती वारदातों के बाद भी कानून व प्रशासन इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है जिससे बदमाश प्रवृति के लोग आए दिन एक नई वारदात को अंजाम दे जाते है कानून की इस लचर प्रक्रिया से लोगों में खासकर व्यापारी वर्ग में काफी रोष है जिससें आज नरवाना हल्के के लोग सदमे में जी रहे हैं व अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कि नरवाना के बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाऐं और लोगों को सुरक्षित महौल देने का काम करें। माननीय स्पीकर महोदय हमारे नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गांव बेलरखां, कान्हाखेड़ा, कर्मगढ़, ईस्माईलपुर, खानपुर, फुलियां कलां, खुर्द, फलौदां कलां, कलौदा खुर्द, फरैण कलां, धरौदी व उझाना जैसे गांवों व शहर की बाहरी कालोनीज के लोगों को पीने के पानी की भारी समस्या से जुझना पड़ता है। इन गांवों में पीने के पानी की सप्लाई थोड़ी बहुत आती है और वह पानी भी पीने के लायक नहीं होता। क्योंकि इन गावों के पानी के टी0डी0एस0 काफी मात्रा में बढा हुआ है अभी कुछ दिन पहले ही गांव बेलरखां में 150 लोगों की जांच रोहतक पीजीआई से आई टीम द्वारा की गई। जिसमें हैपेटाइटिस सी के करीब 30 मरीज पाए गए। जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया है कि जिस पानी में टी0डी0एस0 की मात्रा 600 से ऊपर हो वह पानी पीने के लायक नहीं होता। स्पीकर सर, आपको जानकार हैरानी होगी कि कुछ गांवों में तो टी0डी0एस0 की मात्रा 2800 से 3000 के लगभग है जिसेसे पता चलता है कि इन गावों के लोग किस प्रकार पानी नहीं जहर पीने को मजबूर हैं । मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी जांच करवाकर इन गांव के लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। माननीय स्पीकर महोदय, हरियाणा में 105 मार्किट कमेटी है । बेरी हल्के की सबसे लास्ट में मार्किट कमेटी बनाई गई है जबकि नरवाना क्षेत्र के गांव धमतान साहिब की अनाज मंडी आज भी सब यार्ड है यह सब यार्ड काफी पुराना सब यार्ड है इस सब यार्ड की 5 साल की आमदनी 9 करोड़ रुपये है जबकि बेरी की आमदनी इससे आधी है इस अनाज मंडी से नरवाना और टोहाना दोनों शहरों की मंडियां लगभग 15–20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है धमतान अनाज मंडी में आस–पास के लगभग 20–25 गांवो के किसान अपनी फसल बेचने के लिए प्रत्येक सीजन में यहां आते है गेहूं के सीजन में तो इस मंडी

में इतना बुरा हाल है कि किसानों को अपनी फसलें कच्चे में ही उतारनी पड़ती है क्योंकि सरकार की और से इस मंडी में आज तक कोई फर्श नहीं बनाया गया, यह बिल्कुल कच्ची है। यह अनाज मंडी सब यार्ड के तौर पर काफी पुरानी मंडी है मेरा सम्बंधित मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस मंडी को पक्की मंडी का दर्जा दिया जाएँ तथा मार्किट कमेटी का कार्यालय भी खोला जाए। धन्यवाद ।

श्रीमती प्रेमलता (उचाना कलां) : आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं । महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण अनेक दृष्टियों से ऐतिहासिक है और उसमें आज के संदर्भ में जिन बातों का वर्णन किया गया है वे अपने आप में अभूतपूर्व हैं । आज स्वर्ण जयंती के अवसर पर हरियाणा प्रदेश अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है । राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हरियाणा की यात्रा के 50 प्रगतिशील वर्ष और संघर्ष को बयान करती है । इससे हमें पता लगता है कि जब हम पंजाब से अलग हुए थे तो उस समय हम कहां खड़े थे और आज हम किस मुकाम पर पहुंच चुके हैं । इसलिए हरियाणा को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों के रूप में आगे बढ़ रहा है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि हम उस भूमि से संबंध रखते हैं जिसमें गणतंत्र की और हमारे जीवन की एक अलग शैली रही है । हरियाणा प्रदेश की स्थापना से पहले और आज से 1400 साल पहले एक राजा हर्षवर्धन हुए थे । उनकी राजधानी थानेसर थी । यह स्थान कुरूक्षेत्र के पास है । इस राज्य से पहले यहां पर गणतंत्र की व्यवस्था थी और उसी वजह से गण से गणतंत्र बना था। गणतंत्र को उस समय पंचायत कहते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी हरियाणा में प्रजातांत्रिक व्यवस्था हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और इसीलिए हरियाणा बनने के बाद हरियाणावासियों को अपने जीवन में उन्हीं मान्यताओं से जोड़कर 50 साल में मिलकर हमने जो भाईचारा और सौहार्द के वातावरण को मजबूत किया है, वह अपने आप में एक सराहनीय कदम है। जब हरियाणा बना था उस वक्त हम 2 लाख टन अनाज बाहर से मंगाते थे। आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि हमारी उसमें 9 गुणा की वृद्धि हुई है चाहे वह चावल हो या गेहूं हो। देश के भंडारण में हम अपना लगभग 23 प्रतिशत का योगदान करते हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक स्वस्थ और मजबूत प्रजातंत्र देने के लिए प्रदेश की जनता के योगदान की बात है तो इन्होंने हमें प्रगतिशील कहलवाया है जिसकी

वजह से आज हम कृषि, उद्योग तथा खेलों में और देश की रक्षा करने वाली सेनाओं में अग्रणी हैं। प्रदेश के जवान बलिदान देने में पीछे नहीं रहते। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश का 10 वाँ व्यक्ति देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलों में पदक लाने में हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों में दीपा मलिक, साक्षी मलिक, गीता फौगाट, बबीता, वीरेन्द्र सहवाग या रेसलिंग में योगश्वर दत व सुशील कुमार तथा बाक्सिंग में बिजेन्द्र सिंह हों अनेक ऐसे खिलाड़ियों ने अपनी मेहतन व लगन से देश का नाम रोशन किया है। हमारे देश की युवतियां भी बड़ी प्रतीभाशाली क्षमता से देश को सम्मान दिलाने में अद्वितीय रही हैं। इस उभरते हुए खेल जगत में हमारी सरकार की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। इसके लिए मैं हमारे माननीय खेल मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं जिनकी वजह से हमारी खेल नीति बनायी गयी है उसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए धनराशि देने का प्रावधान किया गया है तथा सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया गया है तथा प्रशिक्षकों को भी सरकार की तरफ से सम्मान मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी अभी पिछले दिनों मैं हालैंड की यात्रा पर गयी थीं। जिसकी आबादी मुशिकल से 4 करोड़ है लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से वह हरियाणा से डेढ गुना बड़ा है, परन्तु वह एक देश है। वहां पर लगभग 1000 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम हैं, इसलिए जब भी ओलंपिक के खेल होते हैं चाहे वह हाकी हो, फुटबाल हो या एथेलेटिक्स के खेल हों उनमें ही हालैंड वर्ल्ड चैंपियन बनता है । अगर इस तरह की सुविधाएं हमारे बच्चों को भी मिल जाएं तो हम देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी नाम कमा सकते हैं और हमारा हरियाणा अलग पहचान बना सकता हैं। जहां तक लड़कियों की बात हैं, हम इस बात के लिए बदनाम हैं कि हमारे प्रदेश में ऑनर किलिंग की जाती है। मैं इसका विरोध करती हूं क्योंकि हम तो ओपन सोसायटी में रहते हैं। हमारी सरकार ने तो इंटर कास्ट मैरिज करने के लिए एक लाख रूपये की राशि देने की घोषणा की हुई है। यह एक प्रगति की ही वजह से है। हमारे लिए इस तरह की बातें करना कि हम बेटियों को पीछे रखते हैं ऐसी बात नहीं है क्योंकि हमारी बेटियां चाहे खेल जगत में हो, फौज में हो, एयर फोर्स में हो या पुलिस में हों, सभी में वे बराबर की हिस्सेदार होती हैं। हमारी सरकार बेटियों को आगे बढाने के लिए नये–नये कार्यक्रम चला रही है। प्रधानमंत्री जी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' के नारे को सार्थक किया है। जिसकी वजह से पहले लिगांनुपात 1000

लड़कों पर 836 लड़कियों का था, अब वह बढकर 900 का आंकड़ा पार कर गया है। शादी में भी 51000 रूपये का शगुन दिया जाता है। पेंशन अच्छी मिलती है, दिव्यागों को अच्छी सुविधाएं हैं, जन धन योजना के तहत हरियाणा में 80 लाख के लगभग खाते खोले गये हैं। जहां लोगों के खाते में पेंशन सीधी आती है। देश में पहली बार ऐसी लीडरशिप मिली है जिससे देश को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दिशा मिली है। जन धन योजना, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया आदि सभी स्कीमों के माध्यम से देश के युवाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए देश की सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने यह ऐसा कदम उठाया है जिससे गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम किया जा सके। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, आर्थिक रूप से देश का एकीकरण करने का श्रेय प्रधानमंत्री जी को ही जाता है। वर्ष 2015 से पहले केवल 3 करोड़ 40 लाख बैंक एकाउंट थे। जिनकी संख्या बढकर 26 करोड़ हो गयी है। इसका मतलब 90 प्रतिश्त जनता बैंकों से जुड़ चुकी है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। जहां तक नोटबंदी की बात है इसको लेकर कई सरकारों ने बहुत विरोध किया था। लेकिन सच्चाई यह है कि इससे गरीब आदमी बहुत खुश हुआ क्योंकि इससे उसका तो कुछ गया नहीं इससे अमीरों का बहुत नुकसान हुआ है। (शोर एवं व्यावधान) नोट बंदी के समय आपने देखा होगा, एक गाना भी बहुत वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जहां तक टैरेरिज्म की बात है उसकी फंडिंग के लिए जो जाली नोट आते थे, चाहे वो नेपाल से आते हों, चाहे वो किसी और देश से आते हों सभी पर अंकुश लगा है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में जब उग्रवाद ने जोर पकड़ा था उस समय नोट बंदी के कारण उनकी गतिविधियों पर भी अंकुश लगा है और परिणामस्वरूप विदेश से जो जाली नोटों की फंडिंग होती थी, वह भी बंद हो गयी है। इस तरह से अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो हम लोग सिर्फ इस चीज को देखते हैं कि हमारे जो पांच सौ और हजार के नोट थे वे बंद हो गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास पांच सौ और हजार के नोट होते हैं। लेकिन जब सरकार ने देखा कि जितने हजार के नोट हमने सर्कुलेशन में डाले थे, उसमें से हजारों करोड़ रुपए तो लोगों ने अपने बैंकों में रख लिए थे या अपने घरों में रखे हुए थे और जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था और उसकी वजह से जाली करैंसी इंडिया के अंदर आ

रही थी और उससे जो टैरेरिज्म को फंडिंग हो रही थी उससे हमारे देश और सीमाओं को बहुत नुकसान हो रहा था। इस नोट बंदी का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जो जवान हमारे देश की रक्षा करने के लिए ठंड में, रेगिस्तान में, पहाड़ों पर खड़ा हे, उनको गलत तरीके से फंडिंग नहीं हो रही, जिससे इंट्रूशन में कमी आई है। आज हम क्यों चैन की नींद सोते हैं क्योंकि हमारे देश का जो जवान है, वह हमारी रक्षा करने के लिए सीमाओं पर खड़ा है। उन जवानों के कारण ही आज हमारा देश इतना सुरक्षित है। अब तक जो मैंने बात की वह पूरे इंडिया के हिसाब से थी। अब मैं थोड़ा एस.वाई.एल नहर पर बोलना चाहूंगी। कल किरण चौधरी जी कह रही थी कि चौधरी बंसीलाल ने 95 प्रतिशत एस.वाई.एल नहर खुदवाई थी तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि 5 प्रतिशत क्यों छूट दी गई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार काफी देर तक सत्ता में रही है। अगर वह 5 प्रतिशत नहर उस समय खोद दी जाती तो एस.वाई.एल नहर का पानी हरियाणा को पहले ही मिल जाता। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहती हूं कि वह 5 प्रतिशत नहर की खुदाई इसलिए छूट गई, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी की सरकार उस समय चली गई थी और चौधरी देवी लाल जी की सरकार आ गई थी। आप थोड़ा पढ़कर आइए, पता चल जाएगा।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, जब हरियाणा– पंजाब अलग हुआ उस समय नदियों के पानी के बंटवारे के लिए इराडी कमीशन बनाया गया था।

श्री अध्यक्ष : प्रेमलता जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए अब आप बैठ जाइये।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, जो 95 परसेंट नहर बनी थी, उसमें सबसे ज्यादा योगदान पंजाब में बरनाला साहब का था और हरियाणा में चौधरी बंसीलाल जी का था जो 5 प्रतिशत काम रुक गया था वह इसलिए रुका क्योंकि चौधरी देवी लाल जी ने और श्री मंगल सैन जी ने न्याय युद्ध चला कर राजीव–लौंगोवाल समझौते का विरोध किया था और पूरे हरियाणा में इतना जबरदस्त विरोध किया गया कि उस के चलते हुए नहर का काम रोकना पड़ा। (शोर एव व्यवधान)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि न्याय युद्ध से नहर रोकने का क्या ताल्लुक था।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, इससे नहर रोकने का क्या ताल्लुक था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, करण जी पता नहीं कहां से किताबें पढ़कर आते हैं इससे नहर रुकने का क्या ताल्लुक था। (शोर एवं व्यवधान) किसने नहर रोकने का प्रस्ताव चलाया।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देवी लाल जी और मंगल सैन जी ने मिलकर एस.वाई.एल नहर को रोकने का न्याय युद्ध चलाया था। (शोर एवं व्यवधान) यह रिकॉर्ड की बात है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, देवी लाल जी और मंगल सैन जी ने हरियाणा के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने एस.वाई.एल नहर रुकवाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी। (शोर एवं व्यवधान) नहर का काम तो तब रुका आपकी कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने नहर से संबंधित सारे समझौतें रद्द कर दिए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चौधरी देवी लाल जी जो कुछ करेंगे उसका जवाब तो इधर वाले ही देंगे। (शोर एवं व्यवधान) बहन जी, आपने बहुत बात रख ली। अब आप बैठिए।

सरदार जसविंद्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी जो कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से बहन प्रेमलता जी ने कहा है कि एस. वाई.एल नहर का 95 परसेंट काम चौधरी बंसीलाल जी की सरकार के समय में हुआ था। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस बात को स्वयं चौधरी बंसीलाल जी ने इसी सदन में यह माना हुआ है कि एस.वाई.एल नहर का ज्यादातर काम चौधरी देवीलाल काम जी के समय में हुआ है। जहां तक राजीव–लौंगोवाल समझौते की बात है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जसविंद्र जी, यह बात कई बार आ चुकी है कि 95 प्रतिशत काम चौधरी बंसीलाल जी के समय में हुआ था। पिछले 30 सालों से सभी पार्टियां दावा कर रही हैं कि एस.वाई.एल. नहर का कार्य उनकी सरकार के समय में हुआ है । आज कुलदीप बिश्नोई जी सदन में उपस्थित नहीं है, यदि वे सदन में होते तो वे भी कहते कि एस.वाई.एल. नहर का 95 प्रतिशत कार्य चौधरी भजन लाल जी ने करवाया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यदि उस समय डी.आर.ओ. की नियुक्ति हो जाती तो नहर का काम हो जाता । (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर को बनवाने के लिए पिछली कोई भी सरकार सीरियश नहीं रही । (शोर एवं व्यवधान) हम मानते हैं कि एस.वाई.एल. नहर का 95 प्रतिशत कार्य चौधरी बंसी लाल जी ने करवाया लेकिन उन्होंने टेल से नहर को खुदवाया । पिछले दिनों विपक्ष के साथी एस.वाई.एल. नहर को खोदने के लिए गये थे लेकिन ये सड़क खोद आये । एस.वाई.एल. नहर की मूड पर कोई नहीं गया । एस.वाई.एल. नहर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायकों ने इस्तीफा दिया था । ये लोग कभी भी एस.वाई.एल. नहर को लेकर सीरियस नहीं रहे । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बेदी साहब नये–नये मैंबर बने हैं और मंत्री हैं । इनको पूरी जानकारी नहीं है । ये तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश कर रहे हैं । चौधरी बंसी लाल जी एस.वाई.एल. नहर को पूरी नहीं बना पाये उसके क्या कारण रहे वे सभी जानते हैं । उस समय इंजीनियर का मर्डर हो गया था । (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं बहन किरण चौधरी जी की बात का समर्थन करता हूं । ये हमारी सीनियर सदस्या हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर को लेकर हम सर्वदलीय बैठक के लिए तैयार हैं । (शोर एवं व्यवधान) हम दलगत राजनीति से उपर उठकर प्रधान मंत्री जी के पास एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर जाने के लिए तैयार हैं, फिर सरकार क्यों वहां जाने के लिए तैयार नहीं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गंगा को लाने के लिए भागीरथ के परिवार के सदस्य तपस्या करते रहे लेकिन धरती पर भागीरथ ही गंगा को लेकर आया । इसलिए गंगा को भागीरथ भी कहते हैं । जो एस.वाई.एल. नहर में पानी लेकर आयेगा उसी का नाम लिखा जायेगा । स्टेट का पैसा था जिस भी सरकार के समय में पैसा दिया गया एस.वाई.एल. नहर की खुदाई हो गई । चाहे वह पैसा चौधरी देवी लाल जी, चौधरी बंसी लाल जी या चौधरी भजन लाल जी या किसी की भी सरकार के समय में दिया गया हो । (शोर एवं व्यवधान) उसी का पत्थर लगा जिसने नहर खुदवाई । (शोर एवं व्यवधान) मुख्य विषय एस.वाई.एल. नहर में पानी लेकर आने का है । एस.वाई.एल. नहर में जो पानी लेकर आयेगा वही भागीरथ बनेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर किसने खुदवाई यह तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एस.वाई.एल. नहर का कार्य रूकवाया था यह

मुझे मालूम है । हम सुप्रीम कोर्ट से एस.वाई.एल. नहर में पानी लाने के केस में जीत चुके थे लेकिन कैप्टन अमरेन्द्र सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने हमारे बाई लैट्रल समझौतों को रद्द किया । जिसकी वजह से एस.वाई.एल. नहर का काम रूक गया । (शोर एवं व्यवधान) उस समय कांग्रेस के साथी न सोनिया गांधी के पास गये न राहुल गांधी के पास गये अगर वे उनके पास जाते तो वे पंजाब के मुख्यमंत्री को ऐसा करने से रोक सकते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : अध्यक्ष महोदय, बहन किरण चौधरी जी ने बोलते हुए कहा कि मैं पहली बार चुनकर आया हूं । (शोर एवं व्यवधान) मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं लेकिन उनको बताना चाहूंगा कि मैं चौधरी बंसी लाल जैसे परिवार में पैदा नहीं हुआ इसलिए पहली बार चुन कर आया हूं । यदि मैं भी इनकी तरह राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ होता तो कई बार चुनकर आ चुका होता । (शोर एवं व्यवधान) ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ***

श्री अध्यक्ष : किरण चौधरी जी, प्लीज आप बैठें । (शोर एवं व्यवधान) मेरी इजाजत के बगैर किरण चौधरी जी जो बोल रही हैं वह रिकार्ड न किया जाये । (शोर एवं व्यवधान) अभी एस.वाई.एल. नहर के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आया है और हर आदमी उसको बनाने का श्रेय लेना चाहता है । (शोर एवं व्यवधान) नहर में जो पानी लेकर आयेगा उसी को श्रेय जायेगा । चाहे चौधरी देवी लाल जी हों, चाहे चौधरी बंसी लाल जी हों, चाहे चौधरी भजन लाल जी हों टैण्डर करके सरकार के पैसे से नहर का काम करवाया गया । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ***

डा. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, ***

श्री अध्यक्ष : मेरी इजाजत के बगैर जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाये । (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी बैठें ।

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण, आप कृपया करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) आप एस.वाई.एल. नहर पर बहुत बोल चुके हैं। (शोर एवं व्यवधान) इस मामले में आपने व आपकी पार्टी की सरकारों ने केवल मात्र बातें ही की हैं। (शोर एवं व्यवधान) पंजाब से अपने हिस्से का पानी लेने के लिए

.....

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

हरियाणा में अब तक तीन नहरें खुदवाई गई है और उनमें से दो पूरी तरह से सूखी हैं। (शोर एवं व्यवधान) अब आप इस बारे में कितना भी बोलते रहे लेकिन आपकी असलियत प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है। (शोर एवं व्यवधान) इसलिए आप कृपया करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही को सुचारू व सुव्यवस्थित ढ़ंग से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) पिछले तीन साल से आप यही कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इसका श्रेय लेने का समस्त विपक्ष की तरफ से प्रयास किया जा रहा है लेकिन पानी की बूंद न एस.वाई.एल. नहर में है और न ही हांसी–बुटाना नहर में है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, आप इस प्रकार से सरकार का पक्ष यहां पर नहीं रख सकते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, अगर आप और आपकी पार्टी के समस्त विधायकगण सदन का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद करेंगे तो मैं न्यायसंगत बात तो कह ही सकता हूं। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग बार–बार यही राग अलाप रहे हैं कि एस.वाई. एल. नहर आप लोगों ने ही खुदवाई है। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि एस.वाई.एल. नहर खुदवाने का अभी तक रिजल्ट क्या रहा है? (शोर एवं व्यवधान) क्योंकि उसमें पानी की तो एक बूंद भी नही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, हम तो यही चाहते हैं कि प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों को इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहिए और उनसे हमें हमारे हिस्से का पानी दिलवाने के लिए आग्रह करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, बहुत लम्बे समय तक आपकी पार्टी के भी कईं प्रधानमंत्री रहे हैं तब आपने पानी क्यों नहीं ले लिया। (शोर एवं व्यवधान) अगर आपने व आपकी पार्टी ने इस बारे में ईमानदारीपूर्वक प्रयास किया होता तो 40 साल में आप एस.वाई.एल. नहर में पानी ले आते। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, आप तो ऐसा करके सरकार की वकालत कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) यह आपको नहीं करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान) जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है मैं आपको वह दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपने व आपकी पार्टी ने एस.

वाई.एल. नहर पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही की है। (शोर एवं व्यवधान) आप व आपकी पार्टी कभी इस मामले में सीरियस नहीं हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप व आपकी पार्टी इस मामले में सीरियस होती तो आज हालात कुछ और ही होते। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, हम भी यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी विधायकों और सांसदों को मिलकर हरियाणा के हिस्से का पानी लेकर आना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र जी, आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) आप कृपया करके बैठ जायें और श्रीमती प्रेम लता जी को अपनी बात पूरी करने दें। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप सभी इसी बात पर बिना मतलब की बहस करेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : स्पीकर सर, इन्होंने इस मामले में कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान) इनकी मंशा तो केवल मात्र श्रेय लेने की है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आप इनको बिठायें ये हमारे किसी भी साथी को अपनी बात नहीं कहने दे रहे हैं। ये हमारे माननीय सदस्यों को कुछ का कुछ बोल देते हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनको सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : स्पीकर सर, इनकी पार्टी के मुख्यमंत्री ने हांसी–बुटाना नहर को खुदवाने के लिए प्रदेश का अरबों–खरबों रूपया बर्बाद कर दिया। (शोर एवं व्यवधान) हम चाहते हैं कि उसकी भी इंक्वॉयरी करवाई जाये और प्रदेश के खजाने के इतने बड़े नुक्सान के लिए उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) सभी माननीय सदस्यगण भी कृपया करके शांति से बैठ जायें और हाउस की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनी : स्पीकर सर, ये एस.वाई.एल. के लिए सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) अभी कुछ समय पहले इनकी पार्टी के विधायक श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक मंच से एस.वाई.एल. नहर के मामले में हरियाणा विरोधी ब्यानबाजी की है। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने व इनकी पार्टी ने उसके खिलाफ

अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है। अगर ये हरियाणा के सच्चे हितैषी है तो फिर ये इस प्रकार के नेता को अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकालते। (शोर एवं व्यवधान) दांगी जी, आप अभी बैठ जायें मैं आपको महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, मैं कोई कंट्रोवर्सी की कोई बात नहीं कहूंगा। (शोर एवं व्यवधान) रही बात महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने की तो उसमें मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय स्वयं ही बोलकर नहीं गये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, ऐसा पहले भी यहां पर कई बार हो चुका है जब किन्हीं अपरिहार्य कारणों से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को यहां पर पढ़ा हुआ मान लिया गया। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप इससे हटकर कुछ कहना चाहते हैं तो एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री आनंद सिंह दांगी : स्पीकर सर, जो यहां पर एस.वाई.एल. नहर की बात हो रही है इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है किसी भी पार्टी और किसी भी नेता ने इसको सीरियसली नहीं लिया। यह दो और दो चार की तरह बिल्कुल सीधी सी बात है। जब तक यह बात ऐसे ही चलेगी तब तक पंजाब हरियाणा को नजर उठाकर भी नहीं देखने देगा। जिस दिन सभी हरियाणा वासी और सभी पार्टियों के नेता राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर लड़ेंगेउस दिन ही हम इस सम्बन्ध में किन्हीं सार्थक परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं उससे पहले ऐसे सिर्फ ब्यानबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से अब बातें हो रही हैं इस प्रकार से नहरें नहीं खुदा करती। इससे यह मसला हल होने वाला नहीं है।

श्री ओम प्रकाश बरवा : स्पीकर सर, मैं इस सम्बन्ध में एक शेर अर्ज करना चाहता हूं :–

सच कहता हूं कि आग लगा दो इन भेद भरे व्यवहारों को,
वर्तमान का रूप संवारों, छोड़ो कल के रोने को।
सच्चे मन से कर्म करो जो फल होता है होने दो।।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बरवा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अब आप कृपया करके बैठ जायें। प्रेमलता जी आप कृपया कंटीन्यू करे और जल्दी अपनी बात कहकर वाईंड–अप करें।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि पानी हरियाणा को मिलेगा उसके बाद दोनों पार्टियों की होड़ लग गई कि इसका श्रेय कौन ले । आपने स्वयं भी कहा है कि जो भी मुख्यमंत्री होता है श्रेय उसी को जाता है । प्रदेश में कभी इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही और कभी कांग्रेस की सरकार रही, और चुनाव के समय ये सभी एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा उठाते रहे लेकिन आज तक हमें पानी नहीं मिला । हुड्डा साहब ने भी एक और नहर खोदने की बात की थी और उस पर करोड़ों रुपये खर्च हो गये लेकिन वह भी सूखी पड़ी है । सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अगर इसका श्रेय बी.जे.पी. लेती है तो इनको क्यों तकलीफ हो रही है ।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आप एक मिनट में अपनी बात पूरी करें ।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, उसके बाद पंजाब ने कहा कि हमारे पास हरियाणा को देने के लिए पानी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जवाब दिया कि नहर तो खुद कर रहेगी और पानी तो बाद में आता रहेगा । इस तरह की बात जब अखबारों में आई तो दोनों पार्टियों में इस बात की होड़ लग गई कि उस समय बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 95 प्रतिशत नहर बनवाई उसके बाद उनकी सरकार गिर गई । उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई थी । हमारी सरकार को आये तो अभी सवा दो साल हुये हैं और हमने इस समय में बहुत सारे काम करवाए हैं । इसमें एस.वाई.एल. नहर का पानी भी आयेगा । अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात कहना चाहती हूं कि सरकारें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं कल बंसी लाल जी थे, उसके बाद चौटाला जी बने उसके बाद हुड्डा जी बने और आज हमारे श्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं । जब नहर की खुदाई होगी उस समय जो मुख्यमंत्री होगा श्रेय तो उसी को मिलेगा । अभी जो बात दांगी साहब कह रहे थे कि इस मसले पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए हमें केवल पानी चाहिए । आज पंजाब के पास फालतू पानी होने के बावजूद भी वह हमें पानी नहीं दे रहा है । अभय सिंह चौटाला जी कह रहे थे कि हमारे इलाके में सेम की समस्या है वहां से चैनल बना कर उस पानी का उपयोग दूसरी जगह पर किया जा सकता है । अगर यह एस.वाई.एल. नहर का पानी मिल जाता है तो

उससे महेन्द्रगढ़, भिवानी, हिसार, झज्जर, रेवाड़ी और गुरूग्राम को पानी मिलेगा जिससे किसान खुशहाल होंगे और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी । मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि यमुना पर किशाऊ और लखवार डैम बन जाता है तो पहाड़ों में ज्यादा बरसात होने से बरसात के सीजन में उस पानी को स्टोर करके हरियाणा में सिंचाई के काम में लाया जा सकता है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने लखवाइ डैम पर काम शुरू करवा दिया है अगर किसाऊ डैम पर भी काम शुरू हो जाये तो उससे हरियाणा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान को पूरा पानी मिलेगा । इसके साथ ही साथ गंगा और यमुना नहरों का प्रदूषण भी कम होगा क्योंकि यह सारा पानी इलाहाबाद से होता हुआ गंगासागर में जा कर मिलता है । प्रदूषण का तो हम सभी को पता है कि पहाड़ों में तो मृत पशुओं को भी पानी में डाल देते हैं । जब यह पानी लगातार बहता रहेगा तो प्रदूषण भी समाप्त हो जायेगा । अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों की बात है, आम आदमी की बात है इसके लिए सभी दल किसी तरह की राजनीति न करें और पानी आने दें । श्रेय किसको जाता है उस पर न जायें । हम तो चाहते हैं कि श्रेय सबको मिल जाये चाहे वह बंसी लाल जी हों, चाहे चौटाला जी हों या चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों क्योंकि सभी ने अपने–अपने समय में काम किया है । जिसकी भी सरकार रही उसने कोशिश की कि पानी मिले लेकिन किस्मत की बात है कि हमारे समय में सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि एस.वाई.एल. नहर का पानी मिल कर रहेगा । अगर मिल जाता है तो उसमें किसको किस बात की तकलीफ है इसलिए हमें इन बातों पर नहीं जाना चाहिए ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, बहन प्रेमलता जी सही कह रही हैं कि नहर तो बन जायेगी लेकिन नदियों के पानी का बंटवारा ट्रिब्यूनल करता है । मैं इनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से कह कर इसके लिए ट्रिब्यूनल का गठन करवा लें क्योंकि ट्रिब्यूनल में ही फैसला होगा कि किसको कितना पानी मिलेगा।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने यह कोशिश की है कि ओ.डी.एफ. जिसको हम खुले में शौच से मुक्त कराने की बात करते है । अगर वह सफल हो जाती है तो यह हमारी सरकार का बहुत बढ़िया कदम होगा । मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूं कि मैं एक गांव में गई तो वहां के घर में किसी की एक जवान पुत्र वधू की मृत्यु हो गई थी । मैंने

उनसे पूछा कि मृत्यु कैसे हुई ? तो उन्होंने कहा कि वह शौच करने बाहर गई हुई थी तो जब वह वापिस आ रही थी तो उसको एक ट्रक ने टक्कर मारी और उसकी दो मिनट के अन्दर ही मृत्यु हो गई । अगर उसके घर में शौचालय बना होता तो वह बाहर क्यों जाती । इसलिये हमारी सरकार यह पूरी कोशिश कर रही है कि हर घर में शौचालय बनने चाहिए । हम मकानों पर तो बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, चाहे गांव में ही क्यों न हो वहां भी हम बड़ी–बड़ी कोठियां बना लेते हैं और जब बाथरूम की बात आती है तो उसको बिल्कुल छोटा सा बनाते हैं । अगर उसको यूज नहीं करते तो उसमें भी लकड़ी या गोस्से भर देते हैं और उसको एक स्टोर की तरह यूज करते हैं । मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने जो कोशिश की है उसमें 14 जिलों में हमने ओ.डी.एफ. को लागू किया है और हमारी कोशिश है कि आने वाले अन्तिम वर्ष में हम पूरे हरियाणा को ही खुले में शौच से मुक्त कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : ठीक है बहन जी, अब तो आपकी बात पूरी हो गई है ।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, मैं 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के बारे में एक बात और बताना चाहती हूं कि हमारे गांव की जो महिलायें हैं और गांव की जो लड़कियां हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती ? हमारी सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं जैसे स्वर्ण जयंती वर्ष में बाल आहार उत्पादन केन्द्र, नारी संरक्षण गृह, बाल सुधार गृह और महिला पुरस्कार योजना । ये सारी योजनाएं महिलाओं के लिये शुरू की गई हैं ताकि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले । अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले थोड़ा सा जाट आरक्षण पर बोलना चाहूंगी । आज इस जाट आरक्षण के मुद्दे का 35 वां दिन है । इस आरक्षण की मैं इसलिये हिमायत करना चाहती हूं कि यह जो आरक्षण है वह जाट केवल अपने लिये नहीं मांग रहा है जाट तो मैं भी हूं लेकिन वह बच्चा जो गांव में पढ़ता है उसको न तो अच्छी शिक्षा मिलती है, न उसका स्वास्थ्य अच्छा है और न उसके पास जमीन है । वह आज हताश भी है, निराश भी है क्योंकि बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वह अच्छा नहीं है । शहरों में बच्चे क्यों इतनी अच्छी–अच्छी नौकरियों में आ जाते हैं क्योंकि उनको शिक्षा अच्छी मिलती है । गांव में शिक्षा अच्छी नहीं है और यह जो आरक्षण है वह इसी बात को लेकर है । अभी पिछले दिनों मैं एक गांव में गई थी मुझे वहां जाकर पता लगा कि उस गांव का एक बच्चा एच.सी.एस. बना था । मैंने उससे पूछा कि टैस्ट में तुम्हारे

कितने नम्बर थे? उसके नम्बर अच्छे नहीं थे लेकिन वह आरक्षण की सूची में था इसलिए उसको उसका फायदा मिल गया और वह एच.सी.एस. बन गया । हमारे बच्चे 90 प्रतिशत नम्बर भी ले लेते है तो भी उसका कहीं नम्बर नहीं पड़ता और आरक्षण की सूची में आने वाले बच्चे के अगर 45 प्रतिशत नम्बर भी होंगे तो भी उसको कहीं पर भी दाखिला मिल जाता है और हमारे बच्चे रह जाते हैं । यही छोटी–छोटी बातें हैं जिनका मैं समर्थन करती हूं । पहले कहा जाता कि यह तो जमींदार है इसको नौकरी की क्या जरूरत है क्योंकि जमींदार वे होते थे जिनके पास अच्छी जमीन होती थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, बहन प्रेम लता जी ने जो उदाहरण दिया है उसमें आरक्षण को लाकर विधान सभा में चेलेंज नहीं किया जा सकता कि उस बच्चे को आरक्षण मिल गया । वह इस तरह से आरक्षण की बात नहीं कह सकती कि उस बच्चे के नम्बर कम थे और उसको आरक्षण की वजह से नौकरी मिल गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती प्रेम लता : सर, मैं तो एक उदाहरण दे रही हूं ।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, आपको बोलते हुए 53 मिनट हो गई हैं । प्लीज अब आप बैठिये ।

श्रीमती प्रेम लता : अध्यक्ष महोदय, मैं एक लड़की का उदाहरण देती हूं । एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे विदेश में जाना है लेकिन मुझे लोन नहीं मिल रहा है । मैंने कहा लोन क्यों नहीं मिल रहा है। वह कहने लगी कि बैंक वाले यह कहते हैं कि शहर की प्रोपर्टी दिखाओ । अब एक गांव में रहने वाला शहर की प्रोपर्टी कैसे दिखा देगा । वह तो गांव का अपना मकान दिखा सकता है, अपनी जमीन दिखा सकता है । इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी के पास शहर की प्रोपर्टी नहीं है तो वह विदेश में नहीं जा सकता । मैं यह चाहूंगी कि बैकों को यह हिदायत दी जाएं कि जो गांव के गरीब बच्चे हैं और उनको विदेश में अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है तो उनको भी लोन देने की सुविधा उपलब्ध कराएं ताकि उनको भी विदेश में जाने का मौका मिल सके । अन्त में अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर बोलना चाहती हूं । यहां पर ऑफिसर्ज बैठे हैं मैं उनको भी कहना चाहती हूं कि जब हम कोई भी स्कीम को लागू करने के लिए कहते हैं तो ऑफिसर्ज एक बार में उसको टिकमार्क करके यह नहीं कहता कि हॉ जी, आपका यह काम मन्जूर हो गया है । ऑफिसर्ज एक बार तो उस

फाईल को जरूर वापिस भेजेगा । जिससे फिर उस कार्य के होने में महीने निकल जाते हैं और कई महीनों के बाद वह फाईल फिर घूम फिर कर चंडीगढ़ पहुंचती है इसलिए उनके बारे में भी मैं कहती हूं कि ब्रिटिश रूल के समय में जो कानून बने थे उनको दूर रखना चाहिए और पूरा लिब्रल माईंड होना चाहिए । नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, परिवहन मंत्री जी यहां बैठे हैं मैं उनको एक बात बताना चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष : बहन जी, प्लीज आप बैठिये । आपको बोलते हुए बहुत लम्बा समय हो गया है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात रखने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अगर आप इसी प्रकार से बहस करते रहे तो कोई भी सदस्य सदन में अपनी बात नहीं रख पायेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कई पुराने साथी तो 80 मिनट तक इस सदन में बोल चुके हैं। अतः आप कादियान जी को बिठाये और मुझे अपनी बात कहने दें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप प्लीज बैठिये। आप गुप्ता जी के बाद अपनी बात रख सकते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता (पंचकुला) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक तरह से सरकार का विजन Document है। इसमें सरकार की विगत दो साल की उपलब्धि2यों और आगामी योजनाओं का जिक्र किया गया है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने यह उपलब्धियां बहुत मेहनत के साथ काम करके प्राप्त की हैं।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरी बात रख लेने दे। सदन में कईं दिनों से एस.वाई.एल. कैनाल के उपर बात चल रही है। एस.वाई.एल. कैनाल का विषय बहुत पुराना है। अतः मुझे इस संबंध में कुछ फैक्ट्स सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष का जब भी कोई सदस्य बोलना शुरू करता है तभी यह कांग्रेस के सदस्य बीच में उठ जाते हैं और वक्ता के बोलने में अड़चन पैदा करते हैं जबकि आपने दरियादिली दिखाते हुए इनके एक सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक को 80 मिनट तक बोलने का समय दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जानबूझकर सत्ता पक्ष के नए सदस्यों को बोलने से रोका जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, यदि सत्ता पक्ष के सारे सदस्य एक साथ बोलना चाहे तो बोल लें हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है परन्तु एक विपक्ष का सदस्य अपनी बात रखना चाहता हो और उसे बोलने से रोका जाये तो यह बात ठीक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह लोग भी कभी इस सदन के नए सदस्य बनकर आए होंगे। अतः अपने समय को याद रखते हुए इनको नए सदस्यों के बोलने के समय में अड़चन पैदा नहीं करनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात तो सदन में नहीं कह रहा हूँ बल्कि सरकार के हित की ही बात कह रहा हूँ? आज सदन में एस.वाई. एल. कैनाल पर बहुत लंबी–चौड़ी राजनीति हो रही है। मैं डिसनोटिड फैक्ट्स को फैक्ट्स की लाईन में लाना चाहता हूँ। जो इराडी ट्रिब्यूनल का फैसला हुआ था.. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप फिर उसी मुद्दे पर आ गए। आपको जब समय दिया जायेगा तब आप इस विषय पर अपनी बात रख लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हाउस को डिस्टर्ब करने के लिए यह सब किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, जब आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जायेगा तब आप पूरी तरह से अपनी बात रख लेना। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः सर, मेरा प्वॉयंट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जब इनका कोई प्वॉयंट ही नहीं है तो प्वॉयंट आफ आर्डर किस बात का? प्वॉयंट तो मेरे पास है और जब आपने अभी तक मेरे प्वॉयंट ऑफ आर्डर को मंजूर तक नहीं किया है तो इनका प्वॉयंट ऑफ आर्डर कहा

से आ गया। यह बिना प्वॉयंट के प्वॉयंट ऑफ आर्डर की बात करके सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को समान समय देकर अपनी बात रखने का मौका देकर बहुत ही अच्छे तरीके से सदन को चलाया जा रहा है लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के लोग प्वॉयंट ऑफ आर्डर के नाम पर बार–बार वक्ता के बीच में व्यवधान करते हैं और वक्ता को उसकी बात कहने से रोकते है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप प्वॉयंट ऑफ आर्डर को सबके सामने ठीक से डिफाइन कर दें तो मुझे लगता है कि सब सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिल जायेगा। इस प्रकार से किसी भी सदस्य को बीच में उठकर बोलने की इजाजत कदापि नहीं दी जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, प्वॉयंट ऑफ आर्डर पर बात कहने की इजाजत लेना आपका काम है और उस प्वॉयंट ऑफ आर्डर की इजाजत देना मेरा काम है। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मुझे आपको प्वॉयंट ऑफ आर्डर देना ही पड़ेगा? जब मैं आपको प्वॉयंट ऑफ आर्डर की इजाजत ही नहीं दे रहा हूँ तो आप जबरदस्ती यह प्वॉयंट ऑफ आर्डर कैसे ले सकते हो? (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इस महान सदन का सदस्य होने के नाते मैं किसी डिनोटिड फैक्ट्स के बारे में बताना अपना फर्ज समझता हूँ और इसके लिए आपको मुझे बोलने की इजाजत देनी ही पड़ेगी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, प्वॉयंट ऑफ आर्डर मांगना एक सदस्य का राईट है। आखिर सदस्य को अपनी बात तो रखनी ही पड़ेगी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दांगी जी, परन्तु फैसला मैं करूंगा कि मुझे प्वॉयंट ऑफ आर्डर देना है या नहीं देना है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, रघुवीर सिंह कादियान तो स्वयं इस महान सदन के स्पीकर रहे चुके हैं। प्वॉयंट ऑफ आर्डर के नाम पर बोलकर खड़े हो जाना इनको शोभा नहीं देता है।(शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, कादियान जी तो हर बात पर उठकर खड़े हो जाते हैं।(शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, कादियान जी को भी पता है कि बिना इजाजत के प्वॉयंट ऑफ आर्डर नहीं मिलता लेकिन बावजूद इसके ये जानबूझकर सदन की व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, अगर हमें बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है तो हम एज ए प्रोटैस्ट वाक–आउट करके चले जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः देखिये, सदन में इस तरह का अमर्यादित व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि आप या आपके साथी वाक आउट करना चाहते हैं तो वाक आउट करके जा सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जब बात व्यवस्था की हो तो किसी भी सूरत में समझौता नहीं होना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की तरफ से धींगामस्ती वाली बात की जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, के ट्रिब्यूनल्ज के बारे में और आपके स्पीच को सुनकर सारा सदन दुखी हो चुका है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, कादियान जी स्वयं स्पीकर रहे हैं और सदन की मर्यादाओं के बारे में वे स्वयं इस सदन के स्पीकर रहते हुए अपने समय में दूसरे सदस्यों को पढ़ाते रहे है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, पिछले 40 साल से आप इसी इराडी ट्रिब्यूनल की बात करते आ रहे हो। जो इस सदन के पुराने सदस्य है वह सभी इन बातों को भली भांति से जानते हैं। आपके पास इस तरह के विषय के अतिरिक्त और कोई विषय ही नहीं है बात करने के लिए। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य (श्री करण सिंह दलाल को छोड़कर) सदन की वैल में अध्यक्ष महोदय के आसन के सामने आकर खड़े हो गए और अध्यक्ष महोदय से तर्क–वितर्क करने लगे।)

12:00 बजे **श्री अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण, सबसे पहले आप अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, जब मैं हरियाणा सरकार में मंत्री था, तो उस समय कई माननीय सदस्य तो प्राईमरी स्कूलों में पढ़ते होंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, डॉ. साहब ऐसे कैसे बोल सकते है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पवन जी, इसमें क्या बात हुई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, यह कैसे बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पवन जी, इस बात में दिक्कत क्या है? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय कादियान जी ने गलत नहीं कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह कौन सी गलत बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉ. कादियान अपनी उम्र के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, कादियान जी ने गलत नहीं कहा है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, ये आपकी बात नहीं मान रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉ. कादियान ने कोई गलत बात नहीं कही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, कादियान साहब ने कोई गलत बात नहीं कही है क्योंकि सदन में उपस्थित ज्यादातर सदस्य इनकी उम्र के बराबर नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अपनी–अपनी सीटों पर बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कादियान साहब ने जो बात कही है, उसको समझ ही नहीं रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः डॉ. कादियान ने अपनी उम्र के हिसाब से यह बात कही है। यह कोई गलत बात नहीं है। मैं भी उस समय छात्र था जब डॉ. साहब मंत्री थे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं डॉ. साहब की बात में छोटी सी अमेंडमेंट करना चाहता हूँ। जब डॉ. साहब हरियाणा में मंत्री थे तो उस समय मैं एस.डी.एम. के पद पर नियुक्त था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, पहले ज्वाइंट पंजाब था। फिर हरियाणा प्रदेश बना। अपने–अपने राईटस के लिए उस समय बड़ा लम्बा–चौड़ा संघर्ष चला था कि हरियाणा प्रदेश अलग बने। हरियाणा की महान हस्तियों ने बड़े–बड़े आंदोलन किए और प्रदेश अलग बना। अलग प्रदेश बनने के बाद पानी का मुद्दा उठा । पानी के मुद्दे के लिए कमीशन बने और ट्रिब्यूनल बने लेकिन इराडी

ट्रिब्यूनल का फैसला आया और उसमें 35 लाख एकड़ फीट पानी हरियाणा को मिला। उस पानी को लाने के लिए एस.वाई.एल. कैनाल का रेखाकंन करने के लिए जमीन अधिग्रहण की गई और किसानों को मुआवजे दिए गए फिर जाकर नहर की खुदाई शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने कपूरी में आकर कसी चलाकर नहर की खुदाई के काम का शुभारंभ्भ किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. कैनाल पर बहुत बार चर्चा हो चुकी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, कादियान साहब फैक्टस बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. पवन सैनीः अध्यक्ष महोदय, क्या एक ही मुद्दा रह गया है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, आप टू दी प्वाइंट बात करें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मैं टू दी प्वाइंट ही बात कर रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, राम बिलास शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व मंत्री का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, महम से विधायक रहे हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी महा सिंह वी.आई.पीज. गैलरी में सदन की कार्यवाही देखने के लिए आए हुए हैं । हम सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करते हैं ।

राज्यजाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्रीमती किरण चौधरीः डॉ. कादियान फैक्टस बता रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, डॉ. कादियान प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की उस यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, जिस समय डॉ. साहब इण्डियन नेशनल लोकदल के सदस्य हुआ करते थे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, फिर इस बात से क्या लेना–देना? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः अध्यक्ष महोदय, हमारी शालीनता है कि हम डॉ. कादियान और बहन किरण चौधरी का बहुत आदर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की कार्यवाही आपके संरक्षण में चल रही है। बजट सत्र के माननीय राज्यपाल महोदय

के अभिभाषण के ऊपर इनकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। इतने सीनियर नेता बिना किसी बात के वैल में आ जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, सच्चाई को बताने के लिए ही आए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः कादियान जी, आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं फिर भी आपने संवैधानिक मर्यादा तोड़ी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, सदन की मर्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तोड़ रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः कादियान जी, यह हरियाणा का महान सदन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप लोग ज्यादा बोल रहे हों। (शोर एवं व्यवधान) आप अपनी बात शार्ट तरीके से बताएं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1984–85 में राजीव लौंगोवाला समझौता हुआ था। उस समझौते की धारा–7 के अनुसार चण्डीगढ़ पंजाब को दे दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्माः कादियान जी, दिनांक 2 जुलाई, 1985 को राजीव लौंगोवाला समझौता हुआ था। उसके खिलाफ हमने एक आंदोलन किया था और विधायकों ने इस्तीफे तक दिए थे। वर्ष 1987 में एक लड़ाई लड़ी गई। वर्ष 1987 में चौधरी देवी लाल जी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 85 विधायक जीतकर आए और सरकार को स्पष्ट बहुमत मिला था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः शर्मा जी, मेरी बात तो पहले सुन लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : डा0 साहब, हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं इसलिए सभी माननीय सदस्यों को उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। (शोर एवं व्यावधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका दें मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि एस.वाई.एल. नहर के मामले में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। हम सभी पार्टियों के सदस्यों ने मिलकर धारा 7 और 9 के खिलाफ एक

लड़ाई लड़ी। (शोर एवं व्यवधान) इस लड़ाई में हमारे साथ माननीय मंत्री जी श्री राम बिलास शर्मा भी साथ थे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : डा0 कादियान जी,

"रात का ना जिक्र कर, रात तो गुजर गयी है,
है सुबह, तो यह बता रोशनी किधर गयी।"

क्या आप पिछली बातों को याद कर रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): अध्यक्ष महोदय, इस एक विषय पर सदन का मैक्सीमम समय बर्बाद हो गया है। इस सदन में बैठे सभी माननीय विधायक और पत्रकार/छायाकार बंधु इतना जरूर जान चुके हैं कि अगर इस विषय पर पेपर ले लिया जाए तो इनके 100 में 100 नम्बर आएंगे। जैसा कि माननीय सदस्य असीम जी ने बताया कि या तो इसकी कोई पुस्तक छपवा कर साकुलेट की जाए जिसमें एस.वाई.एल. नहर की गाथा, इतिहास महिमा मंडन, गौरव मंडन के बारे में विस्तार से वर्णन हो ताकि आज प्रदेश की ढाई करोड़ जनता जो इस सदन की कार्यवाही को देख रही है, उसको यह भी पता लगे कि किस एक ही विषय पर, वह भी इतिहास पर लगातार इस महान सदन का कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी: अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल. नहर का मुददा प्रदेश के हित से जुड़ा हुआ है इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, एक ही विषय पर कितना समय बर्बाद करेंगे, वह भी इतिहास पर। आप वर्तमान की बात कीजिए।(शोर एवं व्यवधान) वर्तमान से आगे बढिए।

श्री अध्यक्ष: डा0 साहब, आप एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। इसके बाद श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी बोलना शुरू करेंगे।

डा0 रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि उस वक्त राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध नहीं हुआ होता तो इस नहर की खुदाई हो जाती। यह बात सदन में बतायी गयी है। उस समझौते के खिलाफ विरोध चल रहा था। इसमें हमारे माननीय मंत्री श्री रामबिलास शर्मा तथा डा0 मंगल सैन जी भी हमारे साथ थे। उस आंदोलन के दौरान चौ0 बंसीलाल जी नहर की खुदाई के बारे में प्रदेश के सरपंचों, ग्रामीणों को वहां पर ले जाकर उनको नहर के बारे में

जानकारी देते थे। (शोर एवं व्यवधान) नहर खुदने पर राजीव लोगोंवाल समझौते का असर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप एक मिनट बैठिए, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, कादियान जी बेकार में सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। इसमें कोई नयी बात नहीं है।

डा0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह बात आई थी कि राजीव लोगोंवाल समझौते के तहत एस.वाई.एल. नहर की खुदाई रूकी थी। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, यह बात आपकी पार्टी के ही माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल ने कही थी। यह बात उनको ही बताईये।

डा0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत कही गयी है मैं उसी बात को ठीक करना चाहता हूं।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अब अपनी बात शुरू कीजिए।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, नहर की खुदाई हमारी सरकार ने नहीं रोकी। कादियान साहब सदन का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, एस.वाई.एल. नहर के मामले में यदि आप तथ्यों पर आधारित बात शुरू में कहते तो माननीय सदस्य गम्भीरता से सुनते। लेकिन आप अपनी बात को बहुत लम्बा खींचते हो जिससे आपकी बात की ज्यादा गम्भीरता बनती।

डा0 रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय उस आंदोलन के दौरान वहां पर 27 लोगों की डैथ हुई थी। उसके बाद किसी अधिकारी ने वहां जाने से इन्कार कर दिया। 29 वर्षों से नहर की खुदाई रूकी हुई है।

श्री अध्यक्षः ठीक है, कादियान जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लेकर कादियान जी द्वारा एक बात कही गयी है।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, कादियान जी की बात पूरी हो चुकी है। (विघ्न)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय मेरा नाम लेकर तीन माननीय सदस्यों ने मेरे राजनीतिक कैरियर के बारे में कुछ कहा है। इसलिए मैं इस महान सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं।

श्रीमती शकुंतला खटकः अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी ने जो आरोप लगाया है उसकी रिकार्डिग निकलवा कर उसकी जांच की जाए।(विघ्न)

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, डा0 कादियान साहाब ने कहा है कि जब वे विधायक थे तब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य दांगी जी और शकुंतला जी ने यह बात कही कि बेदी जी के लिए हमने यह बात कही है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मैं कॉलेज के दिनों में 1989 में छात्र नेता था तथा 1994 में चुनाव लड़कर एम.सी. बना था। अब तीसरा चुनाव लड़कर इस महान सदन का सदस्य बना हूं। एस.वाई.एल. नहर के मुददे पर जितने लाठी व डंडे इन्होंने खाये थे उससे ज्यादा हमने हरियाणा को उसका हक दिलाने के लिए लाठी व डंडे खाये और यातनाएं सही हैं। अध्यक्ष महोदय, यही चंडीगढ़ के अंदर आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर छोड़े गए थे। (विघ्न) विधानसभा में तो मैं पहली बार चुनकर आया हूं परन्तु जनता के बीच में 25 सालों से काम कर रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दांगी जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है, इसलिए कृपया आप बैठ जाइए।

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के असंसदीय शब्द सदन की कार्यवाही में नहीं आने चाहिए, इनको कार्यवाही से निकलवा दिया जाए और इनसे माफी मंगवायी जाए।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, जो असंसदीय शब्द बोल रहे हैं उसे रिकॉर्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) शकुन्तला जी, आज बैठ जाइए।

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, चाहे भाई रामबिलास शर्मा जी हो या कोई और भी हो ये लोग कुछ भी बोलें, क्या आपने इनको अथोरिटी दे रखी है?

श्री अध्यक्ष : बहन जी, मंत्री होने के कारण राम बिलास शर्मा जी के पास तो राइट है जवाब देने का। पहले यह राईट आपके पास था अब लोगों ने यह राईट इनको दे दिया, हम इनको रोक नहीं सकते।

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।**

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शर्मा जी को कहना चाहती हूं कि ये ठीक से बोलें, गलत तरीके से न बोलें।

श्री अध्यक्ष : शकुन्तला जी, शर्मा जी ठीक ही बोले थे, क्या गलत बोले थे?

श्रीमती शकुन्तला खटक : अध्यक्ष महोदय, आप हंस रहे हैं, जबकि आपको न्याय की बात करनी चाहिए और सबको एक आंख से देखना चाहिए।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, मैं शकुन्तला जी को बताना चाहता हूं कि आप हंसते हुए बात कर रहे हैं यह तो अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष : शकुनतला जी, मैं सभी सदस्यों को एक तरह से ही देखता हूं, अगर आपको विश्वास न होता हो तो आप मेरे पिछले सालों का रिकॉर्ड निकाल कर देख लो, आपको पता चल जायेगा कि मैं सभी सदस्यों को एक तरह से देखता हूं या अलग–अलग देखता हूं। (शोर एवं व्यवधान) शकुन्तला बहन जी, आप अभी बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान) क्या सीनियर आदमी को बोलने का हक नहीं है।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : कादियान जी, क्या यहां पर जूनियर आदमी को बोलने का कोई हक नहीं है। यहां पर सभी मैम्बर्ज बराबर हैं और सबको बोलने का हक है।

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, आप बार–बार खड़े हो रहे हैं और हाउस चलने नहीं दे रहे। आप चाहते हैं कि हाउस चलने न दिया जाए। आप चाहते हैं कि कोई मैम्बर बोलें ही न तो ठीक है कोई मैम्बर नहीं बोलेगा। आप शोर मचाते रहो, मैं बैठ जाऊंगा।

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये रुल बुक के अनुसार ही कुछ बताना चाह रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिए आपके पास टाईम है कि आप सरकार से ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आप प्रश्न पूछने के बजाए सदन के समय को शोर–गुल में बर्बाद कर रहे हैं। ज्ञान चंद गुप्ता जी, आप अपनी बात शुरू करें।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आदरणीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, जो नये सदस्य चुनकर आये हैं, उनके भी कुछ हक होंगे। यहां पर जितने भी सदस्य बैठे हैं, वह सब एक जैसे हैं। मैं मानता हूं कि वे पहले भी तीन–तीन, चार–चार बार इस सदन

के सदस्य रहे होंगे। लेकिन आज इस सदन के अंदर जब भी कोई नया सदस्य बोलने लगता है तो उसके बीच में माननीय सदस्य बोलने लगते हैं। हम लोगों ने इस सदन से बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं, मगर हमारे पुराने सदस्यों से सदन में इस प्रकार के हंगामे की चीजें सीखने को मिले तो मैं समझता हूं कि वह अच्छी बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे पहले यह विनती है कि जो नये सदस्य चुनकर आये हैं आप उनके हकों की रक्षा भी करें। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय राज्यपाल महोदय प्रोफेसर कप्तान सिंह सौलंकी जी ने 27 फरवरी, 2017 को इस सदन में जो अभिभाषण दिया, वह अभिभाषण सरकार का विजन डॉक्यूमैंट है। पिछले अढ़ाई साल में सरकार की जो उपलब्धियां हैं और 50 साल में प्रदेश ने जो तरक्की की है उसके बारे में सदन को और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को इसके माध्यम से बताया गया है । अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष है । 1 नवम्बर, 2016 को देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय भाई नरेन्द्र मोदी जी ने गुरूग्राम से स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरूआत की थी । आज स्वर्ण जयंती के प्रोग्राम पूरे प्रदेश में हो रहे हैं । स्वर्ण जयंती के कारण ही आज प्रदेश में खेल महाकुम्भ, गीता जयंती उत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, प्रवासी हरियाणा स्कीम, हरियाणा संगम, एक करोड़ रुपये की कुश्ती, एक करोड़ रुपये की कबड्डी आदि बहुत सारे प्रोग्राम हरियाणा में हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह स्वर्ण जयंती वर्ष पूरे हरियाणा प्रदेश का है लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वर्ण जयंती के समारोह में अपोजीशन के साथी हिस्सा नहीं लेते । क्या उनका प्रदेश से कोई सरोकार नहीं है कि किस प्रकार से हरियाणा ने पिछले 50 सालों में तरक्की की है । हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है और प्रदेश ने पिछले 50 सालों में जो तरक्की की है उसके बारे में विपक्ष के साथियों को भी जानकारी लेनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारी सरकार ने वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा है कि विपक्ष के सदस्य स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रमों में आते नहीं हैं । मैं सदन में स्पष्ट करना चाहती हूं कि सरकार स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रम किंडम ऑफ ड्रीम में मनाये जाते हैं जिनसे सरकार ने 32 करोड़ रुपये राजस्व के लेने हैं । यदि ऐसी जगहों पर सरकार कार्यक्रम करेगी तो वे पैसे नहीं देंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह पैसा पिछली सरकार के समय का ही बकाया है । सरकार ने उनका पैसा माफ नहीं किया है । अध्यक्ष महोदय, यह गरीब कल्याण वर्ष है इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी ने बहुत सी योजनाएं गरीबों के कल्याण के लिए शुरू की हैं । अन्त्योदय आहार योजना गरीबों के लिए बहुत ही महत्वकांक्षी योजना है । इस योजना के तहत 10 रुपये में खाने की थाली दी जायेगी जिसमें 6 रोटी, सब्जी और अचार दिया जायेगा । यह स्कीम हास्पिटल्ज, लेबर चौक और गरीब बस्तियों में चलाई जायेगी और गरीब लोगों को सुबह–शाम हर रोज खाना दिया जायेगा । इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं । इस स्कीम का सभी लोगों ने स्वागत किया है । गरीब लोग जिनको पहले 20 से 30 रुपये थाली के देने पड़ते थे वे इससे बहुत खुश हैं । इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति 10 रुपये में खाना खा सकता है । सरकार इस स्कीम को आगे बढ़ाते हुए सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन भी शुरू करने जा रही है । अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों को घर देने के लिए छोटे–छोटे मकान बनाकर देने के लिए स्कीम बना चुके हैं ताकि गरीबों को सस्ते में मकान दिए जा सकें । हमारी सरकार ने गांव और शहर में एक जैसे विकास को प्राथमिकता दी है । हमारी सरकार की सोच है कि जहां शहर का विकास हो वहीं गांव का भी विकास हो । हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी योजनाएं शुरू की हैं और जो भी घोषणाएं की हैं आप देखिये कि वे गांवों के लिए भी उतनी ही हैं जितनी कि शहरों के लिए हैं और जितना पैसा गांवों के विकास कि लिए दिया है उतना ही पैसा गांवों के विकास के लिए भी दिया है। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र पंचकूला की बात बता सकता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पिछले दिनों 15 करोड़ रूपये शहर के विकास के लिए और 15 करोड़ रूपये ही गांवों के विकास के लिए दिये हैं। इस प्रकार से हमारी सरकार "सबका साथ और सबका विकास" के वायदे को पूरा कर रही है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सभी 90 विधानसभा हल्कों में गये। वहां पर उन्होंने यह नहीं देखा कि यह विपक्ष के माननीय सदस्य का हल्का है या फिर भारतीय जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों का हल्का है। उन्होंने सभी विधान सभा क्षेत्रों के लिए एक समान पैसा दिया। कईं बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने विपक्ष के माननीय सदस्यों के हल्कों के लिए सत्तापक्ष के विधायकों के हल्कों से भी ज्यादा पैसा दिया। पिछली

सरकारों में ऐसा नहीं होता था। पिछली सरकारों में तो अपनी पार्टी के सदस्यों के हल्कों के साथ भी पार्टी में चल रही पार्टीबाज़ी के कारण और अपनी संकुचित सोच के कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा उपेक्षा का शिकार बनाया जाता था। स्पीकर सर, मैं आपको पंचकूला का उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले दस वर्षों के कांग्रेस के शासनकाल के दौरान हमारे पंचकूला के साथ जो भेदभाव का व्यवहार हुआ वह पूरी तरह से निदंनीय है। उस भेदभाव को हम पंचकूलावासी कभी भी नहीं भुला पायेंगे। जिस प्रकार से पिछले 10 साल के दौरान पंचकूला क्षेत्र को हर तरह से नैगलैक्ट किया गया उसकी जितनी भी निंदा की जाये, वह कम ही होगी। आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने अपने 10 वर्ष के शासन काल के दौरान पंचकूला में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगाई। शायद मुझे यह लगता है कि यह हुड्डा जी की संकुचित मानसिकता का ही परिणाम था। जो हुड्डा जी की मानसिकता आज उजागर हुई है वही इसका कारण रही। इन्होंने बदकिस्मती से कुमारी शैलजा के लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र अम्बाला का हिस्सा होने के कारण ही विकास के मामले में पंचकूला के साथ ऐसा सौतेला और निंदनीय व्यवहार किया। जब तक कुमारी शैलजा सांसद रही और उनका समर्थक उम्मीदवार पंचकूला से विधायक रहा तब तक पंचकूला विकास के मामले में पूरी तरह से उपेक्षित रहा। यह सिलसिला अब भी चल रहा है और उनकी इसी मानसिकता का परिणाम है कि आज अशोक तंवर जी पर हमला हो रहा है और उनकी गर्दन तक तोड़ी जा रही है। उनकी यह मानसिकता आज ही नहीं है बल्कि यह तो पिछले काफी समय से चला आ रहा है। वे अपनी पार्टी से बाहर ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी अपने राजनीतिक विरोधियों के साथ और उनके हल्कों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। ऐसी मानसिकता उनकी सदा से ही रही है। उनकी इसी मानसिकता को हरियाणा ने पूरे 10 साल झेला है। उनकी इसी मानसिकता के कारण ही पूरे हरियाणा में सभी क्षेत्रों में एक समान विकास नहीं हो पाया।

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने विधान सभा में ही आपके ऑफिस के साथ एक ऑफिस रूम लिया हुआ है। वहां पर इन्होंने लिखवा हुआ है राज्यमंत्री, हरियाणा सरकार। क्या ये इस समय राज्यमंत्री हैं?

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, वह इन्होंने नहीं लिखवाया था। वह नेम प्लेट गलती से लग गई थी जिसको बाद में हटवा दिया गया था। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने जब उसे स्वयं देखा तो इन्होंने ही उसे हटवा दिया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, मुझे पता चला है कि ऐसा ही इन्होंने अपने घर पर भी ऐसा ही कुछ लिखवा रखा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां पर भी आप किसी को भेजें और वहां से भी उस नेम प्लेट को हटवायें।

श्री अध्यक्ष : कुलदीप शर्मा जी, आप कृपया करके सदन की कार्यवाही को अनावश्यक रूप से डिस्टर्ब न करें। आप तो स्वयं इस सदन के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसलिए भी आपसे इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, अगर वह नेम प्लेट इन्होंने नहीं लगाई तो फिर इनके लड़के ने लगवाई होगी।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, लगता है कि शर्मा जी को मेरे और मेरे परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि मेरा लड़का तो यहां पर है ही नहीं वह तो यू.एस.ए. में है।

श्री सुभाष बराला : ज्ञान जी, कुलदीप शर्मा जी की पार्टी के शासन काल के दौरान सरकार का हिस्सा रहे एक तत्कालीन सी.पी.एस. को भी हाल ही में सजा हुई है। आप यह जानकारी भी इनको दे दें।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से श्री शर्मा जी को यह भी बता देना चाहूंगा कि इनकी पार्टी के एक भूतपूर्व मेयर अपनी गाड़ी पर रैड लाईट लगाकर घूम रहे थे जिनका पुलिस द्वारा चालान किया गया है। इन्होंने शायद इस आशय की एक खबर अखबारों में पढ़ी होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप बिना परमिशन के बोलकर सदन की कार्यवाही को बाधित न करें। ज्ञान चन्द गुप्ता जी को अपनी बात कह लेने दें। मुझे भी आपको इसके लिए बार–बार आगाह करना अच्छा नहीं लगता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, मैं श्री शर्मा जी को आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मेरी हैसियत है मैं उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। इनको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक ये मेरी लाल बत्ती वाली गाड़ी की बात है। वह मुझे सरकार की तरफ से मिली हुई है। इनको याद होगा इनकी पार्टी की सरकार के समय में चेयरमैन भी अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर घूमते थे। फूल चंद मुलाना के बारे में इनको अच्छी तरह से पता होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, किस को अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने की परमिशन देनी है यह तो सरकार का राईट है। (शोर एवं व्यवधान) शर्मा जी, आप कृपया

करके शांति से बैठें और श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी को अपनी बात पूरी करने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, ज्ञान चन्द जी चाहे एम्बर लाईट लगा कर घूमें चाहे लाल बत्ती लगा कर घूमें हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है । हमें आपकी रूलिंग मिल गई है कि ये मंत्री नहीं हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, लाल बत्ती और कौन–कौन लगा कर घूमता है मैं वह भी बताना चाहूंगा । श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी लाल बत्ती लगा कर घूमते हैं जबकि उनको लाल बत्ती लगाने की अनुमति नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है । अध्यक्ष महोदय, लाल बत्ती लगाने की अनुमति परिवहन मंत्री द्वारा दी जाती है । चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, भूतपर्वू मुख्यमंत्री को मैंने लाल बत्ती लगाने की अनुमति नहीं दी है । उनको केवल एम्बर लाईट लगाने की अनुमति दी हुई है । (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य संसदीय सचिव(डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है इसलिए इस पर नोटिस लिया जाना चाहिए । परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को लाल बत्ती लगाने की अनुमति नहीं दी है और यदि वे लाल बत्ती लगाते हैं तो उस पर नोटिस लिया जाना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल में हमारी सरकार ने विकास के बहुत काम किये हैं । मैं पंचकुला के बारे में बताना चाहता हूं । पंचकुला में 500 करोड़ रुपये की लागत से आयुर्वेदिक शोघ संस्थान बनने जा रहा है जिसकी केन्द्र सरकार से अनुमति भी मिल चुकी है। इसी प्रकार से 125 करोड़ रुपये की लागत से नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नॉलोजी पंचकुला में बनने जा रहा है । इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पंचकुला में संस्कृत महाविद्यालय भी बनने जा रहा है । इसी तरह से पंचकुला में पोलिटैक्निक का मल्टी स्किल सैन्टर बनने जा रहा है । इसके साथ–साथ पंचकुला में रोडवेज का डिपो भी बनने जा रहा है । हरियाणा में 22 जिलों में से 21 जिलों में रोडवेज के डिपो थे लेकिन पंचकुला में डिपो नहीं था जो कि अब बनने जा रहा है । पिछली सरकार के समय में पंचकुला को बिल्कुल नैगलैक्ट किया हुआ था जिसका जवाब पंचकुला की जनता ने

पिछली सरकार को चुनाव में दे दिया है । इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैक्टर 20 और 21 के डिवाइडिंग रोड से घग्गर नदी के पार जाने के लिए एक नया पुल बनने जा रहा है । इसके अतिरिक्त मल्टी लेवल पार्किंग बनने जा रही है । पंचकुला में हर्बल फोरेस्ट बनने जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, इस तरह का विकास केवल पंचकुला में ही नहीं हो रहा है बल्कि राज्य के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरह का विकास हो रहा है । अब मैं 'स्वच्छ भारत' मिशन के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना था । जब हमारे देश के लोग विदेशों में जाते हैं तो वे स्वच्छता से बहुत प्रभावित होते हैं विशेष कर हमारे युवा ज्यादा ही प्रभावित होते हैं और आ कर कहते हैं कि वहां पर सफाई बहुत अच्छी है । हमारे प्रधानमंत्री जी जब बाहर जाते हैं तो उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की स्थिति यहां भी होनी चाहिए और 'स्वच्छ भारत' मिशन के अन्तर्गत एक योजना दी है कि आओ हम सब मिल कर इस देश को स्वच्छ बनाएं तथा हरियाणा में यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को दी गई है। इस मिशन को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत से कार्यक्रम किये हैं । अध्यक्ष महोदय, अब मैं 'बेटी–बचाओ, बेटी–पढ़ाओ' के बारे में अपने विचार रखना चाहता हूं । आज कांग्रेस के हमारे साथी 'बेटी–बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के कार्यक्रम का मजाक उड़ाते हैं यह बात इनको उस समय सोचनी चाहिए थी जब हरियाणा प्रदेश के 12 जिले ऐसे थे जिनमें सैक्स रेशो सबसे कम थी यह सैक्स रेशो 836 से शुरू हो कर के 860 तक थी । आज पिछले दो साल के अन्दर यह सैक्स रेशो 860 से बढ़कर 900 को पार कर चुकी है । यह हमारी सरकार की उपलब्धि है । **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई)** इसी प्रकार से आज बिजली की बात करते हैं । मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पंचकुला जिला प्रदेश का पहला जिला है जिसके प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में 24 घण्टे बिजली दी जा रही है । यह हमारी सरकार की उपलब्धि है । आज मैं समझता हूं कि हमारे जिले में हमने अच्छी शुरूआत की है। हमारे जिले में 30 फीडर है जिनको 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। लेकिन पिछली सरकार के समय में तो पंचकुला में बिजली कहां आती थी । आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, पंचकुला जिला एक ऐसा जिला है जिसको कैरोसिन मुक्त किया गया है । पंचकुला में जो होस्पिटल है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि पंचकुला में 200 बैड का होस्पिटल है, देश के अन्दर सबसे बढ़िया होस्पिटल है जहां सारी सुविधा उपलब्ध

हैं । जहां पर डायलिसिस की सुविधा है, सीटी स्कैन की सुविधा है और भी सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं । वह होस्पिटल पंचकुला के अन्दर बना हैं । जहां पूरे प्रदेश के अन्दर आज ईज ऑफ डूईंग बिजनैस के लिये माहौल तैयार हुआ है । आज उसके लिये हमारी सरकार ने बड़े–बड़े सम्मिट किये हैं जिससे बाहर के लोगों ने यहां हरियाणा में आकर इन्वेस्ट करने की इच्छा जताई है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जो यह पिछले महीने से जाट आरक्षण चल रहा है, इसका लगातार राजनीतिकरण किया जा रहा है । इसको राजनीतिक स्पोर्ट दी जा रही है । चाहे वह इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी है, चाहे वह कांग्रेस पार्टी है उसके द्वारा जाट एजिटेशन का राजनीतिकरण किया जा रहा है और उससे राजनीतिक फायदा उठाने के लिये तरह–तरह के लोग वहां जाकर उस पर भाषण भी दे रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि हमारा तो जाट आरक्षण पर खुला समर्थन है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, क्या इन लोगों का उनको भी समर्थन है जो नरेन्द्र मोदी जी की गर्दन उतारने की बात करते हैं, जो आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को गोली मारने की बात करते हैं, क्या आपका उनको भी समर्थन है ? क्या आप उनका समर्थन करते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनूप धानक : उपाध्यक्ष महोदया, मैं गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं कि क्या गुप्ता जी, जाट आरक्षण के पक्ष में हैं । (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : अनूप जी, आप बैठिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, जिस प्रकार से जसविन्द्र सिंह संधू जी कर रहे हैं । मैं कह रहा हूं कि यह एक षड़यंत्र है कि हरियाणा में निवेश न आए और जो बाहर का व्यापारी है, बाहर का जो उद्योगपति है जो उद्योग करने वाला है वह यहां हरियाणा में न आए । इसलिये इस प्रदेश के माहौल को खराब करके ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर वातावरण ठीक नहीं है । जो यह जाट ऐजिटेशन है मैं समझता हूं कि पिछली बार जो हुआ वह बड़ा दुःखदायी था, उसमें प्रदेश का भाईचारा तोड़ने की बात की गई थी। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि प्रदेश के भाईचारे को बनाए रखने के लिये आज भी 36 बिरादरी इक्ट्ठी है। लेकिन कुछ लोग आज भी प्रदेश का भाईचारा तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें चाहे वह राजकुमार सैनी हों या कोई और दूसरे लोग

हों। कुछ लोग तो नरेन्द्र मोदी जी की छाती में गोली मारने की घोषणा भी करते हैं और आप ऐसे लोगों के धरनों में जाकर उनका समर्थन करते हैं। आपकी वहां जाकर उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती कि आप उनके खिलाफ बोल सकें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनूप धानक : उपाध्यक्ष महोदया, हम ज्ञान चन्द जी से यह पूछना चाहते हैं कि वह इस जाट आरक्षण के फैसले के हक में हैं या विरोध में हैं ।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, यह किस फैसले की बात कर रहे हो । हमारी सरकार ने तो विधान सभा में जाट आरक्षण को लागू कर दिया है । जाट आरक्षण हमारी सरकार ने दिया है । पिछली सरकार ने तो केवल लोलीपॉप दिया है । हमारी सरकार ने करके दिखाया है । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जाट आरक्षण पर हुए दंगे पर कभी एक शब्द भी नहीं कहा ।

श्री नायब सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, जसविन्द्र सिंह संधू जी नरेन्द्र मोदी जी के खिलाफ बोल रहे है । आप लोग देशद्रोहियों का साथ देते हैं । कल आप लोगों ने देशद्रोहियों का साथ दिया । आप लोग देशद्रोहियों का साथ देते हो । आप ऐसे व्यक्तियों का साथ देते हो जो देशद्रोही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, आज विपक्ष के लोग जाट आरक्षण की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से इन विपक्ष के लोगों को बताना चाहता हूँ कि असल में जाट आरक्षण विधेयक तो इसी सदन में हमारी सरकार ने ही पास किया थी। इनकी सरकार के समय में तो जाटों को केवल लाली पोप देने का काम किया गया था। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने पिछले दो साल में जो काम किए हैं वह मैं सदन को बताना चाहता हूँ। पिछले 40–50 वर्ष से हरियाणा प्रदेश में यह मांग की जा रही थी कि व्यापरियों की समस्या के समाधान के लिए तथा व्यापरियों की सुरक्षा के लिए कोई न कोई व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी कैबिनेट को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने हरियाणा में पिछले 50 साल के इतिहास में पहली बार व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) इसकी वजह से व्यापारियों को अपनी समस्याओं को सुलझाने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। इसके अलावा हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस के लिए, शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पूरे प्रदेश के सभी आफिसिज में

बायोमीट्रिक अटैंडेंस की शुरूआत की है तथा ई–रजिस्ट्री की भी शुरूआत की है। पारदर्शी शासन व्यवस्था का ही यह एक उदाहरण कि पैंशनधारियों की पैंशन उनके अकाउंट्स में सीधे चली जाती है जोकि पहले बीच में घुम हो जाया करती थी। कॉफी बड़ी संख्या में ऐसे केसिज पाये गए हैं जिनमें वास्तव में तो बुढ़ापा, विधवा या दिव्यांगजनों की पैंशन जा रही थे लेकिन असलियत में वे लोग थे ही नहीं बल्कि उनके नाम पर पैसा लिया जा रहा था। इस तरह की बातों को हमारी सरकार ने गम्भीरता से लेते हुए सारी प्रणाली का कंप्यूट्राईजेशन ही कर दिया और इस प्रकार प्रदेश में लाखों रूपये के रेवेन्यु का फायदा हुआ। यही नहीं हमारी सरकार ने सत्ता में आते ही 119 ग्राम पंचायतों में वाई–फाई की भी व्यवस्था की है। 3600 से ज्यादा अटल सेवा केन्द्र ग्रामों में खोल दिए गए हैं। 134 ई–दिशा केन्द्र खोले गए हैं। आज ई–आफिस एप्लीकेशंज, हरियाणा के आफिसिज में शुरू कर दी गई है जिसके माध्यम से फाईल की स्थिति का स्वयं ही पता चलता रहता है कि कौन सी फाईल किसके पास और कितने दिनों से पड़ी है और उस पर क्या एक्शन लिया गया है। यह भी शासन व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में हमारी सरकार का एक प्रयास है। अब मैं सड़कों के बारे में इस महान सदन में बताना चाहूँगा। पिछले दो साल में जितनी सड़कें हरियाणा प्रदेश में बनी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिछली सरकार के 10 साल में भी इतनी सड़कें नहीं बनी थी। हमारी सरकार ने जो यह सड़कें बनाई हैं वे गुणवत्ता की दृष्टि से भी बहुत अच्छी हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री ललित नागरः उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हाथ में एक अखबार की कटिंग है जिसमें शीर्षक के साथ खबर छपी है कि प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत खराब है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह की खबरें तो ये लोग स्वयं ही छपवाते हैं।(शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, पिछली सरकार ने जाते–जाते बुढ़ापा पैंशन, दिव्यांग पैंशन तथा विधवा पैंशन 1000 रूपये की थी लेकिन हमारी सरकार ने इस पैंशन को बढ़ाते हुए 1600 रूपये कर दिया है और यहीं नहीं हर वर्ष इस पैंशन को लगातार बढ़ाया भी जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणबीर गंगवाः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय साथी सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2000 रूपये बुढ़ापा व अन्य दूसरी पैंशन देने की भी

बात कही थी लेकिन सत्ता में आते ही यह लोग अपने 2000 रूपये पैंशन देने के वायदे को भूल गए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री असीम गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष के लोगों को सरकार की उपलब्धियां हजम नहीं हो रही हैं। इन लोगों के शासन काल में पैंशन के पैसे भी डकार लिए जाते थे। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदयाः असीम जी, प्लीज आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि इस बुढ़ापा व दूसरे प्रकार की पैंशन को हमारी सरकार बाकायदा तौर पर 2000 रूपये करेगी क्योंकि सरकार ने हर वर्ष इस पैंशन में 200 रूपये की वृद्धि करने की कमिटमैंट कर रखी है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः उपाध्यक्ष महोदया, सदन को गुमराह किया है। मैं इस मामले की असलियत सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सरकार के पहले बजट सैशन की बात है। जब लगा कि सरकार बुढ़ापा व अन्य दूसरी पैंशनों को 2000 रूपये करने से भाग रही है जबकि यह उनके चुनावी घोषणा पत्र का एक वायदा था तो उस समय सदन में चौधरी अभय सिंह चौटाला ने यह सुझाव दिया था कि यदि सरकार एकमुश्त यह पैंशन 2000 नहीं कर सकती तो कम से कम इस पैंशन में हर वर्ष 200–200 रूपये की वृद्धि तो की ही जा सकती है और इस सुझाव को मानते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने हां भर दी थी तब जाकर सरकार ने बुढ़ापा पैंशन 200–200 रूपये बढ़ानी शुरू की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगीः उपाध्यक्ष महोदया, सरकार ने बुढ़ापा व अन्य दूसरी पैंशनों में बढ़ोत्तरी फसी में करनी पड़ी थी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, माननीय साथी जानबूझकर सदन को डिस्टर्ब कर रहे है। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में साफ तौर से यह वर्णित किया था कि हम पांच साल में बुढ़ापा व अन्य दूसरी पैंशनों को 2000 रूपये करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र एक वर्ष के लिए नहीं होता बल्कि यह पूरे पांच वर्ष के लिए होता है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा)ः उपाध्यक्ष महोदया, अब मुझे ही इस मामले की असलियत बतानी पड़ेगी। जब सदन में बुढ़ापा व अन्य दूसरी पैंशनों के बारे में बात चल रही थी तो माननीय विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला ने पैंशन के बारे खुद सुझाव दिया It is on the record of the House कि आप बुढ़ापा व अन्य

दूसरी पैंशनों को प्रति वर्ष 200–200 रूपया करके बढ़ाओ और सरकार ने विपक्ष की इस बात को उसी समय स्वीकार कर लिया। आज यह पैशन 1600 रूपये कर दी गई है और आने वाले सालों में स्वयं 2000 रूपये हो जायेगी। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे सत्ता में बैठे हुए साथियों को कहना चाहता हूँ कि झूठे गीत गाना ठीक बात नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चंद गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार काम करती है। हमारी सरकार झूठे गीत नहीं गाती बल्कि जो काम किए गए हैं, उन्हीं के बारे में सदन में बताया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बरालाः उपाध्यक्ष महोदया, विपक्ष के शासन काल में तो बुढ़ापा व अन्य दूसरी पैंशनों का पैसा डकार लिया जाता था। अब यह लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इनका दर्द झलक रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में पिछले 50 वर्षों में खेलों को प्रोत्साहन देने वाली कोई अच्छी खेल नीति नहीं बनी थी । हमारी पार्टी की सरकार ने हरियाणा में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए अच्छी खेल नीति बनाई है । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : गुप्ता जी, आप प्लीज वाइंड अप कीजिए ।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, मैं वाइंड अप कर रहा हूं । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अपने खिलाड़ियों के लिए खेल नीति बनाई है । प्रदेश की खेल नीति से हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है । हरियाणा प्रदेश की सरकार ओलम्पिक में गोल्ड मैडल लाने वाले खिलाड़ी को 6 करोड़ रूपये, सिल्वर मैडल लाने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ रूपये और ब्रोंज मैडल लाने वाले खिलाड़ी को 2.50 करोड़ रूपये देती है । हमने हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए 1 करोड़ रूपये ईनाम की राशि की कबड्डी का आयोजन करवाया है । एक करोड़ रूपये ईनाम की कबड्डी का आयोजन किसी प्रदेश ने पहली बार करवाया है । मैं हरियाणा की जनता को इस बात की बधाई देता हूं कि उस 1 करोड़ रूपये की ईनामी कबड्डी में हरियाणा की कबड्डी टीम जीतकर आई है और हरियाणा की टीम को 1 करोड़ रूपये का इनाम मिला है । इस तरह के आयोजनों से हमारे खिलाड़ियों को अच्छा खेलने के लिए प्रोत्साहन मिलता है । (विघ्न) आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, हमारे प्रदेश के आदरणीय खेल मंत्री विज

साहब के द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेलों के कार्यक्रम शुरू किये गए हैं । इन्हीं का परिणाम है कि हमारे प्रदेश की बेटी साक्षी मलिक ने ओलम्पिक गेम्स में कांस्य पदक और दीपा मलिक ने पैरा ओलम्पिक गेम्स में रजक पदक जीता है । हमारे प्रदेश की सरकार ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बच्चों को उनकी रूट्स से ही मजबूत करने के लिए हर जिले में खेल नर्सरी खोलने का निर्णय लिया है । पिछली सरकार ने अपने दस साल के शासन काल में इस तरह का कोई भी स्टैप नहीं उठाया जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, पिछली सरकार ने जो काम किया है उसके बारे में हमको और प्रदेश की जनता को अच्छी तरह से पता है । पिछली सरकार ने दस सालों में लैण्ड स्कैम और सी.एल.यू. के अलावा कुछ नहीं किया है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने अपने शासन काल में खिलाड़ियों के लिए हरियाणा प्रदेश में हजारों खेल नर्सरीज खोली थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या गीता भुक्कल जी से पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने हजारों खेल नर्सरीज कहां खोली थी ? मुझे बताइये कि ये खेल नर्सरीज किस जगह पर खोली गई थी ? पिछली सरकार ने सिर्फ कागजों में ही खेल नर्सरीज खोली है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या गीता भुक्कल जी से पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने ये खेल नर्सरीज कहां पर खोली हैं ? (विघ्न)

श्री नायब सैनी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी को कहना चाहूंगा कि इन्होंने खेल नर्सरीज केवल कागजों में खोली हैं । ग्राउंड लैवल पर तो कुछ भी काम नहीं किया गया है । (विघ्न)

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, इन खेल नर्सरीज को हमारी सरकार ने असलियत में बनाया है । (विघ्न) इन्होंने तो इन खेल नर्सरीज को सिर्फ कागजों में ही रखा था । पिछली सरकार के समय में ये खेल नर्सरीज कागजों में

ही खुल गई और पता भी नहीं लगा कि कहां कितना पैसा लगा है। (शोर एवं व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : ज्ञान चंद गुप्ता जी, आप प्लीज वाइंड अप कीजिए ।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, मैं महामहिम राज्यपाल प्रो. कप्तान सिंह सोलंकी का हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करने पर धन्यवाद करता हूं । वैसे हमारी सरकार की उपलब्धियां इतनी हैं कि गिनाते–गिनाते रात हो जाएगी । उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे सदन में बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं ।

श्री जाकिर हुसैन (नूँह) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । आज आदरणीय सदस्य सरदार जसविन्द्र सिंह संधू और माननीय सदस्या प्रेमलता जी ने सी.एम. अनाउंसमैंट्स का मुद्दा उठाया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उनमें से कई घोषणाएं अति महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित हैं जैसे सिंचाई विभाग । सिंचाई विभाग एक महत्वूपर्ण विभाग है । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की हुई लगभग 80 परसेंट घोषणाएं लटकी हुई हैं । इनमें बहुत–सी घोषणाएं ऐसी हैं जिनकी ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल भी हो चुकी है और माननीय राज्यपाल महोदय से भी मंजूर हुए एक साल हो चुका हैं परंतु उन पर काम शुरू नहीं हो रहा है । यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है । माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणाओं को सरकारी अधिकारी नॉन फिजिबल डिक्लेयर करके उन पर काम नहीं करना चाहते जबकि ये लोकहित की घोषणाएं हैं । वे अधिकारी इस सरकार को नुक्सान पहुंचाना चाहते हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं यह एक गम्भीर विषय है और उन्हें इस पर जांच करनी चाहिए । माननीय मुख्य मंत्री जी मेहरबानी करके इन घोषणाओं को लागू करवायें । मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यह एक अति गम्भीर विषय है और इसमें जांच करने की आवश्यकता है । अब मैं इस विषय के विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि ऐसा करने पर बहुत वक्त लग जाएगा । माननीय मुख्य मंत्री जी दिनांक 23 अक्तूबर, 2016 को मेवात में गए थे और वहां पर कई घोषणाएं करके आये थे । गवर्नर एड्रैस में जिक्र है कि धार्मिक स्थानों को टूरिस्ट प्लेसिज़ के सर्किट से जोड़ा जाएगा । उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा नं. 15267, पांडव

कालीन शिव मंदिर, नूंह में तथा घोषणा नं. 15268 शेख मूसा का मजार, नल्हड़ में बनाने के लिए हुई थी लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह झीर में भी एक शिव मंदिर है, जिसका राम बिलास शर्मा जी ने बार–बार जिक्र किया हुआ है। दुर्भाग्य से इसका जिक्र भी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं आया है। उपाध्यक्ष महोदया, इन तीनों धार्मिक जगहों को इसी साल पर्यटन स्थल की तरह इस डिवैल्प किया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, एक बहुत ही गंभीर विषय पहले भी हुआ था और कल फिर हुआ कि मैंने एक प्रश्न लगाया था regarding Government rules and instructions के अगेंस्ट without calling of tender, quotation or sanction of estimates or completion report of Panchayat Department वर्ष 2009 से 2015 तक। क्या इस तरह की इररेगुलैरिटी सरकार के नोटिस में आई है? दिनांक 31.11.2015 को सदन में मेरा प्रश्न लगा था लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। दिनांक 31.03.2016 को सरकार ने जवाब दिया कि कुछ इररेगुलैरिटी हुई हैं और इस पर कमेटी बनाकर कार्रवाई करेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, कल फिर श्री नसीम अहमद का प्रश्न नं. 1897 था, उसको भी सरकार ने स्किप कर दिया। उपाध्यक्ष महोदया, मौजूदा सरकार पिछली सरकार के घोटालों पर क्यों पर्दा डाल रही है? यह बहुत ही गंभीर विषय है। नूंह जिले के पंचायत विभाग में गंभीर ऑफैन्स हुआ है। पंचायत विभाग में न तो टैंडर, न कम्पलीशन रिपोर्ट, न कुटेशन है और न ही अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध है, फिर भी सारी की सारी पेमैंट्स कर दी गई हैं। उपाध्यक्ष महोदया, पंचायत विभाग में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, इस मामले में थोड़ी सी इन्क्वॉयरी हुई थी उसकी रिपोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक आपके माध्यम से सदन में बताना चाहता हूँ कि नूहं के चार गांव सुडाका, घसेड़ा, मालब और अकहेड़ा में सबसे ज्यादा घोटाले हुए थे। वर्ष 2005 से 2016 तक गांव सुडाका में श्रीमती साहिला गांव की सरपंच थी, उसके बाद उसके लड़के की बहू गांव की सरपंच बनी थी। गांव सुडाका की पंचायत से संबंधित पूरे 10 वर्ष का रिकॉर्ड मांगा गया। जबकि पंचायत विभाग में हर 5 साल बाद रिकॉर्ड जमा होता है, वर्ष 2005 से वर्ष 2010 के रिकॉर्ड के बारे में कहा गया कि यह रिकॉर्ड जल गया है और इसकी एफ.आई.आर. भी दर्ज है। वर्ष 2010 से वर्ष 2015 के रिकॉर्ड के बारे में कहा गया है कि गुम हो गया है और उसकी भी

एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी है। उपाध्यक्ष महोदया, सरपंच के पास रिकॉर्ड हो या ना हो लेकिन सरकार के पास भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से घसेड़ा गांव में वर्ष 2005 से वर्ष 2016 तक एक ही परिवार की सरपंची रही है। वर्ष 2016 में मौजूदा सरपंच ने एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई कि –

> ''मैं वर्ष 2005 से वर्ष 2016 तक के रिकॉर्ड की फोटोस्टेट करवाने के लिए पलवल जा रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी में से रिकॉर्ड चोरी हो गया।''

उपाध्यक्ष महोदया, उसके बाद कोई भी पूछताछ नहीं हुई। 10–10 वर्ष का रिकॉर्ड पंचायत विभाग में उपलब्ध नहीं है बल्कि नियम के अनुसार नई पंचायत के गठन से पहले रिकॉर्ड जमा होना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से मालब और अकेहड़ा गांव का कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, यह बड़ा गंभीर विषय है कि इन चारों गांवो के बारे में सदन में अवाज उठाने के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जिन सरपंचों ने बाकायदा अपना रिकॉर्ड जमा करवा रखा है उनको परेशान किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके मार्फत माननीय पंचायत मंत्री से प्रार्थना है कि इस विषय को बहुत गंभीरता से लेकर इसकी जांच करवायें और सारे के सारे रिकॉर्ड को बाकायदा उपलबध करवायें। उपाध्यक्ष महोदया, जब यह सवाल बार–बार पूछा गया तो हमारे ऊपर दवाब बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की गयी क्योंकि हमने गबन की बात उठायी थी। नूंह के ए.डी.सी. साहब ने 8 मार्च, 2016 को चिट्ठी जारी की कि श्री जाकिर हुसैन यह बार–बार पूछ रहे हैं इसलिए इनका रिकार्ड उठाकर लाओ और ऐसा मैसेज गया कि मौजूदा जो सरपंच चुने गये है इनका भी रिकार्ड जांच के लिए प्रस्तुत करें। सभी लोगों ने दबाव बनाने के लिए ए.डी.सी. ऑफिस से हमारे खिलाफ एक चिट्ठी जारी करवाई। माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी, यह बहुत गम्भीर विषय है क्योंकि अगर विधायक कोई बात उठाते हैं तो अधिकारी बिना कारण के पब्लिकली नाम लेकर एक अफवाह फैलाने का काम करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदया जी यह बहुत अच्छी प्रथा नहीं है इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है।

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) उपाध्यक्ष महोदया जी, माननीय सदस्य ने पहले भी इस बारे में सवाल पूछा था और दूसरे सदस्य के माध्यम से आया था। जो बात मेरे सामने आयी है वह यह है कि सवाल बहुत व्यापक रूप में पूछा जाता है। दस साल का रिकार्ड और कई गांवों के रिकार्ड के बारे में पूछा जाता है। विभाग के

पास जब वह सवाल आता है तो उस सवाल का जबाव देने के लिए और जानकारी इकट्ठी करने के लिए विभाग को बहुत कम समय मिलता है। जितना समय उनको मिलता है उतने समय में विभाग जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है। वैसे इस सवाल का पहले भी जबाव दिया गया है और अब भी इस सवाल का जबाव दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जिन 4 गांवों का माननीय सदस्य ने विशेष उल्लेख किया है इसके बारे में मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाकर जांच करवायी जाएगी। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो गलत कार्य करने वाले हैं उन को छोड़ा नहीं जाएगा।

श्री जाकिर हुसैनः माननीय मंत्री महोदय जी, मेरे पास एफ.आई.आर. की कापी है, जिसे मैं आपके समक्ष पेश कर दूंगा। मैं इसे पढ़ने की बजाय सदन के पटल पर रख देता हूं इससे सदन का समय भी बचेगा। उपाध्यक्ष महोदया जी, श्री कृष्ण कुमार बेदी जी हमारे जिले के पब्लिक ग्रीवेंसिज कमेटी के अध्यक्ष हैं। बहुत से मामलों में गड़बड़ है और यह गड़बड़ क्यों हो रही है? इसका कारण यह है कि वही अधिकारी आज भी वहां लगे हुए हैं जिनके खिलाफ पिछले 10–12 सालों से जांच होनी है। मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं कि पब्लिक ग्रीवेसिज कमेटी में एक दरखास्त भा0द0स0 के तहत सरपंच के खिलाफ की गई और उसकी इन्कवायी एस.डी.एम. फिरोजपुर झिरका द्वारा की गयी। जांच रिपोर्ट पब्लिक ग्रीवेंसिज की मीटिंग में पेश की गयी तथा माननीय मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी के आर्डर से एफ. आई.आर. दर्ज हो गयी। एफ.आई.आर. नं 240 दिनांक 17.12.2015 को नगीना थाने में अंडर सैक्शन 120 बी 406, 409, 420 आईपीसी के तहत सदीक अहमद जे.ई. व सरंपच उमर मोहम्मद के खिलाफ दर्ज की गयी। लेकिन उनको अरैस्ट करने की बजाय आज भी वह जे.ई. नूंह के पंचायती राज कार्यालय में लगा हुआ है। केवल 20–30 दिन के लिए उसकी बदली फरीदाबाद की गयी थी। जिस अधिकारी के खिलाफ एस.डी.एम. ने जांच कर रखी थी। यह उस एफ.आई.आर. की कापी है और उसको गिरफ़्तार करने की बजाय वापिस नूंह में इनाम देकर लगा रखा है। इससे ज्यादा ग्लेअरिंग उदाहरण और क्या हो सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी इजाजत से ये सारी एफ.आई.आर. की कापी सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। आप जांच कर ले यह सदीक अहमद जे.ई. उसी जगह पर लगा रखा है तो वहां रिकार्ड कैसे मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदया, मेवात की यह बहुत पुरानी हमारी

बात है और यह बहुत दिनों से चल रही है जैसे एस.वाई.एल. नहर का मुद्दा चल रहा है। हमें भी पानी के साथ–साथ रेल लाईन और रेल की सीटी की आवश्यकता है। चौ0 हुड्डा साहब जब मुख्य मंत्री थे, उन्होंनें कहा था कि आपके इलाके के लिए रेलगाड़ी मंजूर की जाती है। हमें बहुत उम्मीद थी और मिठाईयां बांटी गयी। यहां तक भी उन्होंने कहा था कि रेल लाईन के लिए आधा पैसा हरियाणा सरकार देगी जिस प्रकार झज्जर जिले में रेल लाईन बनाने के लिए दिया गया है तथा आधा पैसा केन्द्र सरकार की तरफ से दिया आएगा। हुड्डा साहब की सरकार भी चली गयी और अब यह सरकार आ गयी है। रेलवे मंत्री हमारे राज्यसभा के मैम्बर हैं हमें उनसे बहुत उम्मीद थी लेकिन फिर भी आज तक रेल लाईन के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। रेल बजट में भी इसकी कोई घोषणा नहीं की गई हैं। अब भारत सरकार के रेलवे मंत्री ने जो स्कीम दी है उसमें यह प्रावधान है कि अगर आधा पैसा राज्य सरकार अदा करे तो आधा पैसा केन्द्र सरकार दे सकती है। यह रेल लाइन मैचिंग ग्रांट में बन सकती है। मेरा आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि यह हमारे इलाके दक्षिण हरियाणा की बहुत बड़ी डिमांड है कि रेवाड़ी से पलवल वाया नूंह और गुरूग्राम से अलवर वाया नूंह यात्री रेल लाईन निकाली जाए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करें और हरियाणा सरकार इसका खर्चा वहन करे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उसमें मेवात के पिछड़ेपन को देखते हुए पॉलिसी में छूट देते हुए मई, 2015 में 34 स्कूल अपग्रेड करने का आदेश दिया गया था। डायरैक्टर, सैकेंडरी, एजूकेशन ने 18 जून 2015 को उपायुक्त मेवात को एक लैटर लिखा था कि आप कमरों तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर लो। अगर आप चाहें तो मैं इस लैटर की कापी सदन के पटल पर रख देता हूं। जो पत्र सरकार की तरफ से उपायुक्त को लिखा गया था यह उस पत्र की कापी है जिसमें उन स्कूलों के नामों की सूची है। लेकिन वहां पर कोई नया स्कूल नहीं खोला गया। आप देख सकते हैं वर्तमान सरकार को सत्तासीन हुए दो साल हो चुके हैं। दो साल में 34 स्कूलों में से किसी भी स्कूल को अपग्रेड नहीं किया गया है। इसी तरह ओ.डी.एफ एक बहुत अच्छी बात है। स्वच्छ भारत का जो मिशन है वह बहुत अच्छा है, लेकिन जब मेवात के 100–150 गांव में जब पीने का पानी ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है और इन गांवों को हरियाणा सरकार ने डार्क–जोन में डाल रखा है। फिर उपाध्यक्ष महोदया, आप ही बताइए कि इस गरीब इलाके मे यह स्कीम कैसे लागू हो सकती है ? वहां के लोग गरीब हैं, इसलिए लोग वहां

शौचालय नहीं बना सकते हैं। वहां पर किसी चीज को धोने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है। धनखड़ साहब जी, वहां पर जमीन के नीचे पीने का पानी एवलेबल ही नहीं है। आप आज सर्वे करवा लीजिए, आपको पता चलेगा कि हजार–हजार फुट जमीन के नीचे तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। वहां पर लोगों को कपड़े टैंकरों के पानी से या झीलों पर जाकर धोने पड़ते हैं, इसलिए उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो पीने के पानी की स्कीमें हैं, उन सभी को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : डॉ जाकिर हुसैन जी, आप जल्दी कंक्लूड करें।

श्री जाकिर हुसैन : उपाध्यक्ष महोदया, यहां इरीगेशन पर जो कहा गया है कि इसमें एक प्रॉजैक्ट मेवात फीडर कैनाल का अंडर कंसीड्रेशन में है जो कि मेवात जमीन की लाइफ लाईन है। मैं समझता हूं कि उसका हवाला भी इस अभिभाषण में आना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेवात विकास बोर्ड के सर्वे के लिए जो 70 लाख रुपए दिए हैं उस मेवात फीडर कैनाल का भी इस अभिभाषण में हवाला होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारी मेवात कैनाल का निर्माण जल्द–से–जल्द करवाया जाए और मैं खास तौर पर एक बार फिर इस बात पर दोबारा से जोर देना चाहता हूं कि जो चीफ मिनिस्टर जी की घोषनाएं हैं, उनको जल्द पूरा किया जाए। इनको नॉन–फिजीबल का नाम मेहरबानी करके न दिया जाए। क्योंकि उससे पूरे प्रदेश के हर वर्ग को, हर क्षेत्र को नुकसान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : श्रीमती गीता भुक्कल जी, आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलें, लेकिन 10 मिनट में अपनी बात रखें।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। महामहिम राज्यपाल का जो भाषण होता है, वह गवर्नमेंट का विजन डॉक्यूमेंट होता है जिसे हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय यहां पर पूरा नहीं पढ़ पाए, इसका चाहे जो भी कारण रहा हो। बी.जे.पी की जब सरकार बनी और सरकार बनने से पहले जो बी.जे.पी का मेनीफैस्टो था, उसमें 154 वायदे किए गए थे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहती हूं कि मैंने सोचा था कि सरकार का कार्यकाल कम–से–कम तीन साल का होने

जा रहा है और उसमें ज्यादा से ज्यादा वायदे पूरे किए जाएंगे या उनका सिर्फ जिक्र ही किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी को मैं यह कहना चाहूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने पूरा भाषण पढ़ा। यह परम्परा है और उन्होंने शुरू से अंत तक उल्लेख किया और जिसे सारा सदन ने सुना है।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, अगर महामहिम के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को शुरू से अंत तक पढ़ा हुआ मान लिया जाए कहा गया है तो चलिए ठीक है हमने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिया, लेकिन बी.जे.पी के मेनीफैस्टो के जो वायदे थे उनको किया हुआ न मान लिया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो केवल यह कहना चाहूंगी कि यह स्वर्ण जयंती वर्ष है। हरियाणा राज्य को बने हुए 50 साल हो गए हैं इसलिए स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है, इसके लिए मैं सबको बहुत–बहुत बधाई देती हूं। मैं चाहती हूं कि हमारे हरियाणा का जो इतिहास रहा है उसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। उपाध्यक्ष महोदया, हम लोग इंतजार करते रहे कि अच्छे दिन आएंगे–अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक तो आए नहीं। हम उम्मीद करेंगे कि इस स्वर्ण जयंती वर्ष में अच्छे दिनों के साथ ही यह वर्ष हमारा समाप्त हो। आज हमारा देश का जो युवा वर्ग है और यंगिस्तान जो है, वह उम्मीद किए हुए बैठा है कि हमें नौकरियां मिलेंगी, बहुत सारी नौकरियों के विज्ञापन आएंगे। कल जो हमारे एक्सटैंशन लेक्चरर्स जो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की तरफ आ रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और पानी की बौछारें मारीं, जिनकी हम कड़े शब्दों में विधान सभा में निंदा करते हैं और सरकार से ऐसी आशा और उम्मीद करते हैं कि उनकी मांगों को मानने का पूरा प्रयास करें।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गीता भुक्कल जी को कहना चाहूंगा कि ये पूर्व मंत्री रही हैं और इनको विपक्ष के नाते सरकार की किसी कार्रवाई का विरोध और निंदा करने का पूर्ण अधिकार है। मेरा इतना निवेदन है कि इनकी अपनी सरकार के समय में इन्हीं एक्सटेंशन लेक्चरर्स के ऊपर गोलियां चलवाई गईं और उसमें जो बेटी मारी गई थी, अगर इस बात की भी माननीय सदस्या निंदा करें और उसमें भी आत्मग्लानी का बोध प्रकट

करें तो सही होगा। माननीय सदस्या को इन बातों का भी उल्लेख करना चाहिए और रिकॉर्ड पर इस बात को भी लाना चाहिए।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। आज बहुत से लोग धरनों पर बैठे हुए हैं, चाहे हमारे कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, टीचर्स हैं, एक्सटेंशन लेक्चरार्ज हैं या हमारे सलेक्टिड जे.बी.टी जो 12337 के करीब हैं या उससे ज्यादा हैं। इसके अलावा मिड–डे मिल वर्कर्ज, आशा वर्कर्ज, किसान, महिलायें, दलित, कर्मचारी आदि सभी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं । इतना ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक भी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं । (शोर एवं व्यवधान) आज वोटिंग करवा लो वे 16 विधायक सरकार के पक्ष में वोटिंग नहीं करेंगे ।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी को हम इनके समय का गैस्ट टीचर्ज का आमरण अनशन याद नहीं दिलायेंगे । हमारे सभी विधायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ चाय पर बैठे है और रोज मिलते हैं। हमारी पार्टी के अंदर किसी प्रकार का असंतोष नहीं है।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, भारत सरकार और राज्य सरकार ने 'सबका साथ–सबका विकास' का नारा दिया है । 'सबका साथ–सबका विकास' में अपोजीशन के सदस्य भी आते हैं और सरकार के सदस्य भी आते हैं । क्योंकि हर विधायक दो से अढ़ाई लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है ।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, कांग्रेस के साथियों ने अपने पार्टी के अध्यक्ष को पिटवाया और दलित उत्पीड़न का केस भी दर्ज हुआ है । इसके अतिरिक्त कांग्रेस के विधायक अपनी सी.एल.पी. लीडर की बुलाई मीटिंग में भी नहीं जाते और ये हमारी बात कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

डा. रघुवीर सिंह कादियान : उपाध्यक्ष महोदया, कॉल एंड शकधर की रूल एंड प्रोसीजर की किताबों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई माननीय सदस्य अपनी स्पीच दे रहा है तो उसको बीच में इंट्रप्ट किया जाये ।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, डाक्टर साहब अब रूल्ज की बात कर रहे हैं। सदन की कार्यवाही का रिकार्ड चैक किया जाये कि कांग्रेस के साथियों ने कितनी बार दूसरे सदस्यों को बोलते हुए डिस्टर्ब किया है । इसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए ।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सबका साथ–सबका विकास की बात कर रही थी । मेरा मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि सबका साथ–सबका विकास के नारे को मजबूती के साथ लेकर चलें ताकि सभी चुने हुए प्रतिनिधि अपने हल्कों में काम करवा सकें । सभी माननीय सदस्य दो से अढ़ाई लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और सदन में उनकी बात को उठाते हैं इसलिए सरकार को सबके बारे में सोचना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि एक कलम से आठवीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू कर देंगे लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ । इन्होंने कहा कि आठवीं की बोर्ड की परीक्षा खत्म कर दी गई जिसके कारण दस साल काले दिवस के रूप में रहे । लेकिन मौजूदा सरकार ने एक भी नया आरोही मॉडल स्कूल, किसान मोडल स्कूल, कस्तूरबा गांधी मोडल स्कूल नहीं बनवाया । हम जो स्कूल अपग्रेड करके गये थे उनको भी मौजूदा सरकार ने डिग्रेड करने का काम किया है । 400 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गये हैं ।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल साहब भारत सरकार में कांग्रेस के एच.आर.डी. मिनिस्टर थे । उस समय भारत की शिक्षा प्रणाली में मौलिक परिवर्तन लाने के लिए नो डिटैंशन पॉलिसी लागू की गई । जिसके तहत पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक कोई परीक्षा नहीं होगी, इवैल्यूएशन नहीं होगी । उसके बाद बहन गीता भुक्कल जी की अध्यक्षता में पांच प्रांतों के शिक्षा मंत्रियों की कमेटी उस पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए बनाई गई। उस कमेटी की रिपोर्ट नो डिटैंशन पॉलिसी के खिलाफ थी । उसके बाद हमारी सरकार आई and we recommended Committie's Report और नो डिटैंशन पॉलिसी को खत्म किया ।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, वह कमेटी 5 राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की नहीं थी बल्कि पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी जिसकी मैं चेयरपर्सन थी । मैडम डिप्टी स्पीकर, इस मामले मे पार्लियामैंट के स्तर पर अमैंडमैंट हो रही है लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री महोदय तीन साल में वह नहीं करवा पाये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आठवीं के बोर्ड की परीक्षायें शुरू करवायेंगे। मैंने इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी लगाया था लेकिन वह अभी तक नहीं लग पाया है। मुझे ये यह बतायें कि उनकी सरकार आठवीं के बोर्ड की परीक्षायें शुरू करवा सकती है या नहीं करवा सकती है? आज माननीय सदस्य श्री केहर

सिंह जी ने यहां पर यह सवाल पूछा था कि सरकारी स्कूलों में एल.के.जी. और यू. के.जी. की कक्षायें शुरू की जायेंगी या नहीं? जिस समय हमारी सरकार थी उस समय इस मामले पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनी थी। इस कमेटी के अलावा एक और सब–कमेटी थी। इस सब–कमेटी का चेयरपर्सन भी मुझे ही बनाया गया था। इस सम्बन्ध में मेरी रिपोर्ट अभी भी सैंट्रल एडवाईजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के पास टेबल्ड है। उसमें हमने यह कहा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए।

श्री राम बिलास शर्मा : माननीय डिप्टी स्पीकर महोदया, हम इस बात को मान लेते है कि हमारी खुद की सरकार ने नो–डिटैंशन पॉलिसी के सम्बन्ध में हमने इनकी रिकमण्डेशन पर तत्कालीन एच.आर.डी. मिनिस्टर बहन स्मृति ईरानी जी के सामने हमने सबसे ज्यादा समर्थन किया था और Government of India is considering क्योंकि आर.टी.ई. एक्ट 134 के तहत पार्लियामैंट में उसके ऊपर प्रावधान करना पड़ेगा। मैं इनको बताना चाहूंगा कि we are considering this matter on her recommendations हमने भी इसकी recommendations को माना है और इनकी recommendations की भी सिफारिश की है।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिया जाता है और 6 वर्ष तक के बच्चे हमारे आगंनबाड़ी में जाते है। इस बारे में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि हरियाणा प्रदेश में 6 साल के नीचे के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में एल.के.जी और यू.के.जी. कक्षायें शुरू करके उनमें भेजा जाना चाहिए। महोदया, मैं आपके माध्यम से मैं इस सदन के सामने एक बात कहना चाहती हूं कि हम अच्छे कामों के लिए सरकार की पूरी तरह से स्पोर्ट करेंगे। मैं तो सरकार से केवल यह जानना चाहती हूं कि जब तक पार्लियामैंट या हमारे आर.टी. ई एक्ट में कोई अमैंडमैंट नहीं हुआ तो किस तरह से सरकार द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि हम बोर्ड की परीक्षाएं लेंगे? इसके अलावा एक गलत स्टेटमैंट और दी जाती है कि नो–डिटैंशन के साथ सी.सी.ई. का भी उसमें प्रावधान किया गया है। 'Continuous Comprehensive Evaluation' अर्थात सतत् मूल्यांकन के तहत किसने कहा कि पेपर्स नहीं लिये जाएंगे। पेपर्स लिये जाने का उसमें प्रावधान है। महोदया जी, मैं तो आपके माध्यम से सरकार से केवल एक बात कहना चाहूंगी कि

6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एल.के.जी. और यू.के.जी. की क्लासिज सरकारी स्कूलों में जल्दी से जल्दी शुरू की जानी चाहिएं। आज मंत्री जी ने कहा कि हम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर पर एल.के.जी. और यू.के.जी. की क्लासिज सरकारी स्कूलों में शुरू करवायेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि 4 साल की उम्र के बच्चे किस तरह से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वॉर्टर तक पहुंच पाएंगे? जो छोटे बच्चे है वो प्राइवेट स्कूलों में चले जाते है इसलिए मैं बार–बार यही कहना चाहूंगी कि एल.के.जी. और यू.के.जी. की क्लासिज सरकारी स्कूलों में जल्दी से जल्दी शुरू की जानी चाहिए। इसके साथ–साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि हमने जो (SPAT)खेलों के लिए शुरू किया वर्तमान सरकार ने उसको कंटीन्यू किया। यह अच्छी बात है। हमें केवल एक बात और जाननी है कि चाहे हमारे यहां स्किल डिवैल्पमैंट की बात हो या फिर नेशनल वोकेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाये जाने की बात हो, सरकार के ये सभी निर्णय अच्छे होने के साथ–साथ स्वागत योग्य हो। इसके साथ–साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि प्रदेश में आवश्यकतानुसार स्कूल अपग्रेडेशन को बंद न किया जाए। इस मामले पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक और गंभीरतापूर्वक दोबारा से विचार करे। सरकार द्वारा जो सुशासन सहयोगी लगाये गये हैं, के बारे में भी मैं सरकार से जरूर पुछना चाहूगी। हमारे यू. पी.एस.ई. से सिलैक्टिड आई.ए.एस. ऑफिसर्ज हैं व इसी प्रकार से एच.पी.एस.सी. से सिलैक्टिड एच.सी.एस. ऑफिसर्ज हैं और दूसरी संविधान के तहत जो संस्थाएं और इंस्टीच्युट्स बने हैं उनसे सिलैक्टिड लोग हैं। इस प्रकार से हमारे प्रशासन में अब तक यही परम्परा है कि हमारी प्रशासन व्यवस्था में या तो इलैक्टिड होगा या फिर सिलैक्टिड होगा। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि जब एक तरफ इलैक्टिड और सिलैक्टिड लोग है तो दुसरी तरफ ये सुशासन सहयोगी सरकार ने किस मद और किस कानून के तहत लगाये हैं। इनको संविधान के किस आर्टीकल के तहत लगाया गया है और इसी के साथ सरकार यह भी बताये कि उनको किस मद के तहत तनख्वाह दी जा रही है। सरकार की सीक्रेसी से खिलवाड़ करने का किसको अधिकार है? इस समय पूरे प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में बड़ा अजीब–सा महौल है। अफसर ये कहते है कि हमारे सिरों पर सुशासन सहयोगी बैठे हैं जिससे उनकी कार्यकुशलता प्रभावित हो रही है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले पर भी सरकार को दोबारा से विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से यहां पर 'हैपनिंग हरियाणा' की बार–बार बात की जाती है, यह अच्छी बात है हम

सभी चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो। हैपनिंग हरियाणा होना चाहिए और हरियाणा को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए लेकिन वर्तमान सरकार की सुस्त नीतियों की वजह से हैपनिंग हरियाणा की जगह मिस–हैपनिंग हरियाणा होता जा रहा है। अभी एन.आर.आईज. का जो सम्मेलन बुलाया गया। उसमें सबके रहने की व्यवस्था की गई, सबको आने–जाने की टिकटं दी गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जानना चाहती हूं कि वे स्पष्ट करें कि हमारे यहां पर कितना इनवैस्टमैंट आया और इस आयोजन पर सरकार द्वारा कुल कितना एक्सपैंडीचर किया गया। सरकार यह भी बताये कि इनवैस्टमैंट के लिए यहां पर कितने लोगों ने अपनी सहमति दी है क्योंकि आज प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। इस प्रकार के माहौल के कारण यहां के व्यापारी भी यहां से पलायन करने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार की लचर कानून व्यवस्था की स्थिति में मैं ये तो बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकती कि बाहर से लोग यहां आकर उद्योग लगाने की बात करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, एक बात यह है कि 'गरीब कल्याण वर्ष' सरकार मनाने जा रही है। यह बहुत अच्छी बात है कि गरीबों से जुड़ी योजनाओं को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी समृद्ध लोगों की पार्टी हैं। लोग यह भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों की बात करती है। यह हम सभी देख भी चुके हैं कि नोटबंदी करके भारतीय जनता पार्टी ने छोटे लोगों को तो लाईन में लगा दिया और यह भी हम सभी जानते हैं कि कितने लोग उस दौरान मारे गए। सरकार को उनके लिए भी कुछ न कुछ विचार अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार से व्यापार बंद होने के कारण जो लोग बेरोजगार हुए है, उनके लिए भी सरकार को कुछ विशेष योजनायें प्रारंभ करनी चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदया, एक मेरा प्रश्न लगा था 'महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना' के तहत कि कितने 100–100 गज के प्लॉट लोगों को दिये गये? जब हमारी सरकार थी उस समय महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 3,85,000 लोगों को 100–100 गज के प्लॉट दिये थे और उनके पोजैशन भी दे दिये गये थे और उन पर रिहायशी मकान बनाने के लिए काम शुरू हो गये थे । अब उस प्रश्न का जवाब आया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एस.सीज./बी.सीज. तथा बी.पी.एल. को मिला कर कुल 762 प्लॉट दिये गये हैं । डॉ. बनवारी लाल जी हिसार ग्रीवैंसिज कमेटी के चेयरमैन हैं वे हिसार के प्रभुवाला गांव के 400 से ज्यादा प्लाटों को वापिस लेने के ऑर्डर कर

चुके हैं । यह किस तरह का गरीब कल्याण है कि सरकार दे भी नहीं रही है और दिया हुआ भी वापिस ले रही है ।

उपाध्यक्ष महोदयाः गीता जी, आप वाइंड अप कीजिए ।

श्रीमती गीता भुक्कल : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा जिला झज्जर है और हमारी सरकार के दौरान वहां पर 'मेरा गांव मेरी बगिया' कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसके तहत बेकार पड़ी जमीनों के कब्जे छुड़वा कर वहां पर पार्क विकसित करके उनमें घास, बैंच और पेड़ पौधे लगाये गये थे लेकिन आज उनको मेनटेन भी नहीं किया जा रहा है । कृषि मंत्री श्री ओमप्रकाश धनखड़ भी झज्जर से हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि उन पार्कों को मेनटन किया जायें क्योंकि वहां पर पौधे सूख रहे हैं उनमें कोई पानी देने वाला भी नहीं है । वहां पर बहुत बुरे हालात हो गये हैं । उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि एस.सीज./बी.सीज. की चौपालों की मरम्मत का काम भी किया जाये । यह सरकार 'गीता' से शुरू हुई थी जो कि अच्छी बात है । अगर 'गीता' का जिक्र हो तो उसको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए तथा अपनी गतिविधियों में भी लागू करना चाहिए । गीता, गाय, गायत्री सभी चीजें अच्छी हैं और हम इनके खिलाफ नहीं हैं लेकिन धर्म निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को बराबर समझा जाना चाहिए । यह बात भी सही है कि 'गीता' हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है लेकिन आज तो लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए गधे भी प्रेरणा का स्रोत हैं यह बात सही है कि जो लोग, जो सरकार अच्छा काम करे उससे प्रेरणा लेनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जन–धन खातों की बात की गई कि हमने इतने खाते खुलवा दिये। जन–धन खातों के लिए लोगों को बहकाया गया कि आपके खातों में 15–15 लाख रुपये जमा हो जायेंगे लेकिन आज तक किसी के खाते में कोई पैसा जमा नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगी आज प्रदेश में लोगों का आपसी भाईचारा बिगड़ रहा है इसलिए प्रदेश सरकार के साथ–साथ हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस 36 बिरादरी के भाईचारे को बनाने की कोशिश करें । जो हालात पिछले दिनों हुये थे वे दोबारा से रिपीट न हों इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए । (विघ्न)

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या जन–धन खातों में 15–15 लाख रुपये की बात कर रही हैं वे कृपया यह भी बता दें कि नोटबंदी के दौरान उन्हीं जन–धन खातों में 75 हजार करोड़ रुपये किन लोगों ने जमा करवाये हैं?

श्री करण सिंह दलाल : उपाध्यक्ष महोदया, अभी बहन गीता भुक्कल जी ने कहा कि कुछ लोग गधों से प्रेरणा लेते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि गधे सबसे अच्छे गुजरात के होते हैं ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

श्री कुलदीप शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा

श्री कुलदीप शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मेरी पर्सनल एक्सपलेनेशन है। परिवहन मंत्री ने सदन के सामने जानकारी दी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को रैड लाईट लगाने की अनुमति नहीं दी गई है । मैं बताना चहाता हूँ कि हमने अभी इसके बारे में जो नोटिफिकेशन निकलवाई है उसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री को लाल बत्ती लगाने की अनुमति है । परिवहन मंत्री ने सदन के सामने गलत बयान दिया है । उन्होंने गलत बयानी की है उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए ।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने यह कहा है कि मैंने लाल बत्ती लगाने की अनुमति नहीं दी है, मैंने केवल एम्बर लाईट लगाने की अनुमति दी है । नोटिफिकेशन के बाद परमिशन लेनी जरूरी होती है । शर्मा जी यह बताएं कि परमीशन ली है या नहीं ? हर मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक को परमिशन लेनी पड़ती है ।

श्री कुलदीप शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, इस बारे में माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइन हैं । **(इस समय श्री अध्यक्ष महोदय पदासीन हुये।)**

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने तो केवल इतना कहा है कि परिवहन विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को लाल बत्ती लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की है ।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय ने परमीशन दी हुई है ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, यह विषय पूर्व स्पीकर साहब ने उठाया है। उन्होंने नोटिफिकेशन की बात पर जरूर ध्यान करवाया है। लाल बत्ती के लिये नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जरूर पूरी होनी चाहिए लेकिन आदरणीय ज्ञान चन्द गुप्ता जी तो शर्मा जी से केवल यह पूछ रहे हैं कि लाल बत्ती की नोटिफिकेशन होती है या नहीं, और उसकी एक प्रक्रिया होती है या नहीं । इतने जिम्मेदार व्यक्ति जिसने पूरा हरियाणा को 10 साल तक चलाया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाल बत्ती लगाने की परमीशन की

कार्यवाही हुई है या नहीं हुई बस इतना बता दीजिये । शर्मा जी, आप बड़े काबिल हैं । बस इतना बता दीजिये कि लाल बत्ती की परमीशन ली गई थी या नहीं ली गई थी ? या इसको गैर कानूनी ढ़ंग से चलाया जा रहा है इसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिये । इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा ।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास नोटिफिकेशन की कॉपी है ।

श्री अध्यक्ष : शर्मा जी, आप नोटिफिकेशन की कॉपी तो ले आए हैं लेकिन परमिशन तो फिर भी लेनी पड़ेगी ना ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी, अगर नोटिफिकेशन की कॉपी ले आए हैं तो परमिशन की कॉपी भी ले आइये । इससे हरियाणा की जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंड़ा) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । हरियाणा के इस 'स्वर्ण जयंती' वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश को एक नई दिशा मिल रही है । सरकार अन्तोदय की भावना से प्रदेश की ढ़ाई करोड़ जनता की सेवा करने का काम कर रही है । अध्यक्ष महोदय, यह भाजपा सरकार की सोच है जहां आज प्रदेश का हर जन प्रतिनिधि पढ़ा लिखा है । वहीं सरकार के कामकाज में पारदर्शिता काफी बढ़ी है । चाहे हम ई–सेवाओं की बात करें, चाहे हम ट्रांसफर पॉलिसी की बात करें, सभी में पारदर्शिता से कार्य हो रहा है । हमारे प्रदेश में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आई.टी., इण्डस्ट्री और स्किल डिवैल्पमैंट आदि क्षेत्रों में काफी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिसकी यहां पर विस्तार से चर्चा हुई है। यह सरकार एस.सीज. वर्ग, कमजोर वर्ग, युवा और महिलाओं के लिये अनेकों योजनाएं लेकर आई है । हरियाणा प्रदेश में आज सड़कों का एक मजबूत जाल बिछने जा रहा है और योजनाबद्व तरीके से उस पर कार्य हो रहा है । स्पीकर सर, बदलाव तो दिखाई दे रहा है । हमारी प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा देकर युवा वर्ग को उसके साथ जोड़ा जा रहा है । भ्रष्टाचार जैसी ला ईलाज बीमारी में भी बहुत सुधार हुआ है । सामाजिक मुहिम 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'स्वच्छता' अभियान के अच्छे परिणाम प्रदेश ने देखे हैं । जिसका हरियाणा का राजनीतिक इतिहास गवाह है कि अलग–अलग दौर में अलग–अलग क्षेत्र का विकास और कई ऐसी परम्पराओं को बदलने का काम भी इस सरकार में

माननीय श्री मनोहर लाल जी ने किया है । स्पीकर सर, चौधरी आनन्द सिंह दांगी जी ने आज एक विषय रखा मैं भी उनकी बात से इत्तफाक रखता हूं । उन्होंने कहा कि आज तक जब भी एस.वाई.एल. नहर का जिक्र हुआ है इस एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर लगभग हर सरकार ने राजनीति की है । स्पीकर सर, मैं उनकी बात का समर्थन करते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह बात बिल्कुल सही है कि किसान का जीवन बड़ा सख्त है और जहां किसान के ऊपर प्रकृति की मार पड़ती है वहीं सरकार के हाथ में जितना होता है वह भी राजनीति की भेंट चढ़ जाता है और किसान को जो सही तरीके से लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। सरकार अच्छी योजनाएं लेकर आती है लेकिन वह योजनाएं भी कई बार राजनीति का शिकार हो जाती हैं। इस बात का हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आज गिरता हुआ जो जल स्तर है ग्लोबल वार्मिंग है ये कहीं न कहीं किसान की कठिनाईयों को बढ़ाने जा रहा है इसलिये उस पर जो भी योजना बने उस पर कोई ज्यादा राजनीति नहीं होनी चाहिए । पिछले दिनों में भी हमने देखा कि सरकार ने फसल बीमा योजना की एक इतनी अच्छी स्कीम चलाई जिसमें सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि यह एक चलती हुई प्रक्रिया है जिसमें सुधार की गुंजाईश हमेशा रहेगी । मगर विपक्ष ने उस योजना में सकारात्मक भूमिका अदा न करते हुए उसके विरोध के रूप में प्रदेश के अन्दर एक अलग तरीके का प्रचार किया है । मैं समझता हूं कि ऐसी भूमिकाओं से बचना चाहिए । इसके साथ ही मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि घरौंडा के अन्दर इंडो इजराईल प्रोजैक्ट के तहत दिनों एक मेला लगा था और उस मेले में शहद तैयार करने वाले किसान आए हुए थे । मैं यह एक उदाहरण के तौर पर सदन में पेश कर रहा हूं कि जो शहद किसान 75 रूपये से 100 रूपये तक बेचता है वही शहद मार्किट में 250 रूपये से लेकर 500 रूपये तक बिकता है । इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं वह किसान के सामने आती हैं । मैं समझता हूं उसमें केवल सरकार का ही योगदान नहीं पूरे विपक्ष और सभी को एक जुट होकर किसान के बारे में सोचना चाहिए । मैं समझता हूं कि कोआप्रेटिव को बढ़ावा देना आज हमारे लिये समय की एक बहुत बड़ी जरूरत है । स्पीकर सर, मैं आज एक मांग जरूर रखना चाहूँगा क्योंकि बाकी बातों पर तो विस्तार से काफी चर्चा हो चुकी है। विगत अढ़ाई साल से लगभग जब से हम चुनकर आये हैं इस सदन में कोनों से एक आवाज हमेशा आती है, जिससे मैं समझता हूँ न केवल प्रदेश की जनता बल्कि जो

चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे भी कहीं न कहीं इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि असलियत क्या है? हमारे प्रदेश में अलग–अलग समय पर जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे हैं, वह सब हमारे लिए बहुत सम्मानित है और हम सब दिल से उनका सम्मान भी करते हैं। निःसंदेह इन सभी का अलग–अलग क्षेत्रों में बहुत योगदान रहा है और प्रदेश की जनता भी उनके उस योगदान को याद करती है। मगर उनके परिवारों के जो सदस्य यहां पर इस महान सदन के सदस्य हैं, वे सभी एक ही दावा करते हैं कि एस.वाई.एल. कैनाल का 95 प्रतिशत काम उन मुख्यमंत्री के समय पर हुआ। मैं समझता हूँ कि इस विषय पर तीन सदस्यीय कमेटी बनाकर अध्ययन करवाया जाये कि किस मुख्यमंत्री का एस.वाई.एल. कैनाल के लिए कितना योगदान है? मैं समझता हूँ कि इस तरह से प्रदेश की जनता को भी पता चल जायेगा और हम लोगों को भी जानकारी मिल जायेगी। अगर 95–95 प्रतिशत हर मुख्यमंत्री ने एस.वाई.एल. कैनाल का काम किया है तो यह तो लगभग पौने चार सौ प्रतिशत बन गया जबकि रिजल्ट आज भी जीरो का जीरो है। आज अगर एस.वाई.एल. कैनाल के मामले में उम्मीद की किरण दिखाई दी है तो वह केवल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की वजह से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मजबूत पैरवी की वजह से दिखाई दी है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का अभार व्यक्त करना चाहूँगा जो आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक समान दृष्टि से विकास के काम किए जा रहे हैं। मेरा घरौंडा विधान सभा क्षेत्र जो लंबे समय से विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, आज इसको उपमंडल का दर्जा प्राप्त हो चुका है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो एन.सी.सी. अकेडमी घरौंडा में खुलने संबंधी जो जिक्र किया गया है उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से जो गांव कुटेल में मैडिकल यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, 27 फरवरी, 2017 को यह महान सदन अपने बजट सत्र के लिए प्रारम्भ हुआ और शुरूआत में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ा और प्रदेश की अब तक की उपलब्धियों व भविष्य के विजन पर प्रकाश डाला। उसके बाद लगातार तीन दिन तक राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा हुई। सभी सदस्यों ने अपने–अपने क्षेत्रों में चल रही विकास व

जन कल्याण की योजनाओं के बारे में बताया। हमारे विपक्ष के मित्रों ने भी अपने ढंग से इस बात को कहा। सत्ता पक्ष के हमारे सदस्यों ने भी अपनी उपलब्धियों को सबके समक्ष रखा। परस्पर चर्चा के दौरान बहुत अच्छे व मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनकी मैं सराहना भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। हम सब इस प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं और निश्चित रूप से विकास के कार्यो को पूरा करना हम सबका दायित्व भी है। सदन में परस्पर चर्चा के दौरान बीच–बीच में छोटी–मोटी नोक–झोंक भी देखने को मिली जिसके द्वारा सबने अपने–अपने मंसूबे जाहिर किए। कहीं–कहीं चैलेंज भी होता देखा गया कि आप यह करके देख लें या आप वह करके देख लें, अगली बार यह होगा या अगली बार वह होगा, तमाम तरह की बातें हुई। मित्रों, मैं केवल इतनी बात कहता हूँ कि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार का यह पांच वर्ष का कार्यकाल है, हम इस कार्यकाल में प्रदेश व लोगों के हित में भय व भ्रष्टाचार मुक्त तथा पारदर्शी शासन देने के काम में निरंतर लगे हुए हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। मैं एक शेर पढ़कर सुनाता हूँ जिससे यदि किसी के मन में कोई शंका है तो निःसंदेह उसका निवारण हो जायेगा और जिन्होंने कोई स्वपन संजोये हुए हैं वह भी सावधान हो जायेंगे। शेर इस प्रकार हैः–

तुम नाहक शीशे के टुकड़े चुन–चुनकर अपने दामन में छुपाये बैठे हो,
जनता के मसीहा तो हम हैं– क्या आस लगाये बैठे हो?

(इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलत शेर पढ़ा हैं। जनता के मसीहा आप नहीं बल्कि जनता 'मसीहा' है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम जनता द्वारा चुने हुए सदस्य हैं । लगभग अढ़ाई वर्ष पहले घोटालों का दंश झेल रही जनता ने अपना जनादेश देकर हमारी सरकार को बनाया है । निश्चित रूप से हमारे जो टार्गेट्स हैं, भाजपा का जो टार्गेट है वह व्यवस्था परिवर्तन का है । हमने व्यवस्था परिवर्तन के बहुत काम किये हैं । अभी तक जितने भी काम शेष बचे हैं उन सब में हमने जन कल्याण और विकास के काम करने के नये युग का सूत्रपात किया है । अध्यक्ष महोदय, हम 28 महीने के शासन काल में जनआकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं । याद कीजिए पिछली सरकार के दौरान प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुण्ठा और अवसाद तथा आक्रोश का माहौल था । आज जनता के अन्दर एक आशा उत्पन्न हुई है । अब प्रदेश की परिस्थितियां

बदली हैं । हमने निराशा को आशा में बदला है । हम अवसाद को भी खुशी के रूप में आगे ला रहे हैं । व्यवस्था परिवर्तन के बहुत–से उदाहरण राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सब लोगों ने पढ़े होंगे तो इससे निश्चित रूप से सबको हमारी नीतियों में एक विश्वास पैदा हुआ होगा । हम एक नया हरियाणा, एक खुशहाल हरियाणा लेकर आ रहे हैं । हमारी उपलब्धियों पर जनता ने अपनी मोहर भी लगाई है । रिसैंटली फरीदाबाद कार्पोरेशन का चुनाव हुआ । हमने देखा कि 40 में से 29 सीटों पर हमारी पार्टी ने जीत हासिल की है । हमको फरीदाबाद म्युनिसिपल कार्पोरेशन में पूर्ण बहुमत मिला है । यह बहुत ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है । यह काम नियर पास्ट में हुआ है । यह वर्ष हरियाणा की स्वर्ण जयंती का वर्ष है । एक नवम्बर, 2016 से स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम शुरू हुए और ये 31 अक्तूबर, 2017 तक वर्ष भर चलने वाले हैं । आज हरियाणा प्रदेश स्वर्ण जयंती उत्सव के नये परिदृश्य में नजर आ रहा है । हम 'हरियाणा–एक, हरियाणवी–एक', और 'सबका–साथ, सबका विकास' की भावना को लेकर काम कर रहे हैं । हमने इसको प्रैक्टिकल रूप में लागू भी किया है । जैसा कि हम सबको जानकारी है कि सरकार बनने के पहले ही दो वर्षों में हमने 90 के 90 विधान सभा क्षेत्रों का दौरा किया है, फिर चाहे वहां सत्ता पक्ष के विधायक हों, चाहे इंडीपेंडेंट विधायक हों या विपक्षी दलों के विधायक हों, हमने सब जगह जाकर वहां की जो समस्याएं हैं, वहां के जो विकास के कार्य हैं उनको आवश्यकतानुसार कराने की घोषणा की है । पिछले दो वर्षों में लगभग 3500 घोषणाएं हुई हैं । अब निश्चित रूप से इन घोषणाओं के पूरा होने के बारे में चर्चा की जाएगी । सरकार का पहला वर्ष योजना और नीति बनाने का होता है । पहले वर्ष में जितनी घोषणाएं हुई हैं अभी तक उनमें से 38 परसैंट घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं या उन पर काम चल रहा है । अभी 62 परसेंट घोषणाएं पूरी होनी बाकी है । हमारे पास इन्हें पूरी करने का पर्याप्त समय है क्योंकि काम करने की गति तीसरे वर्ष में बनती है और यह मध्य का वर्ष होता है । फिलहाल यह स्वर्ण जयंती का वर्ष है । यह योजनाओं के क्रियान्वयन का वर्ष है । हम सब घोषणाएं पूरी करेंगे ऐसा मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं । इसी प्रकार स्वर्ण जयंती वर्ष के दौरान हमने कई नई–नई योजनाएं और कई कार्यक्रम शुरू किये हैं। ये किसान हित, मजदूर हित, युवाओं के उत्थान, महिलाओं के सम्मान आदि के कार्यक्रम हैं । पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय विचार–चिंतन को शामिल करके हम इस वर्ष में नई–नई योजनाएं शुरू कर रहे हैं । 1 नवम्बर, 1966 को

अलग राज्य के रूप में हमारा प्रदेश अस्तित्व में आया । हरियाणा प्रदेश में इन 50 सालों में कई सरकारें रही । उन्होंने अपनी–अपनी सोच, समझ और ज्ञान के आधार पर हरियाणा के विकास के रास्ते को जरूर आगे बढ़ाया है । इसके लिए हमने सबका शुक्रिया अदा किया है । ऐसा नहीं है कि प्रदेश हित के सारे ही काम हमने कराये हैं । बहुत–से काम हमसे पहले की सरकारों में भी शुरू हुए हैं । इसके लिए मैं उन सभी मुख्यमंत्रियों का और सरकारों का आभार व्यक्त करता हूं । आज तक हमें कई मंजिलें मिली हैं लेकिन अनेक मंजिलें अभी प्राप्त करना बाकी हैं जिनको हमको अभी पूरा करना है। हमारे सामने एस.वाई.एल. कैनाल का ज्वलंत एवं महत्वपूर्ण विषय है । यह मुद्दा कई वर्षों से लगातार चल रहा है । यह प्रदेश के हित का इतना बड़ा मुद्दा है कि जिस पर इस सत्र में भी काफी चर्चा हुई है । मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से हमारी जीवन–रेखा है । इस के नहीं बनने से न केवल हरियाणा को बल्कि पूरे देश को नुक्सान हो रहा है क्योंकि हरियाणा के हिस्से का 1.88 एम.ए.एफ पानी हमें नहीं मिल रहा है। इसके कारण से 10.8 लाख एकड़ में सिंचाई नहीं हो रही है। इससे हमें लाखों करोड़ों रूपयो का नुकसान हो रहा है। यह हम सबके लिए यह एक चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पिछले 12 वर्षों का इतिहास इस सदन को जरूर बताना चाहूँगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के पक्ष में निर्णय दे दिया कि हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रैजीडैंशियल रैफरैंस का उल्लेख सभी माननीय सदस्य कर चुके हैं। इस एस.वाई.एल. कैनाल पर 10 वर्ष के कांग्रेस के राज में कोई भी काम नहीं हो पाया था। अध्यक्ष महोदय, आरोप प्रत्यारोप का समय आज नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चहाता हूँ कि एस.वाई.एल. कैनाल पर निकट भविष्य में हमारा लक्ष्य पूरा होने वाला है। जब लक्ष्य नजदीक लग रहा हो तो उसमें एक होड़ मची हुई है कि इसका श्रेय कौन ले। अध्यक्ष महोदय, श्रेय लेते समय हम कई बार राजनीति करने लग जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों और हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों से निवेदन है कि एस.वाई.एल. कैनाल पर राजनीति ना करें क्योंकि इस पर बहुत राजनीति हो चुकी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने पिछले निर्णय में बताया है कि नहर बनकर ही रहेगी। अध्यक्ष महोदय, जब नहर बनकर रहेगी तो निश्चित रूप से उसमें पानी भी आयेगा। (**इस समय मेजें थपथपाई गई।**) अध्यक्ष महोदय, इस महीने के अंतिम दिनों में माननीय उच्चतम न्यायालय में लगातार एस.

वाई.एल. कैनाल पर सुनवाई होने वाली है। माननीय उच्चतम न्यायालय में जब सुनवाई होगी तो उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि एक दशक से लम्बित प्रैजीडैंशियल रैफरैंस का फैसला हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, एग्जीक्यूशन पैटीशन जो हमने जून, 2016 में दायर की थी, उसके ऊपर सुनवाई की तारीख 28 मार्च लगी हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हम लगातार सुनवाई करके फैसला देने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, इतने लम्बे संघर्ष के बाद एस.वाई.एल. कैनाल का पानी आने के बाद हरियाणा को खासकर के दक्षिणा हरियाणा को पूरा लाभ होगा। हरियाणा में जो पानी की कमी है वह पूरी हो जायेगी। पानी की कमी के कारण कई ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं। डार्क जोन के कारण केन्द्र की तरफ से ऐसी हिदायत भी आती हैं और माननीय न्यायालय में भी इस तरह के विषय उठते हैं और उन पर हिदायत आती है कि डार्क जोन के अंदर पानी जमीन में से ना निकाल जाये। इस संबंध में कल भी एक माननीय सदस्य ने हाउस में प्रश्न उठाया था कि पानी के नये कनैक्शन देने के लिए नई हिदायत दे दी है। नई हिदायत कुछ भी नई नहीं है बल्कि यह पहले से चली आ रही है । बिजली विभाग ने तो उस सर्कुलर का रिवीज़न मात्र किया है कि ट्यूबवैलस कनैक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने तरमीम की है कि नई योजना में अगर वहाँ माइक्रो इरीगेशन का कोई डिक्लेरेशन करता है तो ट्यूबवैल कनैक्शन देने की व्यवस्था करेंगे ताकि पानी का कम से कम दोहन किया जाये और पानी को बचाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक हांसी बुटाना नहर की बात है, इसकी भी माननीय उच्चतम न्यायालय में जल्दी सुनवाई हो, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से यदि हांसी बुटाना नहर चालू होती है तो जो पानी हमारा एस.वाई.एल. कैनाल के माध्यम से आना है अथवा जो भाखड़ा का पानी हमको इधर नहीं मिल रहा है, हांसी बुटाना नहर के पानी से आवश्यक क्षेत्र जहां सिंचाई की आवश्यकता है चाहे वह दक्षिण हरियाणा के हिसार, भिवानी और दादरी जिला के क्षेत्र हों उन सभी क्षेत्रों में पानी आसानी से पहुँच जायेगा। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने अम्बाला में कहा था कि एस.वाई.एल. कैनाल के अभियान में जाने के लिए हमें रोका गया। अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बहुत सारी बातें राजनीति के आधार पर कही गई थी। लेकिन सरकार ने विपक्ष को इस अभियान में जाने के लिए नहीं रोका था। माननीय न्यायालय का इस विकास पर ऑर्डर आया था। पंजाब में एस.वाई.एल. कैनाल की खुदाई के लिए इण्डियन नेशनल लोकदल

के आह्वान के दृष्टिगत पंजाब सरकार की दलील पर माननीय न्यायालय ने पंजाब एण्ड हरियाणा सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश दिए थे। अध्यक्ष महोदय, इसी ऑर्डर के दृष्टिगत इण्डियन नेशनल लोकदल के कार्यकत्ताओं को बॉर्डर के पास इस ऑर्डर के बारे में बताया गया था। हरियाणा सरकार को भी यह निर्देश दिया गया था कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इण्डियन नेशनल लोकदल के इस अभियान को रोका भी जा सकता था लेकिन सरकार ने रोका नहीं बल्कि पार्टी को जनसभा करने की अनुमति भी प्रदान की ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः जसविन्द्र जी, सुन लीजिए। माननीय मुख्य मंत्री जी सारी बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बाते बता रहा हूं, (विघ्न) नहीं आप सुन लीजिए। अगर हमें आपको रोकना होता तो रोक सकते थे।(शोर एवं व्यावधान)

श्री अध्यक्षः नहीं संधू जी, आप बैठिये, माननीय मुख्यमंत्री जी सारी बाते बता रहे हैं।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, वहां पर हमें एस.डी.एम. साहब ने बाकायदा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आर्डर दिखया था। हमने कहा कि इसमें कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए कहा गया है। इसमें हमें रोकने के लिए कोई आदेश नहीं दिया गया है। हमें वहां पर रोका गया लेकिन हम रुके नहीं और सभा स्थल पर गये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कह दिया कि अगर हम इनको वहां जाने से रोकते तो सभा करने की अनुमति ही नहीं देते और वह सभा ही नहीं होती, इसलिए रोड़ पर जो इन्होंने सभा की थी वह परमिशन से ही हुई थी। सरकार ने इन्हें सभा करने के लिए रोका नहीं। हमने तो केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखनी थी।(शोर एवं व्यवधान) हमारे माननीय सदस्य श्री असीम गोयल ने इनका स्वागत करते हुए खाने–पीने का भी प्रबन्ध किया था। (शोर एवं व्यवधान) माननीय कोर्ट का आदेश दिखाना और इस बात की जानकारी देना कि कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना, प्रशासन और सरकार का दायित्व है। उस नाते से ही प्रशासन द्वारा प्रबन्ध किया गया था कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमें जानकारी थी।

श्री मनोहर लालः संधू जी, माननीय कोर्ट के आदेश अवगत करवाना और इस बात की जानकारी देना कि कानून व्यवस्था बनाए रखना है, यह सरकार का दायित्व है। उस आदेश के नाते यह बताना, दिखाना तथा चेताना सरकार का कार्य है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपने एक बहुत ही छोटा रास्ता अपनाया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा इनैलो के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को एस.वाई.एल. नहर खोदने के लिए जाने से रोकने का दिखावा किया गया था।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इसमें दिखावटी कुछ भी नहीं था और न ही हमने इनको वहां जाने से रोका। सरकार ने तो सिर्फ कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपना प्रबन्ध किया था। हमारा उददेश्य किसी को रोकना नहीं था और अगर रोकते तो वहां पर दूसरे तमाशे भी होते। हां, पंजाब बार्डर के अन्दर जाकर जो कुछ नाटक किया गया वह आप भी जानते हैं और प्रदेश की जनता भी जानती है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः माननीय मुख्यमंत्री जी हमने तो आपको भी निमंत्रण दिया था।(शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जहां तक पानी के प्रबन्ध का विषय है। हरियाणा में वाटर मैनेजमैंट एक बहुत बड़ा विषय है और उसके कई पहलू हमारे ध्यान में हैं इसके लिए चाहे छोटे बांध बनाने का काम हो, चाहे कम से कम पानी में खेती की अच्छी व्यवस्था करने का कोई सूक्ष्म सिंचाई का विषय हो। हमारी सरकार ने नई तकनीक 'सूक्ष्म सिंचाई' प्रणाली को अपनाया है। जिसके लिए खुले जलमार्गों के स्थान पर पाईप जलमार्ग बनाने पर बल दिया गया है। इससे न केवल पानी की बचत होगी बल्कि बार–बार नहर/नालियां टूटने से भी निजात मिलेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत अभी शुरूआत में पहली किस्त में 13 जिलों में 25 करोड़ रूपये की लागत से एक पायॅलेट परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति है जिसका कार्य दिसम्बर 2017 के अन्त तक पूर्ण होने की संभावना है। योजना के सफल होने पर इस स्कीम को हर ब्लाक में क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और स्कीम रेणूका, किसाऊ और लखवार परियोजना के लिए, मैंने आदरणीय केन्द्रीय जल संसाधन विकास, नदी विकास एवं जीर्णोधार मंत्री सुश्री उमा भारती को 6 जून 2016 को एक

पत्र लिखा था। एस.वाई.एल. नहर तथा हांसी बुटाना नहर का मामला माननीय कोर्ट में विचाराधीन है, यह चलता रहेगा। इसके अतिरिक्त पानी की पूर्ति जहां दूसरी जगह से हो सकती है उसके लिए प्रयास क्यों न किये जाएं। ये योजनाएं लगभग पिछले तीस सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी है चाहे वह लखवार डैम, रेणुका डैम तथा किसाऊ डैम की योजना हो। इसके लिए मैनें स्वयं मौके पर जाकर लखवार डैम तथा दूसरे डेमों की वर्तमान स्थिति क्या है, जानने के लिए यात्रा कीं और उसका निरक्षण भी किया। उतराखंड के लोगों को इस योजना के शुरू होने से कोई आपति नहीं है लेकिन केन्द्र सरकार की तरफ से इस विषय को आगे नहीं बढाया गया। इसके लिए मैंने स्वंय केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से एक मीटिंग की कि इस योजना को चालू करवाने के लिए फाईनेंस तथा दूसरी व्यवस्थाएं भी पूरी करवाई जायें। इस पर उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं तीनों योजनाओं के बारे में विस्तार से माननीय सदस्यों को अवगत करवाना चाहता हूं। रेणुका डैम परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 446 करोड़ रूपये की राशि हिमाचल प्रदेश सरकार को 3 अक्टूबर 2016 को जारी कर दी गयी है। इस डैम के निर्माण के लिए संशोधित बजट अनुमान लगभग 5242 करोड़ रुपये का बनाकर केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन के लिए भेजा जा चुका है। इसी प्रकार लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भी निवेश की स्वीकृति केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा उतराखंड सरकार को 19 अप्रैल 2016 को दी जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना के निर्माण के लिए निविदाएं भी आमंत्रित कर ली गई हैं, जो 18 मार्च, 2017 को खोली जाएंगी। इस परियोजना का मामला नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में लंबित है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि इस परियोजना पर पूर्ण पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव के निरीक्षण के बाद ही काम शुरू करने की अनुमति दी जाए। इसका निर्णय अभी न्यायालय में लंबित है। तीसरी परियोजना ''किसाऊ बांध परियोजना'' है, इसके संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का अनुपालन किसाऊ कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार से पानी के बारे में, चाहे वह सिंचाई का हो, पीने का पानी हो, किसान की बात हो या अन्य कोई बात हो, इसके लिए यह सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हम अपने ही इस कार्यकाल के अंदर निश्चित रूप से इस पानी की समस्या को हल करने के लिए जो भी गंभीर प्रयत्न है, वह सब करेंगे। एक

विषय आया था ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ''। हमारे मलिक साहब ने इस कार्यक्रम में कुछ टिप्पणी की, जिसे मैं निराधार और तथ्यों से परे समझता हूं। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत में 22 जनवरी, 2015 को ''बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ'' का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उसका शुभारंभ किया था। उसमें दो दिनों की वर्कशॉप भी हुई थी। 20–21, जनवरी, 2015 को राष्ट्रीय सैमीनार किया गया, यह एक प्रतिष्ठित सैमीनार था, जिसमें देश भर की महिला मुख्यमंत्री, विभिन्न प्रदेशों के महिला और बाल विकास विभागों के सचिव, 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' के विशेषज्ञ, शिक्षा शास्त्री और मीडिया के लोगों ने भाग लिया। यह योजना चूंकि केन्द्रीय योजना थी इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको 2 करोड़ रुपये इसके लिए दिए थे और उसी में से यह राशि राष्ट्रीय स्तर की वर्कशॉप आयोजित करने के लिए आबंटित की गई थी। अध्यक्ष महोदय, किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए जन–चेतना पैदा करने के लिए, विज्ञापन जारी करना बहुत जरूरी होता है। 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' का व्यापक स्तर प्रचार करने के लिए योजना बनी और उसी के लिए ये लैपटॉप की बात आ रही है। उसी राशि में से लैपटॉप, बैग और अन्य जो मग आदि खरीदे गये, जिस पर कुल 21 लाख 40 हजार रुपए खर्च हुए। कैग की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि यह खरीद गलत थी, कैग ने मात्र इतना ही कहा है कि इसकी खरीद के लिए फंड हस्तांतरण किया गया। ये कार्यक्रम केन्द्र सरकार का था इसमें हरियाणा सरकार ने तो एक माध्यम का काम किया। कुल–मिलाकर यह फंड का हस्तांतरण उस सैमीनार को सफल करने के लिए किया गया है, जिसमें यह सामान 21 लाख में खरीदा गया, इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है, कहीं कोई गलत बात नहीं है। हमने प्रदेश में 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' का जो कार्यक्रम था उसको सही ढंग से लागू किया। पी.एन.डी.टी के जो एक्ट के अंतर्गत जितने भी इस प्रकार के अपराध होते थे, उनको सख्ती से हमने पकड़ा और लगभग 300 केसिज बने हैं और 200 के आसपास में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। बहुत से कार्यक्रम जन–जागरण के भी हुए, जिसमें हमारे डब्ल्यू.सी.डी डिपार्टमैंट, शिक्षा विभाग, हेल्थ डिपार्टमैंट, होम डिपार्टमैंट, इन सब डिपार्टमैंट्स की भागीदारी रही है और वे अच्छे परिणाम लाने के लिए इस कार्यक्रम को चलाए रखने की गतिविधियों में लगे हुए हैं। इसमें जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं और प्रदेश का जो श्रम समाज है उन्होंने भी इसमें शामिल होने का आह्वान किया। 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' का कार्यक्रम केवल हरियाणा का ही नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है।

इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए और इसके परिणाम को बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जो 2013 के अंदर हमारा चाइल्ड बर्थ रेशो 868 था, 2014 में 871 था, 2015 में 876 था, क्योंकि 2015 में इसके परिणाम जुलाई के बाद आने शुरू हुए थे। 2016 में यह बढ़कर 900 हो गया, 24 अंक की ये जो छलांग है, यह विश्वव्यापी है। इसी रेशो की बात से इस कार्यक्रम में प्रसिद्धि मिली कि हरियाणा ने कोई काम किया है और दिसम्बर 2016 तक ही नहीं अगर हम अगले मार्च, 2017 की बात करें तो इस रेशो का आंकड़ा 922 आएगा। इंटरनैशनल पब्लिक हैल्थ एक्सपर्ट्स के मापदण्ड के मुताबिक जिस प्रदेश का लिंगानुपात 950 लड़कियों तक है वह आंकड़ा संतोषजनक है । हरियाणा सरकार को लिंगानुपात में सुधार लाने के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 8 मार्च, 2016 को महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार दिया है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगी कि सरकार बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ का अच्छा कार्यक्रम चला रही है लेकिन यदि हम बेटियों को पढ़ायेंगे नहीं तो उन्हें आगे नहीं ले जा सकते । जब बेटियों के स्कूल अपग्रेड की बात आती है तो वे अपग्रेड इसलिए नहीं किए जाते कि वे नार्म्ज पूरे नहीं करते । इसमें मैं यही कहना चाहती हूं कि बेटियों के स्कूल अपग्रेड करने के लिए नार्म्ज को रिलैक्स किया जाये । पिछले दो सालों में केवल लड़कियों के दो स्कूल अपग्रेड किए गए हैं ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए जगबीर मलिक जी ने आंकड़े दिए थे कि हमारी सरकार के समय में केवल 53 कि. मी. नई सड़क बनाई गई है । यदि पिछली सरकार के 2009 से 2011 तक दो साल के समय को देखा जाये तो 64 कि.मी. नई सड़क बनाई गई थी । इसमें हमारे समय में केवल 11 कि. मी. कम सड़क बनी है । यह अंतर कोई ज्यादा नहीं है लेकिन हम इसको स्वीकार करते हैं । इसका कारण यही रहा है कि पिछली सरकार प्रदेश में ज्यादातर सड़कें बहुत खराब हालत में छोड़कर गई थी जिनको हमने ठीक करवाया है । हमने अपने अढ़ाई साल के कार्यकाल में 8600 कि.मी. सड़कों का सुधार एवं मरम्मत का काम किया है और प्रदेश में जहां–जहां गड्ढे थे, उनको भर दिया है । (विघ्न) इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में भी जो गड्ढे होंगे, उनको भी हम ठीक करवायेंगे । यह जिम्मेवारी सरकार की ही है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे प्रश्नकाल के

समय पूछ लें । जो विषय मलिक साहब ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उठाया था, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हमारी सरकार द्वारा अढ़ाई साल में 8600 कि.मी. सड़कों की मरम्मत की गई है। (विघ्न) यह रूटीन नहीं है पिछली जानकारी भी बता दी जायेगा । दस में ही इतना काम हुआ है, ऐसा नहीं है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अब मैं नई सड़कों के बारे में बताना चाहूंगा कि हमने दो साल में 53 कि.मी. नई सड़क बनाई है और पांच साल में 628 कि.मी. नई सड़कें बनाने की योजना बनाई है । इस समय 77 कि.मी. नई सड़क बनाने का कार्य प्रगति पर है और 139 कि.मी. नई सड़क बनाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । यदि पिछली सरकार के 2009 से 2014 तक पांच साल का रिकार्ड देखा जाये तो उस दौरान केवल 350 कि.मी. नई सड़कें बनाई गई थी । हमने पांच साल में 628 कि.मी. नई सड़कें बनाने की योजना बनाई है । इसमें से कितने कि.मी. सड़कें बन पायेंगी उस बारे में हम बाद में ही बता पायेंगे । पिछली सरकार ने भी काम शुरू किया था और हमने भी काम शुरू कर दिया है लेकिन किस स्टेज पर काम रूक जाता है, यह हम सब जानते हैं । कुण्डली–मानेसर–पलवल एक्सप्रैस–वे का कार्य पिछली सरकार में शुरू किया गया था और वह 2010 तक बनकर तैयार हो जाना था लेकिन उसका कार्य रोक दिया गया । उसके जो भी कारण रहे हों मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि दूसरी बातें बोलने का मेरा स्वभाव नहीं है । (विघ्न एवं हंसी) उसका कार्य करवाने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी गये, भारत सरकार के सड़क विभाग में भी गये । उनके मंत्रालय और अधिकारियों से भी बात की, अधिवक्ताओं से भी बात की और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि इसकी हीयरिंग की जाये चाहे फैसला किसी के भी पक्ष में कर दिया जाये । उन्होंने कहा कि पिछले जो झगड़े हैं वे निपटते रहेंगे लेकिन आप नये सिरे से सड़क बनानी शुरू कर दो । उन्होंने तो 400 दिन में इस काम को पूरा करने के लिए कहा था लेकिन हमने इस टारगैट को पूरा करने के लिए अढ़ाई साल की समय–सीमा निर्धारित की है। इस प्रकार से हमारी सरकार ने सम्बंधित कम्पनी को निर्देश दिये कि ये काम हमें 400 दिन में पूरा करके दिया जाये। हालांकि निविदा में यह समय–सीमा अढ़ाई साल ही है। इस सड़क को चार से छह लेन भी किया गया है। अगर वे अढ़ाई साल के अंदर भी बनायेंगे तो फिर भी हम उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पायेंगे लेकिन उनका भी अपना एक लालच होता है कि जितना जल्दी वो उसे बनाएंगे तो उसका उनको इंसैंटिव मिलेगा। इस प्रकार

से उनका अपना लालच है और हमारी अपनी आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस टारगैट में मानेसर से पलवल तक का एक पार्ट तो चालू भी हो चुका है। इसको सरकार ने अपने खर्चे पर बनाया है। इसका दूसरा पार्ट कंपनी को दे दिया गया है और कम्पनी ने उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। मैं समझता हूं कि अगले एक वर्ष के अंदर–अंदर अर्थात अगले बजट सत्र से पहले–पहले ये सड़क चालू हो जाएगी और निश्चित रूप से इसका पूरा लाभ जनता को मिलेगा। इसी प्रकार गाजियाबाद–पलवल एक्सप्रैस–वे जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है, उसका थोड़ा–सा पार्ट हमारे सोनीपत जिले में रुका हुआ था उसको भी जो जमीनों के छोटे–मोटे विवाद थे उनमें से एक–दो को छोड़कर बाकी सबका निपटारा होने के बाद उस सड़क को बनाने का काम भी शुरू हो गया है। हमें उम्मीद है कि यह सड़क भी जल्दी ही बनकर कम्पलीट हो जायेगी।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री जी गाजियाबाद–पलवल एक्सप्रैस–वे के लिए कह रहे है। मैं इनके इस काम के लिए इनको एप्रीशिएट करता हूं लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पलवल जिले के अंदर के.जी.पी. के नीचे से तीन मुख्य मार्ग गुजरते हैं और उन तीनों मार्गों को के.जी.पी. से नहीं जोड़ा जा रहा है। जिसके कारण तमाम ट्रैफिक पलवल शहर के अंदर से होकर गुजरता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जहां माननीय मुख्यमंत्री जी इतना काम कर रहे है वहीं इन तीनों मार्गों को भी के.जी.पी. से जोड़ दिया जाये, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय साथी ने मांग की है मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि इस रोड का जो नक्शा है यह तो इनकी अपनी ही सरकार के समय का बना हुआ है। ये नक्शे तो पहले के ही है जिन पर काम हमारी सरकार के आने के बाद शुरू हुआ है। इसी प्रकार मुकरबा चौक, दिल्ली से पानीपत तक 70 किलोमीटर की जो सड़क है जिसको एन.एच.1 कहा जाता है, इसको भी आठ लेन करने की आधारशिला रख दी गई है। इस पर 13,802 करोड़ रूपये का खर्च आएगा। केन्द्र सरकार ने एक नई योजना दिल्ली–अमृतसर–कटरा वाया जींद एक्सप्रैस–वे को मंजूरी प्रदान की है। इसके बनने से हरियाणा में विकास का एक नया कॉरीडोर स्थापित होगा। पिछले 28 महीने में 24 आर.ओ.बी. या आर.यू.बी. बनाये जा चुके है। इन पर 558 करोड़ रूपये की राशि खर्च हुई है।

इसके साथ ही 21 आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. पर इस समय काम चल रहा है। इस प्रकार से कुल मिलाकर ये 45 आर.ओ.बी. या आर.यू.बी. हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले 48 वर्षों में कुल 67 आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. बने हैं, जबकि इन दो वर्षो में 45 आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. बने हैं। जहां तक घोषणाओं की बात है वह मैंने आपको बता दी है कि एक वर्ष तो इन घोषणाओं पर काम शुरू नहीं हो सकता लेकिन अगले वर्ष में 38 परसेंट या तो उन पर काम चल चुका है या फिर उनका काम पूरा हो चुका है। बाकी जो 62 परसेंट बची हैं इस वर्ष में उनमें से अधिकांश घोषणाओं पर काम शुरू हो जाएगा। घोषणाओं का कोई भी हिसाब एक–दो वर्ष का नहीं होता बल्कि इन पर पूरे पांच वर्ष के कार्यकाल में कितना काम किया गया है यही देखा जाता है क्योंकि यदि हम पिछली घोषणाएं उठाकर देखें तो 3500 या इसके आस–पास कुल 5 साल की घोषणाएं हैं। हमारी घोषणाएं दो वर्ष की है। ऐसी बात भी नहीं है कि आने वाले तीन वर्षों में और घोषणाएं नहीं होगीं। ये लगातार चलने वाला काम हैं अर्थात लगातार प्रौसेस का काम है और एक विभाग का काम न होकर अलग–अलग विभागों का काम है। हम लोगों ने इस पर अपनी पूरी नजर रखी हुई है और हम इसे पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। हमने एक ए.सी.एस. स्तर के अधिकारी को इस काम में लगाया है कि वह इस कार्य की दैनिक प्रगति देखे और उसकी सूचना हमें दें। इसी प्रकार से यहां पर सी.एम. विंडो की बात कही गई। ऐसा करके पारदर्शी तरीके से हमने जनता को रास्ता दिया, क्योंकि पहले हरियाणावासी बड़ी संख्या में चंडीगढ़ के चक्कर लगाकर अपना टाईम और पैसा बर्बाद करते थे, उसकी जगह उनको जिला केन्द्र पर एक स्थान मिलेगा ताकि वे अपनी समस्या का निदान पाने के लिए वहां पर अपनी समस्या को उनके द्वारा अपलोड किया जाये। वह समस्या अपने आप हमारे पास आएगी और सम्बन्धित विभागों को भी फॉरवर्ड होगी। जो भी उस समस्या का समाधान होगा वह निकाला जाएगा यदि समाधान नही हुआ तो उसके बारे में अलग स्तर पर विचार किया जायेगा। इस बात की भी सतत् निगरानी की जायेगी कि तथाकथित समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। उसमें केवल एक्शन टेकन रिपोर्ट हो गई है और सम्बंधित डिपार्टमैंट ने उस विषय को क्लोज कर दिया है। तो भी वहीं तक ही उस विषय को नहीं रोका जायेगा।

बैठक का समय बढ़ाना

14:00 बजे

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमति हो तो बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा किया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लाल : हमने उसमें एक अलग से कॉल सैन्टर बनाया हुआ है । हर व्यक्ति जो कंप्लेनेंट होता है उसकी सैटिसफैक्शन पूछी जाती है कि आप इससे सैटिसफाई हैं या नहीं । अनसैटिसफाईड लोगों के दो कारण होते हैं । एक तो होने वाला काम फिजिबल नहीं है तो उसको समझाया जाता है कि यह फिजिबल नहीं है इसके लिए रोज चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है । इसमें नये सिरे से जो हो सकेगा वह हम करेंगे । जो काम फिजिबल होता है उसको करने के लिए दोबारा कहा जाता है कि इसको करके दो । प्रारम्भ के दिनों में इसमें गलती हुई थी कि जो ग्रीवैंस होती थी वह जिस अधिकारी के खिलाफ होती थी उसी के पास पहुंच जाती थी । यह बात हमारे ध्यान में आई कि इसमें तो सफल होना सम्भव नहीं है क्योंकि जिस अधिकारी ने पहले गलती की वह अपनी गलती को छिपायेगा और वह उसे ठीक नहीं करेगा । उसके बाद हमने बदलकर जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत है उससे दो स्तर ऊपर इसकी मॉनीटरिंग होती है ताकि उसका निदान हो सके । अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि लगभग दो लाख शिकायतें सी.एम. विंडो पर आई हैं और मेरे पास इस वक्त वास्तविक आंकड़ा नहीं है लेकिन डेढ़ लाख के आसपास लोगों को उसका लाभ मिल चुका है और बाकी अभी पैंडिंग हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर फोलोअप एक्शन भी करवाया जाये ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम फोलोअप एक्शन भी करवायेंगे । इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन पर नजर रखनी पड़ती है । इसी तरह से सी.एम.जी.जी.ए. (Good Governnance Associates)की बात की गई थी । हमारे बहुत से काम पैंडिंग रहते हैं । हर काम के लिए हरेक को दंडित करना शायद उसका समाधान नहीं

है । उसके ऊपर निगरानी रखना उसका एक रास्ता है । ऐसी सब छोटी बड़ी चीजों के ऊपर निगरानी रखने के लिए हमारे सी.एम.जी.जी.ए. भी काम में आते हैं । यह हमारी एक्सट्रा फोर्स है । इनका किसी सरकारी काम में हस्तक्षेप नहीं है, ये कोई फाइल नहीं देखते हैं । समाज की समस्याएं हैं उन समस्याओं में से कैसे–कैसे हल निकाले जा सकते हैं यह देखना उनका काम है । ये वैल लर्नेड लोग हैं, एल.एल.एम. हैं, आई.आई.टी. से पढ़े हुये लोग हैं । फोरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुये लोग हैं और बहुत सिस्टैमैटिक तरीके से उनका चयन किया गया है । वे चाहे कहीं के हों हमने योग्यता के आधार पर उनका चयन किया है । उनमें हरियाणा के भी हैं । 24 या 22 में से 8 लोग हरियाणा के भी हैं । हमने वर्ल्ड वाइड लोगों से ऐप्लीकेशन मांगी थी जो देश भर के रहने वाले कहीं के भी आ कर हमें कोई अच्छी बात बतायेंगे और जहां कहीं हमको अच्छा निकालना है यदि हमें कोई सुविधा मिलती है तो हम उसकी सेवाएं प्राप्त करेंगे । इस गुड गवर्नेंस के नाते से जिस किसी का कोई कैलिबर है, हम उस कैलिबर का उपयोग क्यों नहीं करेंगे । यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई हजारों की संख्या में सभी बाहर से ले आये । आज जो हमारे एडमिनिस्ट्रटिव सैक्रेटरीज होते हैं इनमें भी आज तो मुझे पता नहीं कि क्या पोजीशन है लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है इसमें 1/3 से 2/3 बाहर के होते हैं । हमने कभी नहीं कहा कि ये सारे के सारे हरियाणा स्टेट के होने चाहिएं । ये चयन हमने पारदर्शी तरीके से एक एन.जी.ओ. के माध्यम से किया है । सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है और वे एक साल के लिए अप्वाइंट किये गये हैं । उनकी एक साल की टर्म 30 जून, 2017 को समाप्त हो रहा है । अगले साल उनको जारी रखना है या नहीं उसके लिए उनका दोबारा से विश्लेषण करेंगे । अगर हमें लगा कि इनसे लाभ हुआ है तो हम उनको जारी रखेंगे । अभी मुझे 2 दिन पहले जानकारी मिली है कि हमारे इन्हीं बंधुओं ने एक प्रयोग किया है । स्ट्रे एनीमल खुले घूमते हैं जिनकी वजह से गलियों में सड़कों पर एक्सीडैंट्स बहुत होते हैं । पिछले सत्र में इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आया था उसके ऊपर हमने लगातार काम भी किया है । फतेहाबाद जिला पहला ऐसा जिला है जो स्ट्रे कैटल फ्री घोषित कर दिया गया है । अभी काम चल रहा है और जब काम चलेगा जैसे–जैसे प्रगति होगी वैसे–वैसे उपलब्धियां भी तो बतायेंगे । सभी जिलों में काम चल रहा है लेकिन फतेहाबाद जिला ऐसा है जहां पर स्ट्रे एनीमल कोई नहीं मिलेगा । वहां पर ये सभी व्यवस्थाएं लोगों के सहयोग से, गांव

के सहयोग से, कस्बे के सहयोग से और म्यूनिसिपैलिटी के सहयोग से हो रही हैं । बहुत संस्थाओं से मिल कर उन्होंने एक योजना बनाई, लोगों से अपील की और लोग उसमें सहयोग करते हैं । उसके लिए सरकार ने कोई अलग से प्रयास नहीं किये हैं ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूं कि यह एक गम्भीर मसला है और इन आवारा पशुओं से किसान प्रताड़ित हैं इसलिए इस काम को जल्दी से जल्दी करवाया जाये ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है कि यह एक गम्भीर मसला है और हम इसको जल्दी करवायेंगे । मैंने तो चर्चा की बजाय सरकार की उपलब्धि बताई हैं । हम इस काम को जल्दी करवायेंगे ।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी बात सुनिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : गीता जी, आप अपनी सारी समस्याओं को नोट कर लें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आपने अपने सारे सवाल पूछ तो लिये हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : गीता जी, आप अपनी समस्याओं को नोट कर लें । अभी सैशन के चार दिन और हैं । आप अपने सवालों को नोट करके रख लें लेकिन गलत बात मत उठाईये । (शोर एवं व्यवधान) आप एच.पी.एस.सी. का प्रश्न बाद में कीजिये ।

Smt. Kavita Jain: Speaker Sir, Leader of the House is on his legs. गीता जी, आप इस तरह से खड़े नहीं हो सकती । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, ———— (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आप बैठिये । आपकी बात हो गई। मुख्यमंत्री जी आपकी सारी बात समझ गये हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : जब मैंने एक बात बता दी है । आप बैठ जाईये ।

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आप इस तरह ना करो । आपकी छवि ऐसी नहीं है । प्लीज आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : मैंने जितना बताना था बता दिया है ।(विघ्न) अगर आपकी बात नहीं हुई तो भी आप बैठ जाईये । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, ****(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : गीता जी, आप बैठिये । आपकी बात हो गई है, प्लीज, आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान) अब गीता जी की कोई भी बात रिकॉर्ड न की जाए।

श्री मनोहर लाल : गीता जी, मैं जवाब दे रहा हूं आप उसको सुन तो लो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप चार दिन से अपनी बात रख रही हैं । (शोर एवं व्यवधान)

Shri Ram Bilas Sharma: Speaker Sir, it is very bad. लीडर ऑफ दि हाउस जवाब दे रहे हैं। You have not given permission to Madam Bhukkal. (शोर एवं व्यवधान) इनके मन में जो बात आती है वह बोलती रहती हैं । यह क्या बात हुई ।

श्री करण सिंह दलाल : सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है । ऐसा नहीं है कि आपने प्वायंट ऑफ आर्डर कहा और खड़े हो गये । जब मैं प्वायंट ऑफ आर्डर दूंगा तभी तो होगा न प्वायंट ऑफ आर्डर । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी सारी बातों का जवाब दे रहे हैं । फिर यह क्या बात हुई । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक लाईन और दोहरा देता हूं कि सी.एम. जी.जी.ए. कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है । हम उस नाते से अपनी सुविधा के लिये किसी को भी इंगेज करके अपना ऐसोसिएट्स बना सकते है। मैंने अपनी सुविधा के लिये, और अपनी सहायता करने के लिये हरियाणा की ढ़ाई करोड़ जनता को अपील की है कि कोई भी सुझाव दे सकता है । चाहे कोई सुझाव पक्ष दे या विपक्ष दे हम सब सुझाव मानेंगे। कोई भी अच्छी योजना लेकर आएगा हम उसको मानेंगे । हमारे ऊपर कोई बन्धन नहीं है कि हम किसी के सुझाव को मानें। ये हमारे ऐसोसिएट्स हैं । यह कोई सरकारी योजना भी नहीं है । सरकारी क्षेत्र पर इसका कोई खर्चा भी नहीं है । यह किसी विभाग के अंडर भी नहीं हैं, इसलिये इसको समझाने की जरूरत नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह जवाब मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है । (शोर एवं व्यवधान)

.....

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने बता दिया है कि वह कोई सरकारी योजना नहीं है । जहां तक आपने आर.एस.एस. शब्द का प्रयोग किया है तो मैं आपको पहले सत्र में भी बता चुका हूं कि यदि आज मैं यहां हूं तो वह आर.एस.एस. के कारण से हूं । आर.एस.एस. का जो भी व्यक्ति है वह देश हित में, समाज हित में सोचता है । अगर कोई आर.एस.एस. के व्यक्ति हैं तो वह किसी न किसी आर.एस. एस. संस्था से जुड़े हुए होते हैं, इसलिये हमारी ये सब व्यक्तिगत बातें होती हैं जिसमें हमारी आस्थाएं हैं।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप चिन्ता ना करो, यहां सभी आर.एस.एस. वाले ही बैठे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, इन आर.एस.एस. संस्थाओं में जो सरकारी सुरक्षा लगाई हैं उनका खर्चा कौन देगा ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, कोई सरकारी सुरक्षा नहीं होती । उनका सहयोग करने वाली सामाजिक संस्थाएं बहुत हैं । सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से ये लोग लगते हैं कोई आदमी अपनी तरफ से ऑफर करता है तो हम उसको ले लेते हैं । (शोर एवं व्यवधान) इसके पीछे किसी का कोई स्वार्थ नहीं है और अगर किसी का कोई स्वार्थ आपकी जानकारी में मिले तो आप मुझे आधी रात को भी बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का यह स्वार्थ ध्यान में आया है । (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, बिना इंट्रस्ट के कौन काम करता है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संधू जी को बताना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर्ज गुड गवर्नेंस एसोसियेट्स में जो भी व्यक्ति सेवायें दे रहे हैं उनका अपना कोई इंट्रस्ट नजर नहीं है। यदि आपकी जानकारी में किसी का कोई इंट्रस्ट नजर आता है तो आप उसकी जानकारी हमें दे सकते हैं। सरकार की तरफ से इस मैटर में कहीं कोई इंटरफियरेंस नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधूः अध्यक्ष महोदय, बिना इंट्रस्ट के कौन काम करेगा? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं इसका उत्तर भी देता हूँ। मैं भी इस तरह के रास्तों से निकल चुका हूँ। वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 2014 तक अर्थात 34 सालों तक मैं स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए बिना इंट्रस्ट व बिना सेलरी के काम करता रहा। इतना लंबा अर्सा गुजर जाने के बाद मुझे अक्टूबर, 2014 में पांच जिलों में काम

करने की ऐवज में पहली बार जो सैलरी मिली थी उसको भी मैंने जमा करवा दिया है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बिना इंट्रस्ट के देश व समाज हित के लिए बहुत काम करते हैं। संधू जी, अगर आपके पास भी कोई इस तरह के व्यक्ति हैं तो निःसंदेह हम उनसे भी काम ले लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि करनाल इलैक्शन में इनको कितने पैसे मिले थे ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दलाल जी को जरूर एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने कम से कम इनसे तो पैसे नहीं लिए थे। (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी): अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब को हर चीज गलत लगती है। कभी ये आर.एस.एस. के खिलाफ बोलने लगते हैं, कभी किसी दूसरे विषय के खिलाफ बोलने लगते हैं। एक बार तो स्वयं दलाल जी आर.एस.एस. की ट्रेनिंग लेने आये थे। अध्यक्ष महोदय, बिना इंट्रस्ट व सेलरी के देश व समाजहित के लिए काम करने के जज्बे की जरूरत हाती है?(शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बरालाः अध्यक्ष महोदय, दलाल जी सदन का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे है। इनको इस तरह की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दलाल जी, सदन के नेता अपनी बात रख रहे हैं उन्हें बीच में इंट्रप्ट करना और गैर जिम्मेदाराना बात करना ठीक नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अब मैं अगले विषय पर आता हूँ। आज जगबीर मलिक जी ने ओ.डी.एफ. की बात की थी। ओ.डी.एफ. एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसका नाता समाज के लोगों का स्वभाव बदलने के साथ जुड़ा है। खुले में शौच करने की आदत को कानून बनाकर भी नहीं रोका जा सकता इसलिए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा खुले में शौच से मुक्ति के लिए जो अपील की जा रही है वह वास्तव में बहुत प्रशंसनीय है। पहले ऐसा समय था जब कोई इस विषय पर सोचता तक नहीं था क्योंकि घर के अंदर संडास बनाना हमारी परम्परा नहीं होती थी और हमारे बुजुर्ग लोग इसे पसंद भी नहीं करते थे लेकिन अब समय आ गया है कि देश व प्रदेश को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे है और विषय की महत्ता को देखते हुए मैं भी इस विषय पर अपना सुझाव रखना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, आपके पास बहुत अच्छे–अच्छे सुझाव हैं लेकिन आपको इन सुझावों को अपने समय में भी इंप्लीमैंट करना चाहिए था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने बहुत ही कम समय में ओ.डी.एफ. के कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा के 14 जिलों के शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी ओ.डी.एफ. बना दिया है अर्थात इन जिलो को खुले में शौच से मुक्त जिले बना दिए हैं। इन 14 ओ.डी.एफ. जिलों में पंचकुला, सिरसा, पानीपत, गुरूग्राम, फरीदाबाद, फतेहाबाद, यमुनानगर, करूक्षेत्र, झज्जर, हिसार, अम्बाला तथा भिवानी शामिल हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई।) 8 जिलों का ओ.डी.एफ. होना अभी बाकी है और 31 मार्च, 2017 तक यह बाकी 8 जिले भी ओ.डी.एफ. हो जायेंगे। ओ.डी.एफ. हर दिन चैकिंग का विषय है। लेकिन अगर कोई आदमी ओ.डी.एफ. को गलत सिद्ध करने के लिए लोटा लेकर बाहर निकल जाये और मान लो आप लोगों में से ही कोई लोटा लेकर बाहर निकल जाता है तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजों का कोई इलाज नहीं है लेकिन ओ.डी.एफ. वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक 90 प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है। इसके लिए शहरों व गांवों में सरकारी ग्रांट्स भी लगातार मिल रही है और इस तरह की ग्रांट्स के आधार पर हर घर में शौचालय बनाने के लक्ष्य को पूरा करने का सरकार का प्रयास है। जिन 10 प्रतिशत घरों में अभी शौचालय की सुविधा नहीं है उनसे भी यही प्रार्थना है कि भाई आप शौच के लिए बाहर मत जाना अपने किसी पड़ोसी के घर के शौचालय का प्रयोग कर लेना क्योंकि गांव में बहुत केसिज में आपस में बंटवारा कर लिया जाता है। सरकार का पूरा प्रयत्न है कि बाकी बचे 10 प्रतिशत घरों में भी जल्द से जल्द शौचालय बन जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, अगर किसी के घर में लोटा लेकर जायेंगे तो अगला यह भी कह सकता है कि तू गलत घर में आ गया है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, घर कोई गलत नहीं होता बस दूसरे के घर लोटा लेकर न जाए? (हंसी व विघ्न) अध्यक्ष महोदय, आपने दरियादिली दिखाते हुए श्री जगबीर सिंह मलिक को 80 मिनट बोलने के लिए दिए। मलिक साहब ने ओ.डी.

एफ. का विषय उठाया था। वह अब सदन में मौजूद नहीं है। यदि मौजूद होते और मेरा उत्तर सुनते तो ज्यादा अच्छा रहता। (विघ्न)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री बख्शीश सिंह विर्क): अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब शायद लोटा लेकर बाहर गए हैं। (हंसी व विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब ने यह भी कहा था कि प्रदेश में 5672 गर्भवती महिलाओं पर केवल 72 गाईनोकोलोजिस्ट ही उपलब्ध हैं। मैं इन दोनों आंकड़ों में सुधार करना चाहूँगा। 5672 का जो आंकड़ा है यह ओ.पी.डीज. का आंकड़ा है यह कोई डिलीवरिज का आंकड़ा नहीं है। सभी गाईनोकोलोजिस्ट ओ.पी. डीज. में उपलब्ध हों ऐसा नहीं होता क्योंकि ओ.पी.डीज. में अन्य ट्रैंड डॉक्टर्ज का स्टॉफ भी गर्भवती महिलाओं की जांच–पड़ताल कर सकता है। अतः जो मलिक साहब ने गाईनोकोलोजिस्ट्स की संख्या 72 बताई है वह 72 की संख्या ओ.पी.डीज. के लिए है जबकि वास्तव में प्रदेश में 114 गाइनोकोलोजिस्ट्स उपलब्ध है। इस तरह यहां पर आंकड़ों का हेर–फेर करके मलिक साहब 42 की संख्या का लोचा कर गए हैं। इसी प्रकार से चिकित्सा संस्थानों में 634 नियमित ट्रेन्ड नर्सिज लगी हुई हैं । अतः इनकी भी कोई कमी नहीं है । कुल मिलाकर हरियाणा में सिर्फ डॉक्टर्स की ही कमी है । स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया है कि वे उनकी पोस्ट्स भरने के लिए सारी प्रक्रियाएं अपना रहे हैं । डॉक्टर्स की संख्या को बहुत जल्दी बढ़ाने के लिए और प्रत्येक गांव तक लोगों को चिकित्सीय सुविधा देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं । इस से संबंधित एक आंकड़ा और बताना चाहूंगा कि जो इंस्टीच्यूशनल डिलीवरीज हैं वे वर्ष 2014 में सरकारी अस्पतालों में 49 परसैंट थी लेकिन अब वे बढ़कर 52 परसैंट हो गई हैं । इनकी संख्या तीन परसैंट तक बढ़ी है । इसी प्रकार टोटल मिलाकर चाहे वह सरकारी अस्पताल हैं या गैर–सरकारी अस्पताल है, उनकी इंस्टीच्यूशनल डिलीवरीज 86 परसैंट से बढ़कर 92 परसैंट हो गई है । हमारी कोशिश है कि इसको बढ़ाकर बहुत जल्दी सौ प्रतिशत तक किया जाए । अभी भी बहुत–से गांव ऐसे हैं जहां के लोग या तो किसी नजदीकी जगह या ट्रैडीशनल तरीके से घरों में ही डिलीवरी करवाते हैं । आज भी बड़े–बुजर्गों का यह मन रहता है कि उनके घरों में ही डिलीवरी हो । हमारे लिए यह एक चिंता का विषय है इसीलिए मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है । इसके अतिरिक्त जो खनन माफिया की बात की गई है, वह बात एकदम निराधार है । खनन माफिया के जो जमाने थे हमने उन जमानों को तोड़ने की कोशिश की है । हम अवैध खनन को

रोकने का प्रयास कर रहे हैं । वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो कोर्टस में खनन से संबंधित बहुत–से केसिज पैंडिंग थे । (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने खनन के विषय पर पिछले सत्र में भी सरकार पर आरोप लगाए थे । मेरे विधान सभा क्षेत्र गन्नौर में आज भी अवैध खनन का काम चल रहा है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, पलवल में यह इशू आज भी है । (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष जी, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहें तो मैं उनका इस विषय में सहयोग कर सकता हूं । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस कार्य में माननीय सदस्य का सहयोग अवश्य लेना चाहूंगा । (विघ्न) जब हमारी सरकार बनी तो उस समय हरियाणा प्रदेश में खनन का काम बंद था और हरियाणा प्रदेश में लोगों को दूसरे राज्यों से भवन निर्माण सामग्री लानी पड़ती थी । (विघ्न) अध्यक्ष जी, मैंने इस बात की घोषणा की है कि मैं माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा का इस विषय में सहयोग लूंगा । (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष जी, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी मुझसे अकेले में मिल लें तो मैं उन्हें यह भी बता दूंगा कि अवैध माइनिंग कौन करवा रहा है । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य मुझे अकेले में कोई बात बताना चाहे तो मैं इसके लिए तैयार हूं क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो अकेले में ही बताई जा सकती हैं । अगर ऐसी बातें सार्वजनिक तौर पर की जाएंगी तो कई बातें और खुल जाएंगी क्योंकि दो बातें वे मुझे बताएंगे और चार बातें मैं उन्हें बता दूंगा । फिर इससे समस्याएं आएंगी । (विघ्न) अभी भी हमने खनन के केसिज को चाहे वे एन.जी.टी. में है चाहे वे कोर्ट्स में हैं उनका समाधान निकालने का प्रयास किया है ताकि प्रदेश के लोगों को जो खनन का मैटीरियल है वह मिल सके । कुछ समय पहले लोगों को अपने भवन निर्माण में बहुत कठिनाई आती थी । वर्ष 2015 में बिल्डिंग मैटीरियल बहुत महंगा हो गया था । हमको मालूम है कि उस समय हमें इस से संबंधित बहुत ज्यादा शिकायतें मिलती थी । उस समय हरियाणा में बिल्डिंग मैटीरियल आसपास के प्रदेशों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब से आता था । हमने प्रदेश को इस समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए दो काम किये । हमने कोर्ट में पैरवी करके कोर्ट केसिज ठीक कराये और साथ में जितने बड़े–बड़े खनन करने वाले ठेकेदार थे उनको छोटे–छोटे पीसिज में प्लॉट्स देना

शुरू कर दिया । जो न्यू स्टार्ट्र्स हैं और जो ऐसे काम करने वाले लोग हैं हमने उनको भी छोटे–छोटे प्लॉट्स देना शुरू कर दिया । मैं समझता हूं कि आज प्रदेश में खनन का मैटीरियल मिलने में कोई कठिनाई नहीं है । अब तो हमारे प्रदेश से खनन करके दूसरे प्रदेशों में भी मैटीरियल भेजा जाने लगा है । हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की भवन निर्माण सामग्री सबंधी आवश्यकता पहले पूरी होनी चाहिए । मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि हमारे प्रदेश में अवैध खनन बिल्कुल ही खत्म हो गई है । प्रदेश में अब भी छुटपुट खनन चोरी के मामले सामने आते रहते हैं । उस पर सरकार की ओर से जितनी भी रोक लगानी संभव होती है उतनी हम रोक लगाते हैं । फिर भी इस पर माननीय सदस्यों की ओर से कोई सुझाव हो तो वे आमंत्रित हैं । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय सदस्य श्री कुलदीप शर्मा और माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल को इस विषय पर अकेले बात करने का ऑफर दिया है । अतः आप भी उनके साथ माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर अपनी बात कर लीजिए । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं सार्वजनिक रूप से बात करती हूं और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यहीं पर बात करूंगी । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक बात लाना चाहती हूं कि खानक का इलाका मेरे विधान सभा क्षेत्र तोशाम में पड़ता है । वह एरिया खनन से जुड़ा हुआ है । वहां पर आज के दिन एच.एस. आई.आई.डी.सी. को खनन करने का काम दिया हुआ है । एच.एस.आई.आई.डी.सी. उन छोटी–छोटी खान के मालिकों और वहां के मजदूरों से काम नहीं करवा रही हैं । एच.एस.आई.आई.डी.सी. ने उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया है । इससे वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार छिन गया है । वहां पर काम करवाने के लिए बाहर के लोगों को लाया जा रहा है । यह बहुत गम्भीर मसला है । पिछले एक महीने से वे मजदूर धरने पर बैठे हुए हैं । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : किरण जी, हमने आपकी पूरी बात सुन ली है । अतः अब आप बैठिये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या के द्वारा उठाए गए विषय का उत्तर दे रहा हूं । (शोर एवं व्यवधान) जहाँ तक खानक का विषय है, इसके बारे में बहन जी ने कहा है कि वहाँ के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ

जो खानक के मालिक हैं वे उनसे काम नहीं करवा रहे हैं। मैं इसके बारे में सदन में जानकारी देना चाहता हूँ कि उस खनन के किसी भी हिस्से का कोई मालिक नहीं है। उस खनन का मालिक केवल सरकार है और सरकार ने उस काम को एच.एस.आई.आई.डी.सी. विभाग को सौंपा हुआ है। एच.एस.आई.आई.डी.सी. विभाग द्वारा ही खनन हो रहा है। खनन में जिन लोगों को काम की आवश्यकता है उनको डेली वेजिज़ पर या विज्ञापन के द्वारा मासिक वेतन पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, उनकी जिद् यही है कि अब हम तो खनन के मालिक बन गए हैं इसलिए मालिक बनकर जैसा चाहेंगे वैसा काम करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गुमराह किया जा रहा है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी। बहन जी, यदि आपके निर्वाचन क्षेत्र के नजदीक के मजदूर हैं, जिन्हें काम नहीं मिला है वे एच.एस. आई.आई.डी.सी. विभाग के अधिकारियों को अपने नाम दे दें। सरकार ने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर मजदूरी देने का काम किया है।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अच्छी बात है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, दूर दराज से मजदूर मजदरी करने के लिए नहीं आ सकता है इसलिए स्थानीय लोगों को ज्यादा काम मिले, यह हमारी नीति है। अध्यक्ष महोदय, खनन के सिस्टम पर निगरानी रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाईज टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि पूरे सिस्टम पर ध्यान रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, इस समय खनन का ठेका ई–नीलामी के द्वारा दिया जाता है। पहले खनन के ठेके के लिए काफी शिकायतें मिलती थी। इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने खनन का ठेका ई–नीलामी के द्वारा देने का काम किया है। ई–नीलामी के कारण अब किसी भी व्यक्ति को ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने ठेका लेना होता है उसे संपूर्ण जानकारी पहले से होती है और उसी के जरिए ई–नीलामी के द्वारा एप्लाई करता है। अब किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिल रही है। स्टोन क्रशर स्थापित करने और स्टील प्लांट लगाने के लिए भी लोगों को राहत देने के लिए नीति बनाई है। अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला विषय 'फसल बीमा' योजना के बारे में है। 'फसल बीमा' योजना पर भी बहुत सारी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूँ

कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो फसल बीमा योजना को लागू किया वह एक ऐतिहासिक कदम है। फसल बीमा योजना पर बहुत सालों से चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इस बार की फसल बीमा योजना का प्रीमियम सबसे कम है। खरीफ की फसल पर मात्र 2 प्रतिशत, रबी की फसल पर डेढ़ प्रतिशत, बागवानी की फसल पर 5 प्रतिशत, कपास की फसल पर (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधुः अध्यक्ष महोदय, बागवानी की फसल तो फसल बीमा योजना में शामिल ही नहीं की गई है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि हमने 4 फसल खरीफ की और 4 फसल रबी यानी 8 फसल ही 'फसल बीमा' योजना में शामिल की है। जो प्रीमियम तय हुआ है वह राज्य सरकार की ओर से नहीं बल्कि केन्द्र सरकार की ओर से तय हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरी बात बीच में अधूरी रह गई थी कि कपास की फसल पर भी प्रीमियम 5 प्रतिशत तय हुआ था लेकिन राज्य सरकार ने हरियाणा के किसान के हित में कहा है कि इस प्रीमियम को 2 प्रतिशत में ही रखेंगे और 3 प्रतिशत प्रीमियम सरकार अतिरिक्त देगी। (**इस समय मेजें थपथपाई गई।**) यह प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से दिया जायेगा।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना से भारत सरकार का हिस्सा व राज्य सरकार का हिस्सा मिलाकर यानि 251 करोड़ रूपये फसल बीमा कम्पनियों को चला गया है जिसमें 121 करोड़ रूपये किसानों का पैसा शामिल है। लेकिन फसल बीमा कम्पनियों ने एक वर्ष में किसानों को मुआवजे के तौर पर केवल 9 करोड़ रूपये दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस फसल बीमा योजना पर सरकार दोबारा से पुनर्विचार कर ले यदि यह योजना किसानों के हित में है तो इस फसल बीमा योजना को लागू करें, कहीं ऐसा न हो कि किसानों का पैसा बीमा कम्पनियों को जाता रहे और किसानों को कुछ न मिले।

श्री अध्यक्षः दलाल जी, यह फसल बीमा योजना किसानों के फायदे के लिए ही है। प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, बीमा के बारे में हम सब लोग जानते हैं। बीमा खरीद फरोख्त की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम एक तरफ पैसा दें और बदले में कुछ चीज़ खरीदें। अध्यक्ष महोदय, अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो वह

चीज है रिस्क कवरेज। रिस्क हुआ कि नहीं हुआ इसका कोई पहले से अनुमान नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपना जीवन बीमा करवाता है, यदि वह भगवान को प्यारा हो गया अर्थात् उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तभी जीवन बीमा कम्पनी पैसा देगी। यदि वह भगवान को प्यारा नहीं हुआ अर्थात् उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसको जीवन बीमा की राशि कैसे मिलेगी?

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, किसानों का जबरदस्ती पैसा काटा जा रहा है।

श्री मनोहर लालः मैं वही बता रहा हूं तथा आपकी जानकारी के लिए दोबारा भी बता दूंगा। अगर फिर भी समझ में नही आएगा तो फिर बता दूंगा चाहे 10 बार पूछोगे तो भी फिर बताऊगा। देखिये सरकार द्वारा किसानों को जानकारी देने की भी व्यवस्था की गयी है। जब भी हम लाईफ इन्श्योरेंस करवाते हैं तो बीमा कम्पनी से करवाते हैं। जो किसान बैंक से लोन लेता है उसी का फसल बीमा करवाया जाता है। यदि किसान की फसल नष्ट हो गयी तो इस योजना से किसान को लाभ होगा। किसान पहले लोन ले चुके थे और यह बीमा योजना बाद में शुरू हुई। कई माननीय सदस्य यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि किसानों का पैसा उनके अकाउंट से काटा गया है। यह दुष्प्रचार है, उनके अकाउंट से कोई पैसा नहीं काटा गया है। अगर कोई किसान भाई लोन नहीं लेगा तो उसकी बीमा राशि उसके बैंक अकाउंट से नहीं काटी जाएगी।(शोर एवं व्यवधान) देखिये लोन को सिक्योर करने का काम लोन देने वाली कम्पनी का होता है। कम्पनी को अपने लोन को सिक्योर करना आवश्यक है। इसको गलत नहीं कहा जा सकता। उसके नुकसान का मुआवजा सरकार तो देगी नहीं। जिसका बीमा हुआ है उसी के नुकसान का ही मुआवजा कम्पनी देगी।

श्री करण सिंह दलालः स्पीकर सर, मैं एक आखिरी सुझाव देना चाहता हूं।

श्री मनोहर लालः आपको तो वैसे ही इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। आपने इसी विषय पर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगाया है। करण सिंह जी, आपको बता रहा हूं कि आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन का मामला चल रहा है। जब तक इसका निर्णय नहीं आएगा तब तक आपको इस विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है। मैं इस पर बहुत कड़ी बात इसलिए कह रहा हूं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैंने एक जानकारी देनी है।

श्री मनोहर लालः दलाल जी, आपने पहले ही बहुत बड़ा आरोप लगाया है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज मोशन इस विषय पर नहीं है वह दूसरा विषय है।

श्री मनोहर लालः दलाल जी, आप इस विषय पर नहीं बोल सकते।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा): स्पीकर सर, यह क्वैश्चन आवर नहीं है। करण सिंह जी एक मिनट बैठ जाइए क्योंकि सदन के नेता आपके हर सवाल का जबाव दे रहे हैं।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी निवेदन यह है कि यह फसल बीमा योजना किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है। इसलिए इस कानून को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है इसे वापिस ले लीजिए।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर सभी माननीय सदस्य अपनी बात सदन में कह चुके हैं अब दोबारा उन्हीं बातों को रखने का कोई औचित्य नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री आनंद सिंह दांगीः सर, किसानों के खाते से पैसे बीमा कम्पनियों ने काटे हैं।

श्री मनोहर लालः ये पैसे बैंक ने काटे हैं क्योंकि ये लोन बैंक करता है।(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दांगी साहब आप जैसा विद्वान आदमी भी यह बात पूछ रहा है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना से हर वर्ष 250 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार बढ़ेगा और इससे कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अध्यक्षः बहन जी, दलाल साहब तो परेशान हैं ही उनके साथ–साथ आप भी परेशान हैं।

श्री मनोहर लालः केन्द्र सरकार ने जो योजना बनायी है (शोर एवं व्यवधान) इसमें बीमा करवाने वाला जो किसान है अगर उसको कोई नुकसान होगा तो उसकी भरपाई होगी। हम तो यह चाहते हैं कि किसानों का कोई नुकसान न हो। क्योंकि जब उसका नुकसान होता है तो कितना होगा इसका हमें कोई अनुमान नहीं होता है। अगर यह बीमे का 100–200 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से बीमा कम्पनी के पास जाता है तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब नुकसान होता है तो क्या दृश्य होता है ? नुकसान का दृश्य हमारी सरकार बनने के बाद हमने वर्ष 2015–16 के अन्दर देख लिया था। उस वक्त किसानों को 2400 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया गया था। आप आकंड़े उठाकर देख लीजिए सारे आंकड़े अकाउंट्स

में पड़े हैं। अगर किसी भी सदस्य को इसमें कोई शंका है तो विभाग से आंकड़े लेकर अपनी संतुष्टि कर लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने किसानों को जो मुआवजा दिया है उनसे दोगुना लगभग 4400 करोड़ रूपये बीमा कम्पनी के नाम पर किसानों से वापिस ले लिए हैं।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह, जी आप बैठ जाईये माननीय मुख्य मंत्री जी जबाव दे रहे हैं।

श्री मनोहर लालः विषय यह नहीं है विषय यह है जो मैं आपको इतना विस्तार से बता रहा हूं कि मान लो कल को अगर सरकार के पास उसका 300 करोड़ रूपये रिजर्व रखा है अगर ऐसा कोई प्रीमियम् है जो कम है क्योंकि 2 प्रतिशत और डेढ़ प्रतिशत कंपनियों का नहीं है । (विघ्न) वो बाकायदा निविदाएं आती हैं। उन निविदाओं में कहीं 5 परसेंट होता है, कहीं 8 परसेंट होता है और कहीं 10 परसेंट होता है तो जो अतिरिक्त प्रीमियम बच जाता है उस अतिरिक्त प्रीमियम को केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार आधा–आधा देगी।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सदन की सहमतिहो तो बैठक का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : बैठक का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अगर 2 प्रतिशत किसान का है तो 4 प्रतिशत हरियाणा सरकार दे रही है और 4 प्रतिशत केन्द्र सरकार भी दे रही है। इसलिए कम्पनियों के पास ज्यादा मुआवजा आयेगा और वे नहीं देते हैं तब जिम्मेवारी सरकार की है। आखिर जो हमने एक निविदा की है उसके नाते से यह नुकसान कब होगा या नहीं होगा, भगवान न करे कि इस प्रकार से नुकसान हो। अगर नुकसान ज्यादा होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्यमंत्री जी किसान होते तो ऐसा नहीं करते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि मैं किसान हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, ये किसान के घर में पैदा हुए हैं, दलाल साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब सदन को बार–बार गुमराह कर रहे हैं। इस प्रकार से इनको सदन को गुमराह करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब तीन दिनों में भी अपनी बातें नहीं रखीं, ये अपनी बातें रख ही नहीं सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो लोगों की जमीन लूटने का काम किया है जबकि मुख्य मंत्री जी ने अपनी जमीन भी दान कर दी है। आज बनियानी गांव में एक किला समाज को इन्होंने दान दे दिया। (शोर एव व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, किसानों के ऊपर काला कानून लागू किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, करण दलाल जी गलत बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) मुख्य मंत्री जी ने तो अपना जीवन समाज के लिए दान किया और जमीन भी दान की है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम किसानों के हित के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे हैं, चाहे वह मुआवजा देने की बात हो, चाहे गन्ने की कीमत देने की बात हो। हरियाणा प्रदेश में गन्ने की कीमत देश भर के सभी प्रदेशों के गन्ने की कीमत से ज्यादा है। हरियाणा में गन्ने की कीमत 320 रुपया, 315 रुपया, 310 रुपया है जो किसी प्रदेश में गन्ने की कीमत इतनी नहीं है। बहुत सारे प्रदेशों में तो गन्ने के जो उत्पादक या किसान है, उनके सात–सात या आठ–आठ महीने के पैमेंट रुके रहते हैं। सरकार ने 1200 करोड़ रुपये गन्ने के जो उत्पादक या किसान है, उनको भुगतान की, हालांकि मिलें घाटे में गईं, फिर भी सरकार ने उन किसानों को 1200 करोड़ रुपये भुगतान किए। इस वर्ष तो हमारी मिलें घाटे में नहीं हैं पर पिछले वर्ष घाटे में जरूर गई थी, लेकिन कुल–मिलाकर हम इस नाते से किसानों के हितैषी जरूर हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कि है कि वर्ष 2022 तक हम हर किसान की आय को दुगना करेंगे और यह हमारा दावा है। उनके बीजों की कीमत, खाद और दूसरी चीजों की जो कॉस्ट है उसे हम कम करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जसविंद्र सिंह जी, आप हर प्वाइंट पर खड़े हो जाते हैं, जोकि ठीक नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप भी कृषि मंत्री रहे हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि किसानों की एक तरह की फसल नहीं होती है। सभी किसानों के पास एक तरह का खेत नहीं है अलग–अलग खेत हैं, अलग–अलग प्रकार के क्षेत्र है और अलग–अलग प्रकार के उनकी फसलें हैं। हम किसानों को आगे प्रेरित करेंगे। हम किसानों को परम्परागत खेती के बजाए डायवर्सीफिकेशन पर भी लाएंगे। हम किसानों को फल, फूल, सब्जियां इन सभी चीजों को उगाने के लिए उन्हें सुविधाएं देंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे। दिल्ली और इसके आस–पास जितना एरिया है, हरियाणा लगभग उस क्षेत्र में आता है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा इन सब शहरों को मिला लें तो यह 4 करोड़ से ऊपर की आबादी है। 4 करोड़ की इतनी बड़ी मार्केट में जितनी सुविधा, सहूलियत और जितना बड़ा अवसर हरियाणा के किसान के पास है, इतना शायद किसी प्रदेश के किसान के पास नहीं है। हम किसानों को और भी सहूलियत और सुविधा देने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। हम गन्नौर के अंदर अंतराष्ट्रीय लेवल की मण्डी बना रहे हैं ताकि वहां जाकर किसान अपनी फसल और सब्जियां उचित दाम पर बेच सकें । हम छोटे किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए पशु पालन, मुर्गी पालन, मधु मख्खी पालन आदि योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह के जो एग्रो बेस्ड सिस्टम छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए हैं उनको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी भत्ते का विषय भी उठाया । यदि मेरे मित्र राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ लेते तो इस तरह का प्रश्न ही खड़ा न करते । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पेज संख्या–19–20 पर स्पष्ट लिखा है कि सभी प्रकार के बेरोजगार भत्तों को बढ़ाया गया है । इस समय सरकार द्वारा 10+2 या समकक्ष 900 रुपये महीना, स्नातक या समक्षक 1500 रुपये महीना, स्नातकोत्तर या समक्षक 3000 रुपये महीना के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त हमने युवा सक्षम स्कीम बनाई है जिसमें अभी स्नातकोत्तर बेरोजगार युवाओं को लिया गया है । इसमें जो स्नातकोत्तर बेरोजगार रजिस्ट्रेशन करवायेंगे उन्हें महीने में 100 घंटे रोजगार सुनिश्चित किया जायेगा । इस 100 घंटे काम के बदले उन्हें 6 हजार रुपये अतिरिक्त दिये जायेंगे । इस तरह से 3000 जमा 6000 टोटल 9000 रुपये महीने

के उन्हें मिलेंगे । हम मानते हैं कि यह रोजगार नहीं है, यह एक तरह की सहायता है । इस तरह से महीने में 10–12 दिन लगाकर वे 100 घंटे काम करेंगे। हम इस पक्ष में भी हैं कि बिना काम लिये किसी को पैसा देना अच्छी बात नहीं है । सरकार काम क्रिएट करेगी और उनको स्किल्ड डिवैल्पमैंट के माध्यम से ट्रेनिंग करवायेंगे । इस तरह के माडल बना लिये गये हैं। बहुत से बेरोजगारों से पूछ भी लिया गया है कि वे किस–किस क्षेत्र में स्किल्ड डवैल्पमैंट का काम चाहते हैं ताकि वे लोग अपने हुनर को बढ़ाकर सरकारी या प्राईवेट नौकरी में जायें, चाहे स्वरोजगार करें । सरकार उनको 3 साल की सुविधा देने के लिए तैयार है, ताकि सबको रोजगार मिल सके । सक्षम युवा स्कीम में 1 अप्रैल से स्नातक स्तर के बेरोजगारों को भी जोड़ने की योजना है । अध्यक्ष महोदय, जहां तक 7वें वेतन आयोग को लागू करने का विषय है इस बारे में बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया है । सभी सरकारी कर्मचारियों की 1 जनवरी, 2016 से वेतन वृद्धि हो चुकी है । इससे सरकार पर लगभग 1400 करोड़ रुपये का भार पड़ा है । इसके अतिरिक्त जो हमारे बोर्ड, कारपोरेशंज आदि संस्थान हैं, उनकी भी वेतन वृद्धि की जा रही है । कुल मिलाकर सरकार पर करीबन 4000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा । अध्यक्ष महोदय, मैं एक घोषणा करना चाहता हूं । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगी कि 7वें वेतन आयोग के लागू होने से पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह 400–500 रुपये कम हो गई है । इन्क्रीमैंट के बाद भी उन्हें नुकसान हो रहा है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, 7वें वेतन आयोग को लागू करने से पुलिस के किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यदि माननीय सदस्या कोई उदाहरण देंगी तो उसका अवश्य हल किया जायेगा । जो माननीय सदस्या कहना चाह रही हैं वह विषय दूसरा है । पुलिस कर्मचारियों को 5 हजार रुपये महीना रिस्क अलाउंस दिया हुआ है । उसका 31 मार्च, 2016 तक समय फिक्स किया हुआ था । हमने रिस्क अलाउंस आगे एक्सटैंड किया है और लगातार पुलिस कर्मचारियों को मिल रहा है । पिछली सरकार ने यह रिस्क अलाउंस इस कंडीशन पर दिया था कि 7वें वेतन आयोग में सैलरी बराबर हो जाती है तो इसको विद्ड्रा

कर लिया जायेगा । यह पिछली सरकार की कैबिनेट का फैसला था । यदि माननीय सदस्या देखना चाहेंगी तो वह फैसला उन्हें दिखा दिया जायेगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि वे रिप्रजैंटेशन लेकर आये हुए थे । यदि ऐसा कुछ नहीं है तो उन्हें बुलाकर संतुष्ट कर दिया जाये ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, वे सभी संतुष्ट हैं । जहां तक एक्सटैंशन लैक्चरार्स की सैलरी का विषय है वह भी 25 हजार रुपये महीना कर दी गई है। उसकी अभी नोटिफिकेशन होनी बाकी है ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है ।

श्री मनोहर लाल : नोटिफिकेशन होने वाला है और जहां तक नोटिफिकेशन होने का सम्बन्ध है नोटिफिकेशन होने में हफ्ता या 10 दिन का समय लग सकता है। इसके अलावा इसमें और कोई परेशानी नहीं है। सरकार के स्तर पर यह फैसला ले लिया गया है और इस फैसले का हर प्रकार से अंतिम रूप दिया जा चुका है। इसके साथ ही साथ यह जानकारी सभी एक्सटैंशन लैक्चरारर्ज को भी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त जहां तक पुलिस कर्मचारियों का विषय है। इस बारे में मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मुझे यहां पर यह बताते हुए अपार खुशी हो रही है कि पूरे देश में हरियाणा प्रदेश पहली ऐसी स्टेट है जहां पर पुलिस कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया गया है। भारतवर्ष की किसी भी दूसरी स्टेट में पुलिस कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन हमने अपने यहां पर यह प्रॉविजन किया है। इसी प्रकार से होम गार्ड्स के जो कर्मचारी हैं वे लगभग पुलिस के बराबर ही कार्य करते हैं। होम गार्ड्स के कर्मचारियों के जो अभी तक डेली वेजिज थे वे केवल नाम मात्र थे हमारी सरकार ने उसको बढ़ाकर पुलिस के बराबर अर्थात 572/– रूपये प्रतिदिन कर दिया है। इस प्रकार से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के हित में हमने जो–जो काम किये हैं वे सारे के सारे ही उल्लेखनीय, उदाहरणस्वरूप व अनुकरणीय हैं। माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी ने जिस विषय को इंगित किया मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं कि कम से कम वे इस सदन में इस प्रकार के विषयों पर चर्चा करवाते हैं। उनके इस प्रकार के प्रयासों से हमें भी बल मिलता है। ऐसा ही विषय इन्होंने गंगा, यमुना, सरस्वती और श्रीमद् भगवद गीता के सम्बन्ध में उठाया और कुछ इशारा इन्होंने गौ रक्षा की तरफ भी किया। इन्होंने इस बात को

स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा लेकिन मैं यह समझ सकता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने बात की इनका कुछ मंतव्य वही था जो हमारा है। जब हम यहां पर इस प्रकार के काम करना शुरू करते हैं तो कहीं–कहीं से इनको हिन्दुत्व के मुद्दे के साथ जोड़कर देखा जाता है। मैं यहां सबसे पहले यह बात स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं कि यह देश और प्रदेश सिर्फ हिन्दुओं का नहीं है यह देश हिन्दुस्तानियों का और यह प्रदेश हरियाणावासियों का है। हां, यह बात अलग है और मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि हिन्दुस्तानियों और हरियाणावासियों में कोई हिन्दू है, कोई सिक्ख है, कोई मुस्लिम है और कोई ईसाई है लेकिन हम सबसे पहले हिन्दुस्तानी और हरियाणावासी हैं। हिन्दू, सिक्ख, मुस्लिम और ईसाई सभी अपनी–अपनी आस्थाओं के साथ काम करते हैं। यह बात भी सभी को स्वीकार्य होगी कि प्रत्येक कार्य किसी न किसी के साथ अवश्य जुड़ा हुआ होता है। हमारे समस्त हरियाणा प्रदेश ने अभी हाल ही में श्री गुरू गोबिंद सिंह जी का 350 सौ साला प्रकाशोत्सव बड़ी धूमधाम से एकजुट होकर मनाया है। मेरे कहने का आशय यह है कि प्रत्येक हरियाणावासी किसी न किसी मान्यता के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे समाज के कुछ न कुछ ऐसे मान–बिन्दु हैं, उन सभी मान–बिन्दुओं की रक्षा करना और उन सभी के प्रति बिना किसी भेदभाव के वास्तव में ही अच्छा विचार रखना यह सरकार का काम है और एक प्रकार से परम कर्त्तव्य है। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि एक सरकार को बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों की सरकार होना चाहिए। मैं करण सिंह दलाल जी द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों पढ़ देता हूं। इन्होंने कहा था "Vedic People" नामक एक किताब लिखी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि सरस्वती नदी थी लेकिन इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि सरस्वती नदी थी या नहीं थी इसका कोई स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से श्री करण सिंह दलाल जी को यह बताना चाहूंगा कि अलग–अलग पुस्तकों में इस विषय के ऊपर लगभग 350 लेख लिखे जा चुके हैं। अगर एक पुस्तक में किसी ने यह लिखा है कि सरस्वती नदी नहीं थी तो इसका मतलब यह नहीं है कि वही एक पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता की तरह सर्वमान्य हो गई और बाकी की सभी पुस्तकें व लेख बेकार हो गये। इस सम्बन्ध में तो नासा ने सैटेलाईट से सरस्वती नदी का मार्ग दर्शाया है और यह कहा है कि सरस्वती के अण्डर करंट्स आज भी मौजूद हैं। मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं कि जिन 350 लेखों का अभी मैंने हवाला

दिया है वे मेरे पास उपलब्ध हैं इसलिए अगर श्री करण सिंह दलाल जी को उनकी जरूरत है और वे उनको देखने की इच्छा रखते हों तो मेरे पास आ जायें मैं इनको वे लेख दिलवा सकता हूं। अगर इनकी इच्छा हो तो ये उन सभी लेखों को पढ़ लें।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात नही कह रहा हूं कि सरस्वती नदी नही थी, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूं कि सरकार इस नदी को ढूंढ निकाले क्योंकि यह हम सभी के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि हरियाणा में ऐसा हो लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार ने जल्दबाज़ी में सरस्वती नाम रख दिया और नदी वहां पर थी नहीं। यह बात में अकेला नहीं कह रहा हूं।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं यह बात भी स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं कि अगर श्री करण सिंह दलाल जी की कोई और खोज होगी इस सम्बन्ध में जिन 350 लेखों का मैंने जिक्र किया है करण सिंह दलाल जी मुझे उसकी जानकारी दें तो मैं इनको 350 के बजाय 351 लेख कहना शुरू कर दूंगा। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ठीक है इस सम्बन्ध में जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है मैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भिजवा दूंगा।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, अगर ये हमारे पास अपना कोई लेख भिजवायेंगे तो हम उसको देख लेंगे लेकिन अभी तक की जो पुख्ता सबूतों के साथ जानकारी हमारे पास उपलब्ध है और इस बारे में अभी तक जो वैज्ञानिकों के मत बने हैं उनके मुताबिक आदि–बद्री जो स्थान है वह यमुनानगर जिला है और वहां पर पुख्ता सबूतों के साथ पहाड़ के नीचे सरस्वती नदी का उद्‌गम बताया गया है। जो आदि–बद्री है वह यमुनानगर जिले में है तो वह वहीं रहेगा मैं उसको पलवल जिले में तो लेकर नहीं जा सकता, वह तो वहीं रहेगा। सरस्वती नदी का जो आगे का मार्ग है और उस मार्ग पर जो तीर्थ स्थान बने हुए हैं आज भी उन तीर्थ स्थानों की बहुत ज्यादा मान्यता है। यह बात श्री करण सिंह दलाल जी ने ठीक कही कि कल को कोई घग्गर नदी को भी सरस्वती नदी कह सकता है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह इन्होंने ठीक कहा क्योंकि घग्गर नदी का भी एक मार्ग है जो कि इस समय तक मान्यता प्राप्त है और उसका भी एक संभावित मार्ग बताया जा रहा है। वह मार्ग यह है– आदि–बद्री से बिलासपुर, जिला यमुनानगर उसके बाद सरस्वती नगर

जिसको इस समय मुस्तफाबाद कहते हैं वहां से होते हुए कुरूक्षेत्र और कुरूक्षेत्र इसलिए क्योंकि आज भी कुरूक्षेत्र के पास पिपली के जू के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक अर्थात जी.टी. रोड पर एक पुल बना हुआ है जिसका नाम सरस्वती पुल रखा हुआ है। इस पुल का यह नाम हमने नहीं लिखा है। श्री करण सिंह दलाल जी जी.टी. रोड से पलवल से चण्डीगढ़ आते–जाते समय इसको देख सकते हैं।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर किसी कार्यक्रम का आयोजन करें और सभी को वहां पर बुलायें।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री करण सिंह दलाल जी को यह बताना चाहूंगा कि वहां पर प्रोग्राम्ज़ होते हैं। भविष्य में जब भी वहां पर किसी सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होगा तो श्री करण सिंह दलाल जी को भी उसमें अवश्य आमंत्रित किया जायेगा। ये वहां पर आयें हम इनका स्वागत करेंगे।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, पेहवा में भी सरस्वती तीर्थ है।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, सरदार जसविन्द्र सिंह संधू जी सही कह रहे हैं क्योंकि सरस्वती नदी कुरूक्षेत्र होते हुए पेहवा जाती है और फिर कैथल जिले के बाद जो घग्गर नदी का मार्ग है उससे होती हुई आगे सिरसा होते हुये राजस्थान पार कर सिंधु सागर में जा कर मिलती है । यह विषय अभी वैज्ञानिकों का विषय है, यह खोज का विषय है । सरस्वती एक प्रसिद्ध नदी थी जो अब लुप्त हो चुकी है और इसके दोनों ओर वैदिक सभ्यता के ग्रंथ भी लिखे गये और अब एक मान्यता बन रही है कि इसी क्षेत्र में जो प्राचीनतम सभ्यता है उसके अवशेष मिले हैं । इसमें चाहे हमारी राखी–गढ़ी है, चाहे कुनाल है, ये सारे क्षेत्र इसके आसपास ही बसे हुये हैं और आज भी उसके अवशेष निकल रहे हैं। राखी गढ़ी के बारे में तो अगर आप लोगों में से कोई गया होगा उसको पता ही होगा कि किस प्रकार उस सारे एरिया को आर्कियो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित किया हुआ है । जब ये सारे प्रमाण मिलेंगे तो उसके आधार पर ही आगे चीजें मिलेंगी । (विघ्न) मुझे पता है कि हरियाणा में सरस्वती की जो मान्यता है उसको हमें बना कर रखना है । उसमें पहले जितनी मात्रा में पानी था उतना तो शायद नहीं आ पायेगा लेकिन वह प्रवाहमान बने और जनता की उसमें आस्था बनी रहे उतना पानी हम अवश्य उपलब्ध करवायेंगे । उसके लिए चाहे हमें छोटे–छोटे डैम बनाने पड़ें चाहे यमुना का पानी डाइवर्ट करना पड़े क्योंकि वह पानी रहना तो अपने हरियाणा में ही है और अगर हम उसको डाइवर्ट करेंगे तो सरस्वती के माध्यम से सिरसा तक उसका

उपयोग होगा इसलिए हम सरस्वती नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास करेंगे । यह एक ऐसा विषय है जिस पर हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हरियाणा को इस प्रकार का एक अवसर मिला है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से गुरूग्राम के मैट्रो रूट की बात आई थी उसके बारे में मेरा इतना ही कहना है कि यह कुल मिला कर आज की योजना नहीं है । यह योजना सन् 2005 के बाद कांग्रेस के शासनकाल में गुरूग्राम का ड्राफ्ट प्लान 2031 बना था उस समय की है । हम एक–एक विषय पर जवाब देंगे, हम भागने वाले नहीं हैं । यह बात तो जिस पर जायेगी उसी पर जायेगी और मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि :–

आईना तोड़ने वाले तुझे ध्यान रहे,
अक्स तेरा भी बंट जायेगा कई हिस्सों में ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, अढ़ाई साल हो गये हमने कांग्रेस के खिलाफ आपको एक चार्जशीट दी थी जिस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ हो गया है । अभी एक–एक करके सारी बातें आयेंगी । अगर सारी बातें एक ही बार आ गई तो यहां पर कोई नहीं बैठेगा, बहुत से लोग भाग जायेंगे। इस विषय पर मेरा इतना ही कहना है कि गुरूग्राम के मैट्रो के 6 रूट्स में से 4 रूट्स गुरूग्राम के हैं । जो टी.ओ.डी. पॉलिसी का जिक्र किया जा रहा है उसमें 1,4,5 और 6 रूट्स गुरूग्राम के हैं तथा 2 और 3 में से एक बहादुरगढ़ का है तथा एक फरीदाबाद का है । इन 6 रूट्स के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है उसमें कहीं पर भी रूट की डाइवर्जन नहीं की गई है केवल एक जगह पर दो रूट्स को लिंक किया गया है । सरकार ने मैट्रो के रूट में कोई बदलाव नहीं किया है । सैक्टर 56 के पूर्वी भाग के साथ गोल्फ कोर्स के साथ प्रस्तावित मैट्रो रूट को जोड़ने के लिए एक छोटा सा विस्तार किया है । यह इसलिए भी आवश्यक हो गया क्योंकि मैट्रो रूट गोल्फ कोर्स के साथ सैक्टर–55 और 56 के पूर्वी छोर पर खत्म हो रहा था लेकिन एस.पी.आर. का रूट वहां से कुछ किलोमीटर दूर है । उस एस.पी.आर. के रूट को जोड़ने के लिए ही नहीं बल्कि जो रैपिड मैट्रो का निर्माणाधीन भाग है उसको जोड़ने के लिए यह विस्तार किया गया है । किसी अन्य रूट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । जो प्रश्न उठाया गया था उसका उत्तर तो यही है । एक रूट परिवर्तन हुआ भी है मैं उसके बारे में बता

देता हूं । एम.आर.टी.एस. की एक नई योजना है जो गुरूग्राम से शुरू हो कर बावल तक जायेगी । उसके दो भाग किये गए हैं । पहले भाग में गुरूग्राम से मानेसर और दूसरे भाग में मानेसर से बावल तक है । इसका रूट सी.पी.आर. (सैन्ट्रल पेरीफेरल रोड) से था लेकिन साथ में ग्लोबल सिटी की एक योजना बनी। अध्यक्ष महोदय, एक हजार एकड़ जमीन में ग्लोबल सिटी बनने वाली है । यह एच. एस.आई.आई.डी.सी. की जमीन है । प्राईवेट जमीन नहीं है । जब उसके रूट का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा गया क्योंकि जो ग्लोबल सिटी है उसमें एम.ओ.यू. का 50–50 प्रतिशत शेयर हरियाणा सरकार का और केन्द्र सरकार का है । इसमें जो बातें चल रही हैं वह एम.ओ.यू. के आधार पर ही चल रही हैं । उसमें अभी कोई फाईनल नहीं हुआ है जिसके कारण अभी यह सारा प्रस्ताव विचाराधीन है । उस प्रस्ताव के संबंध में वहां से यह आया कि जो ग्लोबल सिटी है उसके अन्दर यह रैपिड मैट्रो नहीं जा रही है । उससे लगभग डेढ़–दो किलोमीटर दूर से जा रही है। जिससे लोगों को एक–डेढ़ किलोमीटर आना–जाना कठिन होगा । इसलिये इस रैपिड मैट्रो को ग्लोबल सिटी के अन्दर से निकाला जाए ताकि लगभग एक लाख लोगों का जो डेली का फुटफाल है उनको यह कैटर कर सके । इसके बाद नई योजना में क्योंकि वह एच.एस.आई.आई.डी.सी. की जमीन है इसलिये उसको थोड़ा डाईवर्ट करके ग्लोबल सिटी के अन्दर से एम.आर.टी.एस. की जो एक नई योजना बनी है उस एम.आर.टी.एस. पर कहीं भी टी.ओ.डी. लागू नहीं होती है । कल को सरकार लागू करेगी तो वह अलग बात है। क्योंकि नई योजनाएं तो कभी बनती है और उस टी.ओ.डी. योजना में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि first come first serve आ जाओ और ले जाओ । इस घिनौने पाप से हम बचे हुए हैं । हमारी तो हर एक चीज पारदर्शी होती है । हम उसमें योजना बनाएंगे और उस योजना का जनता को लाभ होना चाहिए और जनता के लाभ के लिये डिवैल्पर अपनी जमीन रखे बैठा है । कोई नई जमीन खरीदता है, बनाता है तो उसके चार्जिज होते है । वह चार्जिज देकर के बनाएगा । ई.डी.सी. के चार्जिज हैं । हमने अगर टी.ओ.डी. में एफ.ए.आर. साढ़े तीन रूपये भी बढ़ाया है तो फ्री में नहीं किया है । अगर किसी को कॉमर्शियल लाईसैंस लेना होगा तो उसका प्रति एकड़ लगभग 24 करोड़ रूपया बनता है और अगर किसी को रेजीडैंशियल लाईसैंस भी लेना होगा तो उसके लिये 11 करोड़ रूपया प्रति एकड़ बनता है । वह 11 करोड़ और 24 करोड़ रूपये देकर ही टी.ओ.डी. की पॉलिसी में आएगा अन्यथा नहीं आएगा । टी.ओ.डी. का अर्थ यह

होता है कि जो रेलवे मैट्रो है उस मैट्रो के साथ–साथ आबादी ज्यादा हो । ताकि हमारा जो रोड़ ट्रांसपोर्ट है उसका बोझ कम हो । क्योंकि आज सबसे ज्यादा समस्या रोड़ ट्रैफिक की है । जिसको कम करने के लिये मैट्रोज, एम.आर.टी.एस. इस प्रकार की सारी योजनाएं बन रही हैं । यह केवल इस देश में हो रहा है ऐसा नहीं है । यह वर्ल्ड वाईड फिनोमिना है और वर्ल्ड वाईड फिनोमिना टी.ओ.डी. पॉलिसी को लागू करने का है । इसको हम सबसे पहले गुरूग्राम में लागू कर रहे हैं । यह केवल गुरूग्राम में ही नहीं जहां–जहां इस प्रकार का विकास होगा आबादी ज्यादा बढ़ेगी उन सभी शहरों में टी.ओ.डी. पॉलिसी आएगी ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने यह रूट चेंज कर दिया है और हम सारी बात सुन भी रहे हैं । लेकिन जहां तक मेरी इतलाह है कि जब मास्टर प्लान को चेंज किया जाता है और उसको मोड़ा जाता है या जो भी किया जाता है तो नो ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट और एन.सी.आर. की क्लीयरेंस लेनी होती है क्या वह सब आपने किया है ? क्योंकि आपके विधायकों ने ही ये बात उठाई है इसलिये ही हम जरा यह कलीयर करना चाहते हैं।

श्री मनोहर लाल : अभी सब प्रपोज्ड है । यह प्रपोजल केन्द्र सरकार को भी जाएगा। पब्लिक को भी इसके नाटिस दिये जाएंगे । सबके ऑब्जैक्शन भी मंगवाए जाएंगे। उसके बाद जो फाईनल करना होगा उसको फाईनल करेंगे । यह तो अभी जमीन पर भी कुछ नहीं है । आज से 10 साल बाद बनेंगी या 5 साल बाद बनेंगी, 15 साल बाद बनेंगी। अभी तो केवल उसका पत्राचार चल रहा है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पत्राचार तो होता रहेगा लेकिन जहां से मोड़ तोड़ होगी उसको तो आज से ही फायदा हो जाएगा ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि उस मोड़ तोड़ में आज कोई प्राईवेट जमीन नहीं है । यह मैं डिक्लेयर करता हूं। उसमें एक हजार एकड़ जमीन एच.एस.आई.आई.डी.सी. की है और एच.एस.आई. आई.डी.सी. इस योजना के फाईनल होने के बाद उस जमीन की ऑक्शन करेंगे। अब वह किसी प्राईवेट डिवैल्पर को देंगे या खुद उपयोग करेंगे अभी इसकी जानकारी नहीं है । यह बाद की योजना है । मान लो प्राईवेट डिवैल्पर भी इस तो एच.एस.आई.डी.सी. की जमीन पर आता है तो इन सभी योजनाओं के बनने के बाद आएगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : जमीन तो एच.एस.आई.आई.डी.सी. देगी ।

श्री मनोहर लाल : अगर जमीन एच.एस.आई.आई.डी.सी. देगी तो किसी एक सिस्टम से देगी । वह उस जमीन की ऑक्शन करेगी । ऐसा नहीं है कि अन्दर बैठकर या अण्डर दि टेबल चुपचाप किसी को पकड़ा देंगे । ऐसा काम हमारा नहीं है ।

Shri Karan Singh Dalal : Who are the interested parties, those who are requesting for a change? इसमें एच.एस.आई.आई.डी.सी. का कोई तो वेस्टिड इंट्रैस्ट है जो यह चेंज कर रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : इसमें कोई वेस्टिड इंट्रैस्ट नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, प्लानिंग तो सरकार की होती है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं करण सिंह दलाल जी को बताना चाहूँगा कि सरकार जब भी कोई प्रोजैक्ट बनाती है तो सबसे पहले उसकी प्लॉनिंग तैयार करती है। इस प्लॉनिंग को 10 साल पहले भी बनाया जा सकता है और कभी कभी तो 20 साल पहले भी किसी प्रोजैक्ट के लिए प्लानिंग तैयार कर दी जाती है। वास्तव में तो प्लॉनिंग, प्रोजैक्ट का ही एक पार्ट होती है। मान लो जैसे कोई योजना वर्ष 2031 में शुरू होगी, तो संभव सी बात है कि उसके लिए तैयारी तो पहले से ही करनी पड़ेगी। पॉलिसी में चेज होने से या पॉलिसी के इम्पलीमैंट होने के बाद किस किस को फायदा होगा इन सबके चिट्ठे भी तैयार किए जायेंगे और सबके सामने लाये जायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हम तो सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि किसी प्रोजैक्ट की पॉलिसी में चेंज होने के बाद लोग गलत फायदा भी उठा लेते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, चेंज पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए कोई न कोई तो तैयार बैठा ही होगा? ऐसी अवस्था में कहीं पॉलिसी की जलेबी ही न बन जाए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को आश्वस्त करना चाहूँगा कि यदि कोई जलेबी बनायेगा चाहे वह कोई नेता हो, अधिकारी हो या फिर कोई कर्मचारी हो, तो वह निःसंदेह फँसेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आप बैठिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा मीटरों की खरीद संबंधी विषय भी चर्चा का एक विषय है। इस संबंध में मैं सदन

की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मीटरों की खरीद में किसी प्रकार की कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है। यह एकदम निराधार आरोप है। अध्यक्ष महोदय, मीटर्ज व अन्य सामग्री के लिए निगम की तरफ से जो भी प्रोसैस होता है वह सब ऑन लाईन प्रोसैस है। ई–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, इसलिए यह असंभव है कि इस तरह की ऑन लाईन प्रक्रिया में कोई व्यक्ति अंदर खाते बैठकर कुछ गड़बड़ कर सके। इसके अतिरिक्त मीटर व अन्य सामग्री की तकनीकी विशिष्टयों को दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के शीर्षस्थ अधिकारियों की समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। प्री क्वालिफिकेशन रिक्वॉयरमैंटस के साथ साथ निविदा के अन्य नियम व शर्तों को भी शीर्षस्थ अधिकारियों की समिति के प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नवीनतम तकनीकी विकास के अनुरूप पी.क्यू.आर. तथा तकनीकी विशिष्टयों की समय समय पर समीक्षा की जाती है और इसी के अनुसार निविदाएं भी जारी की जाती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आपकी पार्टी के ही एक विधायक ने इस सारी बात का खुलासा तथ्यों के साथ अखबारों में किया है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्य हमारे विधायक के जाल में फंस गए है। यह तो बहुत अच्छा हुआ। (हंसी) देखिये, हम तो अपने विधायक से जाल जरूर डलवायेंगे और कोई उसमें फंसे तो भी ठीक और न फंसे तो भी ठीक।(हंसी) इस मौके पर मैं सदन को एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक बार एक पहलवान कुश्ती में प्रथम आ गया और प्रथम आने के बाद उसने अखाड़े में घूमकर लंगोट घूमा दिया और छुट्टी दे दी कि वह किसी के साथ भी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है। सूर्यास्त का समय नजदीक था और मेला उखड़ने वाला था तभी सूर्यास्त के पांच–सात मिनट पहले जबकि मैदान में अभी भी पूरी जनता बैठी हुई थी एक सुकड़ु सा लेकिन बड़ा हिसाबी किताबी चतुर नौजवान निकलकर आया। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को साफ कह देना चाहिए कि वह लड़का लाला जी का था। (हंसी)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं शर्मा जी की बात मानता हूँ और बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो वह सुकड़ु सा लाला जी का बेटा जो शायद दुकानदार होगा या फिर व्यापारी होगा भीड़ से निकलकर आया और उसने सोचा कि इस पहलवान के साथ मैं लड़ाई जरूर लड़ूंगा और पहलवान को बिना लड़े 1000 रूपये की इनाम

की राशि नहीं ले जाने दूंगा और अगर पहलवान जीत भी गया तो कोई बात नही वह ईनाम की राशि ले जायेगा। यह सोचकर उसने अखाड़े में छलांग लगा दी। लोग देखने लगे कि इतने बड़े पहलवान के सामने यह पतलू सा लड़का कूद गया है, यह जरूर मरेगा। उस सुकडु से लड़के ने पहलवान से हाथ मिला लिया। सब लोग हैरान–परेशान। इस बीच सूर्यास्त भी हो गया और निर्णय लिया गया कि क्योंकि अब अंधेरा हो गया है इसलिए कुश्ती सवेरे होगी। सुबह 10 बजे आस–पास की पूरी जनता कुश्ती को देखने के लिए फिर इक्ट्ठा हो गई। उस लड़के ने अखाड़े की माटी चुचकारी और पहलवान से हाथ मिलाया। इसके बाद जब कुश्ती से पहले जब एक दो मिनट दो पहलवान एक दूसरे के साथ कंधे में कंधा डालकर जोर आजमाईश करते है, उस समय उस पतले से लड़के ने पहलवान से पूछा कि तुम कुश्ती क्यों कर रहे हो? पहलवान बोला जीतने के लिए। पतलू सा लड़का बोला जीतकर क्या होगा? पहलवान बोला 1000 रूपये ईनाम मिलेगा। पतलू नौजवान बोला यदि तुम हार जाओ और मैं तुम्हे 2000 रूपये बिना कुश्ती लड़े दे दूं तो? पहलवान बोला हां हार जाउंगा। मैंच फिक्स हो गया और कुश्ती शुरू हो गई। दो, चार–दस मिनट में वह पहलवान नीचे और पतलू सा नौजवान उपर। लोगों ने उसे उठा लिया और बोलने लग गये कि जीत गया भई जीत गया और कंधे पर उठाकर ले जाने लगे इनाम के लिए और मैडल या सर्टिफिकेट के देने के लिए। तभी वह पलवान उठा और भीड़ के बीच जाकर बोला कि भाईयों एक बार इस पहलवान को नीचे उतारो। मुझे इससे बात करनी है। जब वह नीचे उतरा तो पहलवान उसे साईड में ले गया और बोला कि जाने से पहले मेरे 2000 रूपये तो दे दे। नौजवान सुकडु सा लड़का बोला कौन से 2000 रूपये? पहलवान बोला 'लै तुने ही तो कहा था।' नौजवान झट से बोला कि लै तेरा अपना दांव–मेरा अपना दांव। इस तरह कांग्रेस पार्टी के सदस्य हमारे विधायक के दांव में फंस गए हैं। (हँसी)

श्री अध्यक्षः सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के लोग वास्तविकता में भी एक बनिये के ही दांव में फंसे हैं। (हंसी)

बैठक का समय बढ़ाना

15:00 बजे **श्री अध्यक्ष :** यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्षः ठीक है, सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, जहां तक कानून व्यवस्था की बात है उस पर भी विपक्ष के मित्रों ने कई बातें कही हैं । मेरा कहना यह है कि कुल मिलाकर पिछला वर्ष कानून और व्यवस्था की एक–आध घटनाओं को छोड़कर सामान्यतः ठीक रहा है । (विघ्न) बहुत–से आंकड़ें यह दर्शाते हैं कि इस वर्ष अपराध नियंत्रण में रहे हैं । पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष डकैती के मामलों की संख्या 25 कम है, लूट–मार के मामलों की संख्या 202 कम है, झगड़ों के दौरान चोट मारने की घटनाएं 120 कम हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं 88 कम हैं और दहेज प्रताड़ना के मुकदमें 233 कम हैं । अब इन अपराधों के कम होने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी पीठ थपथपाने लग जाएं । मेरे कहने का आशय इतना ही है कि सदन में जिस प्रकार की चिंता रखी गई है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है उस चिंता को इस प्रकार से न दर्शायें । हम इसके लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि हम कानून व्यवस्था को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं । इसके लिए पुलिस पर्सोनल्स की समस्याओं को हल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, अपराधों में अनुसंधान की सफलता का अनुपात बढ़ाना, व्यवस्थागत परिवर्तन इत्यादि विषयों पर हमें काम करना हैं । इन सुधारों के लिए हमने जो प्रयास किये हैं मैं उनके कुछ उदाहरण बता रहा हूं । पहला उदाहरण पुलिस की भर्ती से संबंधित है । पुलिस विभाग में 14 हजार पद खाली थे । हमने इन रिक्त पदों को भरने के लिए 5000 पुलिस कर्मियों की भर्ती निकाली । इस भर्ती में महिला पुलिस कर्मी भी शामिल हैं । पुलिस विभाग में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या जो अभी तक वर्ष 2014 तक 6 परसेंट थी अब वह 8 परसैंट हो चुकी है और नये वर्ष में महिलाओं की और भर्ती करके यह कुल संख्या का दस परसेंट हो जाएगा । हमने जिला करनाल और

महेन्द्रगढ़ में महिला वॉलेंटियर्स और महिला पुलिस वॉलेंटियर्स स्कीम की शुरूआत की है । हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि ये वॉलेंटियर्स नागरिकों और पुलिस के बीच में एक पुल का काम करेगी । इसके अतिरिक्त पुलिस थाने के गेट के बाहर और मुख्य द्वार के बीच एक फ्री रजिस्ट्रेशन डेस्क को लागू करवाया है ताकि कोई भी व्यक्ति जाकर उस फ्री रजिस्ट्रेशन डेस्क पर अपना नाम दर्ज कराये कि मैं अन्दर जाकर अपनी कम्पलेंट दर्ज कराने आया हूं । इससे हमें जानकारी रहेगी कि पुलिस ने थाने में आने वाले कितने फरियादियों की शिकायतें दर्ज की और कितने फरियादियों की शिकायत दर्ज नहीं की । इससे हमें जानकारी रहेगी कि उसको वैसे ही टरका दिया गया या उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया इत्यादि । अगर फ्री रजिस्ट्रेशन डेस्क में उसका नाम दर्ज होगा तो हमें पता रहेगा कि इस आदमी ने थाने में एंटर किया था । इससे हमें पुलिस थाने से जानकारी मिल जाएगी कि वह व्यक्ति पुलिस से संतुष्ट है कि नहीं है । हम उससे पूछ सकते हैं कि आपको थाने में कम्पलेंट दर्ज कराने या एफ.आई.आर. लिखवाने में कठिनाई तो नहीं आई है । इसके अतिरिक्त हम उस व्यक्ति से संपर्क करके पूछ सकते हैं कि आप पुलिस की कार्यवाही से सैटिसफाइड है या नहीं है । हम यह काम पुलिस विभाग से अलग किसी और विभाग को इस काम को देंगे । हमारा विश्वास है कि इससे जनता का सैटिसफैक्शन लेवल बढ़ेगा । इसी प्रकार हमने सी.एल.जी. (कम्युनिटी लायजन ग्रुप) का गठन किया है । कभी–कभी पुलिस थानों में ऐसी शिकायतें भी आती हैं जिनमें छोटा–मोटा विवाद होता है और उन्हें आपस में समझा–बुझाकर सोल्व किया जा सकता है । कम्युनिटी लायजन ग्रुप के माध्यम से छोटे–मोटे आपसी विवादों को निपटाया जा सकता है । अगर ऐसे विवादों में कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता हो तो कानून के अनुसार भी काम किया जाएगा। (विघ्न) इसी प्रकार हमने सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी एक फण्ड बनाया है । पुलिस द्वारा जो चालान किये जाते हैं उन चालानों की राशि का 50 परसेंट हम सड़क सुरक्षा फण्ड में पुलिस को ही देते हैं ताकि सड़क सुरक्षा की दृष्टि से नागरिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान की जा सकें, जैसे सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने हैं, इसके अतिरिक्त पुलिस सहायता केन्द्र स्थापित करने हैं। इस प्रकार से सड़क सुरक्षा की दृष्टि से उपकरण खरीदने के लिए 15 करोड़ रूपये पुलिस विभाग को दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कुण्डली–मानेसर एक्सप्रेस्वे पर हर 10 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस चौंकी तथा हर जिले में एक ट्रैफिक पुलिस थाना

खोलने जा रही है ताकि कुण्डली–मानेसर–पलवल एक्सप्रेसवे पर आने वाले दिनों में भीड़ की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। महिला पुलिस थानों में काउन्सलिंग सैन्टर भी बनाए जा रहे हैं। महिला घरेलू हिंसा या बाल विवाहा जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये ऑफीसर्ज महिला एवं बाल विकास डिपार्टमैंट के कर्मचारी होते हैं। वैबसाईट पर हर समय पोर्टल उन लोगों के लिए सुविधा है जो बिना पुलिस थानों में जाये अपनी शिकायत अथवा एफ.आई.आर. वैबसाईट के माध्यम से घर बैठे भी दर्ज करवा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस वेबसाईट पर अभी तक 109336 शिकायतें दर्ज हुई हैं और 98 प्रतिशत शिकायतों का निपटारा भी किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, एन.आर.आईज. की तरफ से बहुत ज्यादा शिकायतें आती थी कि हम लोग तो विदेश चले जाते हैं लेकिन हमारे पीछे हमारी जायदाद जैसे मकान, दुकान आदि पर कब्जा करने के लिए हमारे बुजुर्ग माता–पिता के साथ दुर्व्यवहार होता है। उनकी चिंताओं को समाप्त करने के लिए एन.आर.आईज. पोर्टल सैल बनाया गया है ताकि वे विदेश में बैठे–बैठे पोर्टल सैल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सके। अध्यक्ष महोदय, पुलिस कर्मचारियों के कल्याणार्थ साप्ताहिक अवकाश तथा 3600 नये मकान बनाए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग में सीनियॉरिटी को लेकर काफी समस्या रहती थी इसलिए सैन्टलाइज सीनियॉरिटी सिस्टम को भी लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के ''पुलिस कल्याण कोष'' में सरकार ने चार करोड़ रूपये देने का काम किया है। इस ''पुलिस कल्याण कोष'' में पुलिस कर्मचारियों का अपना पैसा भी इक्ट्ठा किया हुआ होता है। ताकि पुलिस कर्मचारियों को अचानक किसी बात के लिए आवश्यकता पड़ने पर ''पुलिस कल्याण कोष'' से सहायता दी जा सके। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पहले ही 14 पुलिस पब्लिक स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं और 5 नये पुलिस पब्लिक स्कूल स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है ताकि हर जिले के पुलिस लाइन में एक पुलिस पब्लिक स्कूल बन सके। हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष में सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए मेडल दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सरकारी और निजी स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा अभियान के तहत अब तक दो लाख सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाए जा चुके हैं। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर, गुरूग्रम और अन्य शहरों में सरकार की तरफ से और नगर निगम की तरफ से सभी चौराहों पर सी.

सी.टी.वी. कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पुलिस आधुनिकीकरण द्वारा खासकर के साइबर क्राईम को रोकने के लिए आई.टी. आधारित व्यवस्था की जा चुकी है। पुलिस के आवासीय और कार्यालय भवन के निर्माण पर 226 करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की गई है। वायरलैस सैट वाहन आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया है कि हरियाणा में अपराध बढ़े नहीं है अगर किसी क्षेत्र में अपराध बढ़े हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में कम बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि प्रदेश में अपराध बढ़ने की गति रुक जाये और शांति बनी रहे। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मुकद्दमों की बात है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हत्या के 84 प्रतिशत केसिज़ को, बलात्कार के 93 प्रतिशत केसिज़ को, दहेज हत्या के 97 प्रतिशत केसिज को, दहेज प्रताड़ना के 89 प्रतिशत केसिज़ को, महिलाओं से छेड़छाड़ के 92 प्रतिशत केसिज़ को, अपहरण के 85 प्रतिशत केसिज़ को और डकैती के 75 प्रतिशत केसिज़ को हल किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मुकद्दमों को हल करने की जो सफलता होती है, वास्तव में उसमें पुलिस की भागीदारी होती है और वह इसी सफलता में से आंकी जा सकती है। समाज में जैसे–जैसे सामाजिक और आर्थिक प्रगति हो रही है उसी प्रकार से समाज में नये–नये प्रकार के अपराध बढ़ने लगते हैं उन सब के ऊपर नजर रखी जा रही है ताकि प्रदेश का प्रत्येक परिवार और समाज सुखी रहे और आपस में शांति बनी रहे। इसके लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। वास्तव में अपनी बात तो मैं पहले ही खत्म कर लेता लेकिन आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हमारे माननीय सदस्य दलाल साहब ने वाइल्ड लाइफ डे पर बोलते हुए वन, गाय और सारी बातें सामने रखते हुए एक बहुत अच्छा माहौल बनाया था। सत्र के समाप्त होते–होते इनको पता नहीं गधे कैसे याद आ गये ? उस व्यंगात्मक तरीके से बात करने लगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, हमारी माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल ने भी गधों का जिक्र किया था जबकि मैंने यह कहा था कि गधे गुजरात में अच्छे होते हैं।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जिसने भी यह कहा था उनको उसका जबाव मिल गया है। (शोर एवं व्यवधान)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर): अध्यक्ष महोदय, ये भी उनकी पार्टी के मैम्बर है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अन्त में एक घोषणा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा नामक एक नयी योजना बनायी है। इस योजना के अर्न्तगत भारत में किसी भी तीर्थ स्थान की यात्रा करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के हरियाणा के मूल निवासी जो बी.पी.एल. श्रेणी में आते हैं उनको मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। यदि पति–पत्नी दोनों इकट्ठे भी यात्रा पर जाते हैं तो वे भी मुफ्त यात्रा कर सकेंगे।(शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है क्या उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः वे अकेले यात्रा कर लेंगे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हुई है वे करण सिंह जी को साथ ले लेंगे। जो पति पत्नी साथ जाएंगे अनको अपने साथ एक सहयोगी को भी साथ ले जाने की छूट दी गयी है।(विघ्न) अध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों के अतिरिक्त जो अन्य लोग होंगे, उनको भी तीर्थ यात्रा करने पर किराये में 70 प्रतिशत की छूट दी गयी है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, क्या यह योजना हरियाणा के तीर्थ स्थलों की यात्रा पर छूट के बारे में है या दूसरे राज्यों में भी तीर्थ यात्रा कर सकते हैं।

श्री मनोहर लालः आल इंडिया के तीर्थ स्थलों की यात्रा की यह योजना है। इन तीर्थ स्थलों की एक घोषित सूची है जिसमें लगभग 400 तीर्थ स्थानों का विवरण हैं। उन तीर्थ स्थानों पर कही भी जाएंगे तो यात्रा की सुविधा होगी। संबंधित विभाग इसका बारीकी से अध्ययन करेगा और इसमें एक सीमा जरूर तय की जाएगी। जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा उसकी सीमा तय करके लाटरी सिस्टम द्वारा जिनकी बारी आएगी उनको इसी वर्ष योजना का लाभ मिलेगा बाकी लोगों को दूसरे वर्ष इसका लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार पैंशन धारकों के लिए 7 वें वेतन आयोग की जहां तक बात है, 7 वें वेतन आयोग में अभी तक वर्तमान कर्मचारियों को यह लाभ मिला था। हमने आज ही यह निर्णय लिया है कि जो पैंशन धारक दिनांक 1.1.2016 से पहले के है तथा उसके बाद सेवा निवृत हुए हैं उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ दिनांक 1.1.2016 से दिया जाता है। दिनांक 1.1.2016 तक सेवा निवृत हुए पैंशनरों को 32 प्रतिशत तक की वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। मृत्यु और

सेवा निवृति उप दान की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढाकर 20 लाख रुपये किया गया है। पैंशन की न्यूनतम राशि को साढे तीन हजार रूपये प्रतिमाह से बढाकर 9000 रूपये और अधिकतम राशि एक लाख 12 हजार 50 रूपये तक आंकी गयी है। लाभार्थियों को उनके बकाया का भुगतान नियमों की अधिसूचना के 3 महीने के अन्दर दिया जाएगा। पैंशन वृद्धि से सरकार पर 810 करोड़ रूपये का अधिभार दिनांक 1.1.2016 से 28.2.2017 तक पड़ेगा। वार्षिक अधिभार वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 700 करोड़ रूपये होगा। हमने आपको एक नक्शा दिखाया, मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष के नेता बीच–बीच में उठकर थोड़ा परेशान जरूर हो रहे थे, यानी बुरा मान रहे थे। इसलिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो जो कैमरों की चकाचौंध से खुश होते हैं, हमने एक आईना दिखाया तो बुरा मान गए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> ''कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए।
>
> 'कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं, जो उन्होंने 27 फरवरी, 2017 को 2.00 बजे मध्याह्न पश्चात् सदन में देने की कृपा की है'।''

प्रस्ताव पारित हुआ।

.....

वर्ष 2016.2017 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री वर्ष 2016–2017 के अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2016–2017 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : अब श्री हरविंद्र कल्याण, विधायक, चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति, वर्ष 2016–2017 के अनुपूरक अनुमानों पर (द्वितीय किस्त) प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Chairperson, Committee on Estimates (Shri Harvinder Kalyan) : Sir, I beg to present the Report of the Committee on Estimates on the Supplementary Estimates (Second Installment) 2016-2017.

वर्ष 2016–2017 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2016–2017 के अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए टेबल पर रखी गई सभी डिमांड्स (1 से 8, 13, 18 से 20, 22 तथा 23, 26, 29 तथा 30, 32 तथा 33, 36, 39 से 42 और 45) एक साथ पढ़ी गई तथा पेश की गई समझी जाएं। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नंबर बता दें, जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,85,76,500 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 1–विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 2,54,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 2000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 3–सामान्य प्रशासन् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 15,88,47,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 4–राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 5–आबकारी एवं कराधान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 357,90,09,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 6–वित्त के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 2,15,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं.7–आयोजना तथा सांख्यिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीग खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 8–भवन तथा सडकें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं.13–स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 4,29,54,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 18–औद्योगिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो मांग सं. 19–अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 33,40,62,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 6,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 20–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 6,57,35,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 22–भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 353,80,26,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 23–खाद्य एवं पूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 12,36,75,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 26–खान एवं भू–विज्ञान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में वाले आने खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 4,88,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 29–मछली पालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 30–वन एवं वन्य प्राणी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 123,38,66,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 32–ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 39,62,60,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 12,07,36,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 33–सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 2000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 36–गृह के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 12,07,50,000 रूपये से अधिक न हो मांग सं. 39–सूचना तथा प्रचार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो मांग सं. 40–ऊर्जा तथा विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 2,65,50,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 8,20,65,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 42–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(कोई सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ।)

श्री अध्यक्ष : अब विभिन्न डिमांड्स को वोटिंग के लिए सदन में रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 1 से 8

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1,85,76,500 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 1–विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 2,54,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 2–राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 2000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 3–सामान्य प्रशासन् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 15,88,47,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 4–राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 5–आबकारी एवं कराधान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 357,90,09,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 6–वित्त के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 2,15,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं.7–आयोजना तथा सांख्यिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीग खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 8–भवन तथा सडकें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 13

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं.13–स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 18 से 20

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 4,29,54,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 18–औद्योगिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो मांग सं. 19–अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 33,40,62,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 6,00,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 20–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 22 तथा 23

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 6,57,35,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 22–भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 353,80,26,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 23–खाद्य एवं पूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 26

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 12,36,75,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 26–खान एवं भू–विज्ञान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में वाले आने खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 29 तथा 30

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 4,88,00,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 29–मछली पालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 30–वन एवं वन्य प्राणी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 32 तथा 33

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 123,38,66,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 32–ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 39,62,60,000 रूपये तथा पूंजीगत खर्च के लिए 12,07,36,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 33–सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 36

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 2000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 36–गृह के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 39 से 42

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 12,07,50,000 रूपये से अधिक न हो मांग सं. 39–सूचना तथा प्रचार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो मांग सं. 40–ऊर्जा तथा विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए 2,65,50,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 41–इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस- खर्च के लिए 8,20,65,000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 42–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को

समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

मांग संख्या 45

कि एक अनुपूरक धनराशि जो पूंजीगत खर्च के लिए 1000 रूपये से अधिक न हो, मांग सं. 45–राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियां के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ।)

विधान कार्य –

(i) दि पेप्सू टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स (हरियाणा अमैंडमैन्ट) बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री पेप्सू अभिधृति और कृषि भूमि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे तथा इस पर तुरन्त विचार के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं पेप्सू अभिधृति और कृषि भूमि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि पेप्सू अभिधृति और कृषि भूमि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पेप्सू अभिधृति और कृषि भूमि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि पेप्सू अभिधृति और कृषि भूमि (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज 2 से 7

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज 2 से 7 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष – प्रश्न है

कि क्लाज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
(विधेयक पारित हुआ)

.....

(ii) दि पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टैन्योर्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राजस्व मंत्री पंजाब भू–धृति सुरक्षा (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे और इस पर तुरंत विचार करने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे ।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, पंजाब भू–धृति सुरक्षा (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि पंजाब भू–धृति सुरक्षा (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब भू–धृति सुरक्षा (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि पंजाब भू–धृति सुरक्षा (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज–2 से 6

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज–2 से 6 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

(iii)दि पंजाब लैंड रेवेन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राजस्व मंत्री पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे और इस पर तुरंत विचार करने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे ।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : स्पीकर सर, मैं पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि पंजाब भू–राजस्व (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉजिज–2 से 8

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉजिज–2 से 8 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पारित हुआ।)

.....

वित्तमंत्री द्वारा धन्यवाद

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन का ये तीन महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आपकी अनुमति से ये जो तीन विधेयक पारित हुए हैं ये हरियाणा की कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, राजस्व भूमि रिकार्ड और इससे सम्बंधित विषयों को लेकर ये बड़े ही महत्वपूर्ण आज इस विधान सभा ने पारित किये हैं। हम सब जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में आज के दिन खेती और किसानी किस प्रकार की व्यवस्था में हो रही है। हमारे यहां पर बहुत बड़े स्तर पर एबसैंटी लैंड–लार्ड्स हैं अर्थात जो वास्तव में भू–मालिक हैं वे ठेका प्रणाली पर, लीज़ एग्रीमैंट के आधार पर और आपस में बंटाई के आधार पर अपनी ज़मीन पर काश्त करवा रहे हैं। इसमें काश्तकार और भू–मालिक के अधिकारों में समन्वय की बड़ी कमी दिखाई देती है।

जो काश्तकार है वह ज़मीन के ऊपर अपना हल चलाकर, खाद, बीज़ व पानी लगा करके फसल तैयार करता है लेकिन दुर्भाग्यवश जब उसे किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ जाता है तो उसको मुआवज़े की राशि प्राप्त करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वह अपनी फसल की आवश्यकता के अनुरूप बैंक लोन भी नहीं ले सकता। इस प्रकार से उस काश्तकार के अधिकार बहुत ही सीमित हैं। इसी प्रकार से भू–स्वामी के भी अपने अधिकार है। उसे सदा इस बात का डर सताता रहता है कि अगर मैं इसके साथ कोई लीज़ एग्रीमैंट करता हूं तो कहीं कल को वह उसके ज़मीन को ही न कब्जा ले। इस कारण से वह किसी फॉर्मल एग्रीमैंट उस काश्तकार के साथ नहीं करता है। आज जो विधान सभा में कानून बनाये गये हैं। ये ऐसे काश्तकारों और भू–मालिकों के बीच जो भी एग्रीमैंट होगा वह लीज़ ऐग्रीमैंट होगा। उस लीज़ एग्रीमैंट को स्वीकार करते हुए दोनों के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है और यह प्रावधान किया गया है कि अगर एक काश्तकार किसी ज़मीन के ऊपर काश्त करेगा तो वह उसके ऊपर बैंक लोन भी ले सकता है और अगर दुर्भाग्यवश उसे किसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ जाये तो वह उसका मुआवज़ा प्राप्त करने का भी अधिकारी होगा लेकिन इसके साथ ही साथ जो भू–स्वामी का जो उस ज़मीन पर मालिकाना हक होगा उसके ऊपर भी उससे किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से इस कानून के अस्तित्व में आ जाने के बाद काश्तकार और भू–स्वामी किसी का भी कोई नुक्सान नहीं होगा। हमारी सरकार काश्तकार और भू–स्वामी दोनों के सम्बन्धों में सौहार्दपूर्ण और सदभावपूर्ण वातावरण बनाने के लिए यह कानून लेकर आई है। जिसके ऊपर आपकी अध्यक्षता में इस विधान सभा ने अपनी सहमति की मोहर लगाई है। इससे एग्रो प्रौसैसिंग को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इस सम्बन्ध में आज आपकी अध्यक्षता में इस विधान सभा ने दो कानून बनाये हैं। जो तीसरा विषय है वह यह है कि बहुत सारे हमारी ज़मीन के जो खसरा व गिरदावरी के मामले हैं, तक्सीम के मामले हैं और जो इंतकाल के मामले हैं या फिर डिमॉर्केशन के मामले हैं। इनमें लगातार बहुत ही अदालती प्रक्रिया चलती रहती है। इनके डिस्प्यूट्स कभी तहसीलदार की कोर्ट में, कभी एस.डी.एम. की कोर्ट में, कभी डी.सी. की कोर्ट में, कभी कमिश्नर की कोर्ट में और फिर ऊपर आकर के एफ.सी. के लैवल पर उसकी कोर्ट में ये मामले लम्बित चलते रहते हैं। हमारी सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को भी एक बहुत ही ट्रांसपेरैंट

प्रोसीज़र बनाने की कोशिश की गई है। हमारी सरकार ने इस विधान सभा में आपकी अध्यक्षता में एक कारगर कानून बनाकर इन सभी झगड़ों का निष्पादन तथा निराकरण पूरी तरह से ऐफीशिएंट व इफैक्टिव तरीके से किया जा सके इसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। हमारी सरकार द्वारा इस दिशा में किया गया यह महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास इसलिए भी किया गया है ताकि इसमें जो अनलिमिटिड डिले है और हायैस्ट कॉस्ट है उनको मैक्सीमम लैवल तक रिड्यूस किया जा सके। हमारी सरकार द्वारा यह काम इस प्रोसीज़र में एक प्रकार से सशक्त कानून बनाकर आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास करके किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके लिए मैं आपके साथ–साथ इस महान सदन के सभी माननीय सदस्यों का बार–बार हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और हार्दिक धन्यवाद करता हूं।

विधान–कार्य (पुनरारम्भ)

(iv)दि पंजाब शिड्यूल्ड रोडज् एण्ड कंट्रोल्ड एरियाज़ रिस्ट्रिक्शन ऑफ अन–रेगुलेटिड डिवैल्पमैंट (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2017

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करेंगे और इस पर तुरंत विचार करने के लिए प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, मैं पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2017 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है –

कि पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल विधेयक का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक पारित हुआ।)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन सोमवार, दिनांक 06 मार्च, 2017 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 06 मार्च, 2017 प्रातः 11.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

*15.30 बजे